खण्ड-291, अंक-9
बुधवार, 3 भाद्रपद, शक संवत् 1893
(25 अगस्त, 1971 ई0)

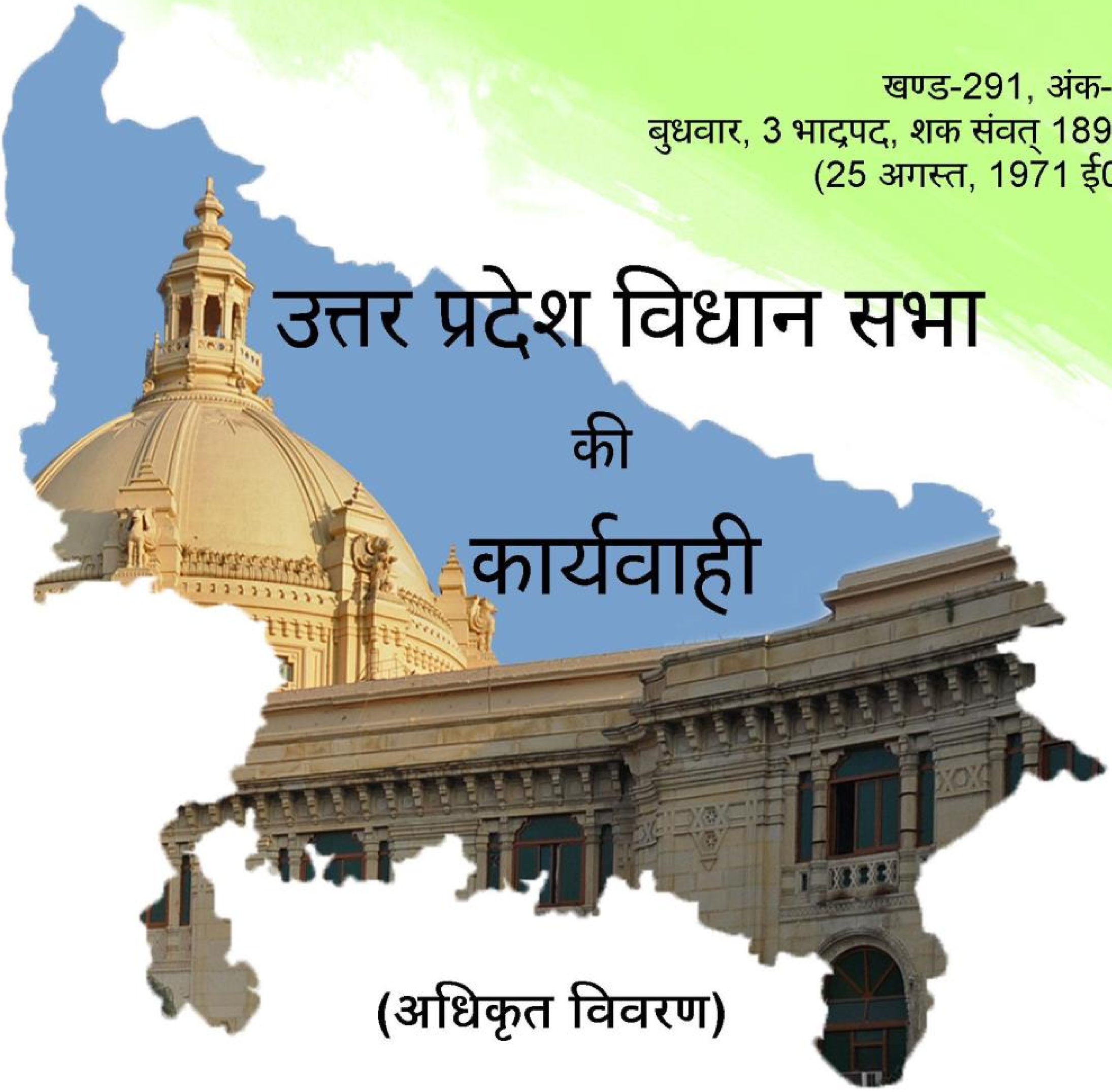

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 291 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०६७–१०७१
प्रश्नोत्तर	१०७१–१०९७
उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	१०९७
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१०९७
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१०९८
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१०९८
उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१०९८
उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक, १९७१ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१०९८
प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सहायता के सम्बन्ध में जानकारी	१०९८–१०९९
भारतीय क्रीकेट टीम की इंगलैंड में प्रथम बार टेस्ट मैच में रबर विजय पर बधाई का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१०९९–११०१
रमाई लाल द्वारा अपने जीवन की असुरक्षा के संबंध में सूचना ..	११०१–११०२
प्रतिनिहित विधायन समिति का मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण (संशोधन) नियमावली, १९७० से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१११०२–११०३
प्राक्कलन समिति (१९७०–७१) का सातवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	११०३
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के चुनाव में निर्वाचित सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना	११०३
जिला कानपुर के ग्राम कमालपुर की १४ वर्षीय लड़की राजेश्वरी को जलाकर हत्या करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	११०४–११०५
विधायकों को मोटर, कार या स्कूटर के परमिट दिये जाने के संबंध में वक्तव्य	११०५–१११
१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या ३१––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३२––सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४८––बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय, तथा अनुदान संख्या ४९–सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	१११–११६०

विषय	पृष्ठ-सख्या
नियम ५६ तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	११६०—११६३
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, वाराणसी द्वारा "चीन हटाओ दिवस" आयोजित किए जाने के संबंध में वक्तव्य	११६३–११६७
थाना चौक (लखनऊ) के श्री इन्द्रपाल सिंह, हेड मुहर्रिर द्वारा श्री नन्हा और उसकी बहन को पीटे जाने के संबंध में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ और सूचना	११६७–११७१
मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण (संशोधन) नियमावली, १९७० में प्रस्तावित संशोधन	११७१–११७५
नत्थियां	११७६–११८०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७०

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, दुबे श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री

गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दलसिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री

बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
बृजराज सिंह, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद त्रिपाठी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महाबीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)

रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम विलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शान्ति चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पान्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री

सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती राय, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारो, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरमारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २५ अगस्त, १९७१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

परिवहन कर्मचारियों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित वेतन मण्डल की सिफारिशें

**१—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित वेतन मण्डल की सिफारिशें उत्तर प्रदेश के परिवहन कर्मचारियों के बारे में प्राप्त हो गई हैं ? यदि हां, तो उन्हें लागू किये जाने के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन उप मंत्री (श्री आबिद अली)—

जी हां, वेतन मंडल की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उनके कार्यान्वयन के विषय में विचार हो रहा है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्र द्वारा गठित वेतन मण्डल की सिफारिशें कब प्राप्त हुईं और मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, २ फरवरी, १९७० को यह सिफारिशें आई हैं। मुख्य सिफारिशें बहुत काफी हैं। माननीय सदस्य अगर देखना चाहेंगे तो मैं उनको दिखा दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मुख्य बातें बतला दें।

श्री अध्यक्ष--

जो महत्व की हों वे बता दें।

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रीमन्, ५ श्रेणियों में कर्मचारियों को बांटा गया है। फर्स्ट ग्रेड ५५-२-७५-३-८०-४-१००, डी० ए० ६५, हाउस रेंट ५ तथा एडीशनल हाउस रेंट एलाउन्स केवल ए और बी क्लास के शहरों वाले कर्मचारियों के लिये। सेकिंड ग्रेड ६५-३-८०-४-१००-५-१२५, थर्ड ग्रेड ८०-४-१००-५-१२५-६-१५५, फोर्थ ग्रेड १००-५-१२५-६-१५५-७-१९०, फिफ्थ ग्रेड १२५-६-१५५-७-१९० ई० बी० १०-२४०।

श्री रूपनाथसिंह यादव--

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, आपने कहा है कि उनके बारे में विचार हो रहा है, ८ महीने हो गये हैं तो वे निश्चित बता दें कि कब तक लागू हो जायेगा?

श्री बलराम सिंह यादव--

मैं बजट स्पीच में ही कह चुका था कि ३ महीने में लागू कर दिया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फरवरी ७१ से अब तक जो उसके ऊपर विचार प्रक्रिया है उसमें कौन-सा काम बाकी रह गया है जो यह लागू नहीं की गई है?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, वे यह बता दें कि वे सिफारिशें जिनमें धन की बात नहीं है और ऐसी सिफारिशें जो सेवा के बारे में हैं उनको लागू करने में क्या दिक्कत हो रही है?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रीमन्, सारी बातों पर विचार हो रहा है। इसके लिये एक समिति बना दी गई है वह विचार कर रही है।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय वेतन मंडल की सिफारिशों को लागू करने में सरकार का कितना रुपया खर्च होगा और क्या सरकार के पास उस रुपये का प्रबन्ध है या नहीं?

श्री बलराम सिंह यादव--

इसमें लगभग ४० लाख रुपया खर्च होगा और उसका प्रबन्ध सरकार के पास है, इसलिये हम उस पर विचार कर रहे हैं।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या उस रिपोर्ट में यह भी है कि अगर किसी को ५ वर्ष से अधिक हो गये हैं तो उसकी पोस्ट को स्थायी कर दिया जाय। यदि हां, तो क्या यह सरकार ४० हजार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने जा रही है?

श्री बलराम सिंह यादव---

मैंने यह भी बतलाया कि हम सर्विस रूल्स को बनाने जा रहे हैं। उसके लिये एक समिति की नियुक्ति कर दी गयी है। उनके बन जाने के बाद पोस्ट के परमानेन्ट करने पर विचार किया जायगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो समिति विचार कर रही है उसमें कौन-कौन सदस्य हैं?

श्री बलराम सिंह यादव---

उस समिति के अध्यक्ष, माननीय मुख्य मंत्री हैं, मैं भी उसका एक सदस्य हूं और माननीय वित्त मंत्री जी भी उसके एक सदस्य हैं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि डीयरनेस एलाउन्स के तौर पर जो ७५ रुपया स्वीकार किया है उसमें ७५ रुपया से उनकी क्या मुराद है?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा तीन महीने लगेंगे।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)---

क्या माननीय मंत्री जी इन सिफारिशों को लागू करते समय यह ध्यान रखेंगे कि ये सिफारिशें फरवरी या मार्च से ही लागू की जायं?

श्री बलराम सिंह यादव---

इस पर भी विचार कर लिया जायगा।

छितौनी बांध में निरर्थक व्यय

**२---श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया), श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) तथा श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश की लोक लेखा समिति ने अपने १९६६ के प्रतिवेदन में राय जाहिर की थी कि छितौनी बांध योजना में बिना सोचे-समझे करोड़ों रुपये की धनराशि निरर्थक व्यय हुई, और उसके लिये जिम्मेदार अफसरों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की राय दी थी? यदि हां, तो अब तक उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई उप मंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)---

प्रश्न का प्रथम भाग:---जी हां।

प्रश्न का दूसरा व तीसरा भाग:---लोक लेखा समिति की राय पर पूर्ण विचार करके उन्हें बताया गया कि छितौनी बांध पर हुआ व्यय निरर्थक नहीं कहा जा सकता और न बांध के निर्माण के लिए किसी भी अधिकारी को उत्तरदायी कहना उचित होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मन्त्री जी को यह पता है कि लोक लेखा समिति की यह फाइंडिंग्स हैं कि यह बांध गलत जगह पर बनाया गया है और इस कारण से हर साल बाढ़ में टूट जाया करता है और उसके रखरखाव पर हर साल लाखों रुपया खर्च होता है?

सिंचाई मन्त्री (श्री राम लखन)---

जी हां।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या समिति ने यह संस्तुति की है कि इसका स्पेशल आडिट कराया जाय और उसके जरिये से दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाय?

श्री राम लखन---

स्पेशल आडिट के लिए ए० जी० को लिख दिया गया है।

श्री बांकेलाल---

लोक लेखा समिति ने मुख्य रूप से क्या सिफारिश की है और उसको कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री राम लखन---

लोक लेखा समिति की राय तो बता ही दी। उसकी जांच के लिए कमेटी बनी हुई है। उसने रिपोर्ट दे दी है। उसके अनुसार ही स्पेशल आडिट कराया जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या लोक लेखा समिति की यह भी राय है कि इसमें जो मेटीरियल लगाया गया है वह सब-स्टैन्डर्ड का है?

श्री राम लखन---

जी नहीं।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)---

लोक लेखा समिति ने क्या-क्या अनियमिततायें बताई हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह ब्योरे की चीज है। इसकी इजाजत नहीं दूंगा। वह छपी हुई है, आप उसको देख सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जो संस्तुति स्पेशल आडिट की, की गई है वह किस तारीख को की गई और ए० जी० को किस तारीख को लिखा गया?

श्री राम लखन---

सन् १९७० में यह रिपोर्ट प्राप्त हुई और उसी समय स्पेशल आडिट के लिए लिख दिया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मन्त्री जी को विदित है कि डाक्टर के० एल० राव ने यह संस्तुति की है कि यह बांध गलत जगह बना हुआ है और इसमें बहुत से टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं ?

श्री राम लखन--

ऐसा कोई सुझाव हमारे पास नहीं आया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास

**३--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि उन्होंने वर्ष १९७१ अगस्त के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में सम्पन्न हुए उत्तर प्रदेश विकास सम्मेलन में भाग लिया था ? यदि हां, तो इस सम्मेलन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कौन-कौन महत्वपूर्ण निर्णय लिये ? और सरकार उनके कार्यान्वयन पर क्या विचार कर रही है ?

नियोजन उप मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा)--

जी नहीं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि "आज" में यह खबर छपी थी कि इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किया। हो सकता है वह विकास समिति न हो और कोई समिति हो, क्या उन्होंने किसी बैठक का उद्घाटन किया ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा--

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक तो यह कि उत्तर प्रदेश विकास सम्मेलन में भाग लिया। यह, जी नहीं, उसके लिए कहा गया है अथवा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कौन-कौन निर्णय लिये गये, उसके लिए "जी नहीं" कहा गया है ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह) --

माननीय मुख्य मन्त्री जी जब उसमें गये ही नहीं तो फिर उस सम्बन्ध में किसी बात के बारे में कोई पता होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कृष्णानन्द राय--

अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को जानकारी नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी दिल्ली गये थे और उन्होंने पार्लियामेंट के मेम्बरों के साथ उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में विचार किया था। जब मुख्य मन्त्री जी हों उस समय के लिए इसको स्थगित कर दिया जाय, छोटे मन्त्रियों को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

पूरी जानकारी है, उसी के आधार पर तो यह कहा गया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी उसमें नहीं गये।

श्री महीलाल--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि क्या मुख्य मन्त्री जी ने उत्तर प्रदेश के एम० पी० की मीटिंग बुलाई थी और उनको उन्होंने सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश के प्रश्न को लोक सभा में उठाया जाय ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा--

श्रीमन्, इस प्रश्न का इससे सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न विकास मंडल के बारे में पूछा गया था, उसके लिए जवाब दिया गया कि उसमें मुख्य मन्त्री जी नहीं गये। दिल्ली तो वे कई बार गये हैं।

श्री महीलाल--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री ने लोक सभा और राज्य सभा के उत्तर प्रदेश के सदस्यों की एक मीटिंग बुलाई थी और उसको उन्होंने एड्रेस किया था ?

श्री अध्यक्ष--

आप कौन-सी मीटिंग के बारे में कह रहे हैं। वे तो कई बार दिल्ली जाते हैं और मीटिंग भी बुलाते हैं।

श्री महीलाल--

जिस मीटिंग के बारे में चर्चा है, उसी के बारे में मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न है उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि वे उसमें नहीं गये, अतः यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री महीलाल--

प्रदेश के तमाम अखबारों में निकला कि एम० पीज० की मीटिंग मुख्य मन्त्री जी ने बुलाई। अगस्त के महीने में बुलाई गई है। अगर जानकारी नहीं है तो मन्त्री जी यह क्यों नहीं कह देते कि हमें जानकारी नहीं है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम सबको जानकारी है और सामाचार-पत्रों में भी निकला कि एम० पीज० की बैठक बुलाकर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अगस्त के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बातचीत की। हम लोगों को जानकारी है कि बैठक हुई, इनकी जानकारी है कि नहीं हुई। तो कौन फैसला करेगा ? मुख्य मन्त्री जी को बुलवा दें और हम लोग पूछ लें।

श्री महीलाल--

उस मीटिंग की अध्यक्षता माननीय राजदेव सिंह ने की थी और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उसका उद्घाटन किया था।

श्री अध्यक्ष--

आप दूसरा प्रश्न बना भेजें कि उन्होंने मीटिंग बुलाई थी या नहीं। यह इससे उत्पन्न नहीं होता है।

विधायकों को स्कूटर व कार के परमिट

**४--श्री अनन्तराम जायसवाल--

अगस्त ४, १९७१ के प्रश्न सं० ५ नत्थी (ख) के उत्तर के प्रसंग में क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि क्या विधायकों को स्कूटर, कार परमिट वितरण सम्बन्धित, सचिवालय में या परिवहन आयुक्त के कार्यालय में कोई रजिस्टर मेनटेन किया जाता है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? और क्या स्कूटर, कार के परमिट वितरण के लिए कोई लिपिबद्ध नियम हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी एक प्रतिलिपि पटल पर रखेगी?

श्री आबिद अली--

विधायकों के स्कूटर/कार के आवंटन के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त के कार्यालय में आवेदन-पत्रों का रजिस्टर रखा जाता है। रजिस्टर में निम्नवत स्तम्भ हैं:-

(१) क्रम-सख्या,
(२) प्रार्थना-पत्र का दिनांक और प्राप्ति की तिथि,
(३) नाम एवं पता,
(४) स्कूटर व कार जिसकी आवश्यकता हो,
(५) कोटा जिससे आवंटन किया गया।

आवेदनों के लिए एक निर्धारित प्रपत्र है। इसकी प्रति संलग्न है। किन्तु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र बिना दिये हुए या इस रजिस्टर में आवेदन पत्र को पंजीकृत किये हुए या बिना आवेदन पत्र के भी आदेशों के अनुसार सरकारी कोटे से विधायकों को आवंटन पत्र जारी किये गये। स्कूटर/कार के आवंटन के सम्बन्ध में कोई लिपिबद्ध नियम नहीं है क्योंकि आवंटन विवेकानुसार किये जाते हैं। इसलिए नियमों की प्रति को सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११७६ पर)

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में मैं एक चीज बता दूं कि इसके ऊपर एक वक्तव्य होने वाला है, उसमें आप पूछ सकते हैं। इसलिये इस वक्त ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। एक, दो सवाल पूछ लीजिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मन्त्री जी जो रजिस्टर बताते हैं कि मेनटेन किया जाता है और जो आवेदन का प्रारूप है इसको रेफर करेंगे? उसमें यह लिखा हुआ है कि मोटे तौर से इन नियमों का पालन किया जायगा। जैसे, उसी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायगा कार के लिए जिसकी आमदनी ६०० रुपये से ज्यादा हो और स्कूटर के लिए ३०० रुपये महीना से ज्यादा हो, सफर कितना तय करता है और फिर चार साल में एक से ज्यादा स्कूटर नहीं दिया जायगा। इन नियमों का पालन होता है या नहीं?

श्री बलराम सिंह यादव--

इनका पालन शुरू से ही अब तक नहीं हुआ है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने कभी गौर किया कि फिर इन नियमों के फार्म में लिखे जाने की आवश्यकता क्या थी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जैसा कि मैंने पहले भी जब यह प्रश्न पूछा गया था, बताया था कि १९६७ में एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने कुछ नियम बनाये थे। उन नियमों का पालन नहीं हो पाया। बाद में वह नियम लागू नहीं हुए और विवेकानुसार जैसी भी स्थिति आई, पहले मन्त्रियों ने जैसा भी उचित समझा होगा वैसे उन्होंने डेसीजन लिये।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

यह कार और स्कूटर का मामला उत्तर प्रदेश के विधायकों के चरित्र पर एक बड़ा भारी आवरण पैदा करता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी सदन की मेज पर एक ऐसी सूची प्रस्तुत कर देने के लिए तैयार हैं कि कितने विधायक रहे स्कूटर और कार में और कितने नहीं रहे ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर ९ नम्बर में परिवहन मन्त्री जी का वक्तव्य होने वाला है। आप ज्यादा प्रश्न न पूछें।

श्री बलराम सिंह यादव—

सूची रख दी जायगी, क्या बात है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बगैर आवेदन-पत्र के उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने स्कूटर और मोटर कार दिये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बगैर प्रार्थना-पत्र के मैंने अपने कार्यकाल में न कोई स्कूटर और न मोटर कार दी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या परिवहन मन्त्री जी इन आवंटनों पर सारी पिछली कार्यवाही की जांच के लिए सदन के सदस्यों की समिति नियुक्त करने की सहमति देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि यह जो कोटा सरकार को मिला है यह केन्द्रीय सरकार के इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट ऐक्ट के मातहत मिलता है जिसमें नियम दिये हुए हैं ? अगर उसके खिलाफ कार्यवाही होती है तो मुकदमा चलेगा, जिन्होंने गलत लिया है या गलत दिया है।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, अगर कोई इस तरह की शिकायत आयेगी तो उस पर जांच करा ली जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि पिछली दफा जो उन्होंने उत्तर दिया था और आपकी जानकारी में कितने विधायकों ने यह लिखकर दिया कि जिनके नाम दिखाया है कि परमिट दिये जायं एक से ज्यादा। तो कितने विधायक हैं जिन्होंने यह लिखकर दिया हो माननीय मन्त्री जी को या विभाग को कि उन्हें एक स्कूटर और कार का परमिट मिला, तब भी उनके नाम एक से ज्यादा परमिट दिखा दिये गये ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह विस्तृत बात स्टेटमेंट में आ गई है उसमें बता दी जायगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जैसा कि मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि स्कूटर और कार के आवंटन में नियमों का पालन नहीं हुआ तो यह देखते हुए क्या मन्त्री जी उन लोगों की जांच करायेंगे, जिन्होंने स्कूटर और कार लेकर या तो ब्लैक किया या उसका मिसयूज किया या किसी दूसरे को दिया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस तरह की कोई शिकायत आयेगी तो उसकी जांच कराने के लिए मैं तैयार हूं।

श्री बंशीधर पांडेय--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

२९ (४) के अन्तर्गत मेरा जो प्रश्न था उसको क्यों टाल दिया गया ? इसका इतना महत्व है कि इसको जान बूझकर सारे उत्तर प्रदेश की सरकार का दबाव पड़ रहा है क्योंकि एक सदस्य उसमें आटोमेटिकली सदस्यता से रिमूव हो रहे हैं। इस पर सारी सरकार का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक दबाव पड़ गया है। ये माननीय सदस्य गवर्नमेंट के ठेकेदार हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस पर सरकार ने दो हफ्ते की मोहलत मांगी थी। एक हफ्ते की ही मोहलत दी गई है।

श्री बंशीधर पांडेय--

नियम २९ (४) के प्रश्न इस तरह से हटते नहीं हैं। इस में सदस्य विधान सभा की सदस्यता से वंचित हो रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से कह दिया जाय कि वह कागज मेनीपुलेट न होने पाये। वे रजिस्टर्ड गवर्नमेंट कांट्रैक्टर हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह अगले बुधवार के लिये होगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

अगले बुधवार के लिए यह सदन रहेगा ?

श्री अध्यक्ष--

तो मैं पुनर्विचार कर लूंगा। उन्होंने १५ रोज का समय मांगा था। उपाध्यक्ष जी ने...

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन, आपकी यह जिम्मेदारी है। अगर आप मुझे मिनिस्टर बना दें तो मैं एक घंटे में बता दूं कि फलां आदमी कन्ट्रैक्टर है या नहीं है। इतनी सी सूचना तो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी अभी मंगवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा कि मैं इस पर पुनर्विचार कर लूंगा।

श्री बंशीधर पान्डेय---

श्रीमन्, इस प्रश्न को यह जानबूझ कर टाल रहे हैं और इस बीच में इस कागज को इनकी सरकार दबाएगी। यह सदस्य सदस्यता से वंचित होने वाले हैं।

श्री महीलाल---

मान्यवर, अगर इस कुर्सी से कानून और नियम की रक्षा नहीं होगी तो कौन करेगा? कानून यह है कि कोई भी विधायक सरकारी कन्ट्रैक्टर नहीं हो सकता। केवल इतनी सी जानकारी प्राप्त करनी थी कि शाहजहांपुर की ठेकेदारों की लिस्ट में किसी विधायक का नाम है या नहीं। तो यह जानबूझ कर टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---

नियम के हिसाब से दो हफ्ते के लिए कहा जाता है। दफ्तर ने उस तरह से दे दिया। उस वक्त उन्होंने सोचा नहीं कि उस तारीख को सदन नहीं बैठेगा। तो मैं तारीख बदल दूंगा जिससे वह आ जाय।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, इस बात का फैसला कौन करेगा कि इस प्रश्न में कितना समय सरकार को चाहिए? श्रीमन्, किसी सवाल में तो एक घंटे में सूचना आ सकती है और किसी में एक हफ्ता लग सकता है। तो आखिर इस बात का फैसला कौन करेगा? इस सवाल में आप अपने विवेक से बतलाएं कि कितना समय चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

मैंने डिप्टी स्पीकर को इसकी पावर्स डेलीगेट की हैं। उनकी एक आज्ञा हो गई। उनके दफ्तर की गलती हो गई है कि उस वक्त ख्याल नहीं किया कि किस तारीख को आयेगा। अब आपने प्वाइंट आउट किया तो मैंने उसको कबूल किया।

श्री बंशीधर पांडेय---

आप सरकार को हुक्म दे दीजिये कि सारे सम्बन्धित कागजात जब्त किये जायं।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आठवें बुधवार को यह एसेम्बली नहीं बैठने जा रही है। यह भी पता नहीं कि तब तक यह एसेम्बली रहेगी भी या नहीं। एक विधायक के बारे में यह प्रश्न है कि वह ठेकेदार है या नहीं। यह डिस्क्वालिफिकेशन से सम्बन्ध रखता है। इसको दबाया जा रहा है। हम लोगों को उस विधायक का नाम भी मालूम है, लेकिन हम नाम नहीं लेना चाहते, प्रोप्राइटी नहीं होगी। इस तरह टालने से सारे प्रदेश की जनता में यह भावना पैदा होगी कि सदन में सब लोग मिलकर इस तरह से ऐसे मामलों को दबा देते हैं। तो कल इसका उत्तर दिलवा दीजिये। गवर्नमेंट चाहे तो आज रात भर में टेलीफोन करके पता लगा ले। शाहजहांपुर न टेलीफोन करना चाहें तो हमसे ही टेलीफोन कर लें। सारी बात हम बता देंगे, सबूत दे देंगे। तो कल इसका उत्तर दिलवा दीजिये अन्यथा कभी उत्तर नहीं आयगा, और आपकी भी जिम्मेदारी होगी।

श्री महीलाल---

मेरा भी यही निवेदन है कि कल इस प्रश्न का उत्तर दिला दें। श्रीमन्, न केवल विधायक बल्कि उसके परिवार का भी कोई आदमी ठेकेदार नहीं बन सकता। अगर वह ठेकेदार है तो नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

मैं जांच कर लूंगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

हमारी जानकारी यह है कि विधायकों पर दबाव पड़ रहा है कि इस प्रश्न को वापस ले लो।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरे कमरे में आ जायें और बतायें।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*१---सर्वश्री अमरनाथ दूबे, सुरेन्द्र विक्रम, बंशीधर पांडेय, तथा कृष्णानन्द राय---

[८वें बुधवार के लिये स्थगित।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर से धानी तक बस सेवा

*१---श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९७०-७१ में राजकीय रोडवेज, गोरखपुर रीजन से कितनी बसें धानी के लिये चलती थीं और कब से यह बसों का चलना बन्द हो गया ?

श्री बलराम सिंह यादव---

केवल अच्छे मौसम में गोरखपुर फरेंदा, धानी होकर लुम्बनी तक और सोनौली से फरेंदा होकर धानी तक एक अप और एक डाउन बस जाती है। इनका चलना बन्द नहीं हुआ है।

घुघली से महराजगंज एवं फरेंदा तक राजकीय बस चलाना

*२---श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को घुघली से महाराजगंज और फरेंदा तक राजकीय रोडवेज चलाने का विचार शासन कर रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

घुघली से महाराजगंज तक का मार्ग गोरखपुर-महाराजगंज-घुघली राष्ट्रीकृत मार्ग का भाग है जिस पर राजकीय बस सेवा उपलब्ध है। महाराजगंज-फरेंदा अराष्ट्रीकृत मार्ग हैं और उस पर रोडवेज की बसें चलाने का विचार नहीं है।

बलिया जिले में हल्दीरामपुर के पास लिफ्ट योजना नहर का सर्वेक्षण

*३—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री, बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में हल्दीरामपुर के पास ६०० क्यूसेक की क्षमता की लिफ्ट योजना नहर का सर्वेक्षण हुआ है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक चालू होगी ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

प्रथम—जी हां ।

दितीय भाग—धन की कमी के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में इस प्रायोजना का निर्माण संभव नहीं है ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

क्या सरकार आजमगढ़ व बलिया जिलों के विकास के लिये इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से धन मांगने की कृपा करेगी ?

श्री राम लखन—

अपनी योजनाओं को चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार से बराबर हम रुपये की मांग कर रहे हैं। इस योजना के लिये भी धन मांगेंगे ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

स्पष्ट उत्तर नहीं हुआ। क्या इस योजना के लिये रुपया मांगा जायगा ?

श्री राम लखन—

अभी इस योजना का पूरा सर्वेक्षण नहीं हुआ है। सर्वेक्षण होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार धन की मांग की जायेगी ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

वहां पर सर्वेक्षण हो चुका है। मेरा सप्लीमेन्टरी सवाल यह है कि क्या धन की कमी के कारण यह योजना रुकी तो नहीं रहेगी ? और क्या आप केन्द्रीय सरकार से धन की मांग करेंगे ? इस प्रश्न का जवाब आना चाहिए ।

श्री राम लखन—

अभी तो मौके का सर्वेक्षण हुआ है। जब पूरी जांच समाप्त हो जायेगी तब फाइनल निश्चय लिया जायगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

दोहरीघाट कैनाल जब पूरी क्षमता से चलती है तब भी टैल के इलाकों में पानी नहीं पहुंचता है। दोहरीघाट पंप कैनाल, बलिया जिले के भीतर से जाती है। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि हल्दीरामपुर में ६०० क्यूसेक का पम्प बिठाकर टैल के इलाकों के लिये अलग से पानी दिया जायेगा। क्या सरकार उस आश्वासन को पूरा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यहां पर बहुत शोर हो रहा है।

श्री राम लखन--

उसके बनवाने में धन की कमी नहीं हो पायेगी।

बुलन्दशहर के निकट स्थित नाले में बारिश का पानी अधिक हो जाने के फलस्वरूप भूमि का जलमग्न होना

*४--श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बहांपुर, जिला बुलन्दशहर के पास जो नाला जाता है और उसमें बारिश का समस्त जल नहीं निकल पाता जिसके कारण वहां हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है, की सफाई की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार क्या उसकी सफाई तुरन्त कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ग्राम बहांपुर, जिला बुलन्दशहर के पास जो नाला जाता है वह नीम नदी है। इस नदी का बहाव शिथिल है जिससे वर्षा का समस्त जल तेजी से नहीं निकल पाता है। इस नदी की सफाई की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री जगबीर सिंह--

क्या सरकार यह बतायेगी कि बहांपुर गांव के पास पानी न निकलने से कितनी जमीन डूब जाती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना की आवश्यकता है।

श्री जगवीर सिंह--

क्या सरकार बतलायेगी कि कोई ऐसा नीचे से इस्टीमेट बनकर आया था जिसमें कि कहा गया था कि इस गांव के पास सफाई करने से हजारों एकड़ जमींन बच सकती है ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

पूरी नदी का इस्टीमेंट आया था। बहुत लम्बा-चौड़ा डेढ़ करोड़ का इस्टीमेट है इसलिये विचार नहीं हो सका।

श्री जगवीर सिंह--

क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि थोड़े से खर्चे में सफाई हो सकती है, इस पर पुनः विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

सुनाई नहीं पड़ रहा है सदन में शोर बहुत ज्यादा है।

श्री राम लखन--

नदी की सफाई से काम नहीं चलेगा। उस पर बहुत से पुल हैं जिनको चौड़ा करने की जरूरत है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो इस्टीमेट आया है उसका सर्वेक्षण कब कराया गया था और किसके द्वारा कराया गया था ?

श्री राम लखन—

प्रश्न दोहरा दें ।

श्री हिम्मत सिंह—

यह सर्वेक्षण कब कराया गया था ?

श्री अध्यक्ष—

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा की आवाज मेरे पास तक आ रही है ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी कृपा कर यह बतलायेंगे कि इस नदी का सर्वेक्षण कब और किसके द्वारा कराया गया था ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग के इन्जीनियर्स के द्वारा कराया गया था और उसके बाद उस पर मीटिंग में विचार किया गया था ।

श्री जगबीर सिंह—

क्या मंत्रीजी इसकी महत्ता को देखते हुए इस पर पुनः विचार करेंगे और सफाई कराने का प्रबन्ध करायेंगे ?

श्री राम लखन—

श्रीमन्, केवल सफाई से काम नहीं चलेगा जब तक कि पुलों को चौड़ा करने की व्यवस्था पी० डबलू० डी० से नहीं होती है ।

श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है समस्त उत्तर प्रदेश में जो नहरों के अन्तर्गत ड्रेनेज हैं उसकी कभी सफाई नहीं होती है जबकि बजट में लाखों रुपया खर्च कागज पर दिखलाया जाता है ? और क्या वह उन अधिकारियों को जो इसके लिये दोषी हैं, दण्डित करने की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री राम लखन—

यह सवाल अनिश्चित है, इसका उत्तर क्या दिया जाय ।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो सर्वेक्षण कराया गया है तो कितने पुलों पर कितना खर्चा आयेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

श्रीमन्, २१ पुल हैं जिन पर डेढ़ करोड़ का इस्टीमेट आया है ।

राष्ट्रीय मार्गों पर बसों की कमी के कारण यात्रियों कोअसुविधा

*५—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनेक राष्ट्रीय मार्गों पर जिन पर बसों की कमी के कारण यात्रियों को बहुत असुविधा है, निजी बसों के चलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री आबिद अली—

जी नहीं। राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों की कमी नहीं है। यदि कहीं कोई कठिनाई होगी तो आवश्यक कार्यवाही होगी।

श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मंत्री जी यात्रियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती हुई देखकर और यह देखकर कि सरकारी बसों की संख्या कम है राष्ट्रीय मार्गों पर २५ प्रतिशत निजी बसें चलाने की व्यवस्था करेंगे, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया था कि राष्ट्रीय मार्गों पर २५ प्रतिशत निजी बसें चलायेंगे।

श्री मोहन लाल कपूर—

दिल्ली और मेरठ के बीच बसों की कमी है और यात्रियों की संख्या बहुत है और बहुत सी बसें कैंसिल कर दी जाती हैं जिनकी मरम्मत तक नहीं की जाती है, तो यह देखते हुए दिल्ली और मेरठ के बीच निजी बसें चलवायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जांच करायेंगे और आवश्यकता होगी तो इन्तजाम कर देंगे।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला इलाहाबाद में टेला से बरौज होते हुए इलाहाबाद, धानुपुर से हंडिया होते हुए इलाहाबाद, असड़िया से फैजाबाद होते हुए इलाहाबाद, यह तीन मार्ग पक्के हैं और जी० टी० रोड पर हैं उन पर बसों की कठिनाई है तो क्या नई बस चलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलरामसिंह यादव—

मान्यवर, यह प्रश्न इससे सम्बन्ध नहीं रखता है। इसके बारे में जानकारी करनी होगी।

श्री अध्यक्ष—

यह कहें कि सूचना चाहिए।

श्री राजित राम पाण्डेय—

यह राष्ट्रीय मार्ग पर है।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि राजकीय मार्गों पर प्राइवेट आपरेटरों को परमिट देने का निर्णय नहीं है। आपके राजकीय मार्ग पर सुल्तानपुर, शाहजहांपुर की तरफ बराबर प्राइवेट बसें चलती हैं। इसकी शिकायत पहले भी की और चार पांच दिन हुए मैंने पकड़ा तो क्या उनको भी रोकने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री बलरामसिंह यादव—

यह जानकारी हुई है तो इसकी जांच की जायेगी।

श्री हिम्मत सिंह—

माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थान हैं जहां कि रोडवेज के बस स्टैंड हैं और वहीं पर पचासों टैक्सीज खड़ी होती हैं और यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उन टैक्सीज को वहां से हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलरामसिंह यादव—

अगर इस तरह की चीज है और माननीय सदस्य बतलायेंगे तो जो कुछ कार्यवाही हो सकेगी, करेंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

सहारनपुर से दिल्ली को एस० एस० लाइट रेलवे जाती थी जिसको मार्टिन रेलवे कंपनी चलाती थी। वह बंद कर दी गयी और वहां यात्रियों को परेशानी हो गयी है। तो क्या मंत्री जी उस रोड पर सरकारी और गैर सरकारी बसें चलाने की इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप नया सवाल उठा रहे हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

रेलवे लाइन उखाड़ दी गयी है और लोग परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी माननीय सदस्य श्री कपूर के सुझाव पर विचार करते हुए कि जिस तरह से टैक्सीज हर रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने खड़ी होती हैं इससे सिद्ध होता है कि सवारी उन्हें मिलती हैं और बसों की कमी है, इसकी जांच करायेंगे कि बसों की कमी है ?

श्री बलरामसिंह यादव—

इसकी जांच करा लेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जांच कराने की जरूरत नहीं है। जो किताब दी गयी है उससे जाहिर है कि जितने माइलेज पर आपकी गाड़ियां चलती हैं उससे ज्यादा वहां प्रइवेट चलती हैं। इसका मतलब यह कि गवर्नमेंट की कम गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या आप अधिक गाड़ियां बढ़ायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया कि जांच करायेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जितने माइलेज पर गवर्नमेंट की दो गाड़ियां चलती हैं उतने पर ही प्राइवेट की चार चलती हैं। वहां पर आप गाड़ियां क्यों नहीं बढ़ाते ?

श्री अध्यक्ष—

यह किसी एक जगह की बात है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

पूरे प्रदेश की बात है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर दे दें । अगर मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे दें ।

श्री बलरामसिंह यादव—

जहां रोडवेज की दो चलती हैं वहां पर प्राइवेट की चार चलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी की सूचना में यह है कि कुछ रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिसर्स ने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट आपरेटर्स से बसें चलाने के लिये एप्लीकेशन्स मांगी हैं जैसे गोरखपुर रीजन में । तो इस तरह की कोई पालिसी क्या सरकार ने निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कहीं भी किसी आर० टी० ओ० ने प्राइवेट परमिट देने के लिये गजट नहीं किया ।

श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसें चलती हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि अगर चलती हैं तो कोर्ट के जरिये से चल रही हैं ।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

यह हकीकत है कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जितनी बस चलाने की जरूरत हैं उतनी बसें उपलब्ध नहीं हैं । तो इसके लिये सरकार क्या पालिसी बना रही है ताकि वहां बसों की कमी न रहे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

हम हर वर्ष गाड़ियां परचेज करते हैं और जहां आवश्यकता होती है उसके अनुसार गाड़ियां बढ़ाते हैं ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि किसी रूट पर कोई कमी नहीं है, तो वे ऐसा किस आधार पर कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप बहस कर रहे हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं उसके अनुसार रोडवेज की बसों का माइलेज २० हजार किलोमीटर है जब कि साढ़े ४ हजार बसें चलती हैं, और प्राइवेट बसों का माइलेज १० हजार है जब कि साढ़े५ हजार प्राइवेट बसें चलती हैं । तो रोडवेज की बसें डबल माइलेज कवर करती ह, यानी बसें कम हैं । तो इन बसों को बढ़ाने में सरकार के सामने क्या दिक्कतें ह ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिस समय कोई मार्ग राष्ट्रीयकृत होता है तो उसके पूर्व उसका सर्वे आदि सब कराया जाता है और सारा असेसमेंट कर लिया जाता है कि कितनी प्राइवेट चल रही हैं, कितनी सरकारी बसों की जरूरत होगी।

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल कपूर—

मंत्री जी किस आधार पर यह कह रहे हैं कि अनेक मार्गों पर बसों की कमी नहीं है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

हमारे अधिकारियों को आदेश हैं कि जहां भी कमी दिखाई दे वहां और बसें बढ़ा दी जायं।

(२५ अगस्त, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

गोरखपुर जिले में बाम्बे प्लान के अन्तर्गत सड़कें

*१—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में बाम्बे प्लान के अन्तर्गत कितने प्रतिशत सड़कों का निर्माण बाकी है ?

श्री महमूद अली खां—

३९ प्रतिशत।

*२—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (अनुपस्थित)—

क्या सरकार पहाड़ी जिलों की तरह गोरखपुर जिले में बाम्बे प्लान की प्रतिशत को बढ़ाने की तत्काल व्यवस्था करेगी और किस सन् तक उन सड़कों की लम्बाई पूरी हो जायेगी ?

श्री महमूद अली खां—

बाम्बे योजना की पूरी लम्बाई की प्राप्ति भविष्य में धन की उपलब्धि पर निर्भर है।

*३–४—श्री डूंगर सिंह विष्ट—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

जौनपुर में गौरा बादशाहपुर से बाया बारी पेशारा मार्ग के निर्माण की योजना

*५—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जौनपुर जनपद में गौरा बादशाहपुर से बाया बारी पेशारा मार्ग के निर्माण की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब से कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी नहीं।

श्री उमानाथ सिंह—

डिवीजनल कमेटी ने क्या कोई प्रस्ताव या सिफारिश सरकार के पास भेजी है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री उमानाथ सिंह—

जौनपुर जो एक अति पिछड़ा जिला है, इसको ध्यान में रखते हुए जो ७—८ मील की सड़कें मैंने लिखकर भेजी हैं, क्या उसके महत्व को देखते हुए, उसके निर्माण के विषय में आप विचार करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

आपने जो पत्र भेजा है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। वह सड़क जिला परिषद की है, उसको बनाने का इस वक्त कोई विचार नहीं है।

जौनपुर जनपद में भदेहरी लिफ्ट सिंचाई योजना

*६—श्री उमानाथ सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद में भदेहरी लिफ्ट सिंचाई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक कार्य आरम्भ किया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता है।

श्री उमानाथ सिंह—

क्या मंत्री जी के विभाग द्वारा भदेहरी लिफ्ट सिंचाई योजना का सर्वे कराया गया था ?

श्री राम लखन—

कराया गया था, लेकिन वहां के लोगों ने और स्वयं वहां की सिंचाई समिति ने उसका विरोध किया, इसलिये उसे बन्द कर दिया गया है।

श्री उमानाथ सिंह—

यह सही है कि एक बार सिंचाई समिति ने निर्णय लिया था उसके विरोध में, लेकिन दुबारा फिर निर्णय लिया कि इसका निर्माण कराया जाये, इस चीज को मैंने लिख कर भी दिया था। तो क्या तदनुसार उस पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ?

श्री राम लखन—

यह सही है कि दूसरी बार लिखकर उसने भेजा कि लिफ्ट सिंचाई योजना को चलाया जाये और माननीय सदस्य ने भी कहा है, उसके आधार पर उस का सर्वेक्षण किया जा रहा है लेकिन फिर भी जनता द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है।

*7—श्री प्रियदर्शी जेटली, श्री त्रिवेणी सहाय, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री धर्मवीर सिंह, श्री तेजपाल सिंह, श्री डी० पी० बोरा, श्री लाल बहादुर सिंह तथा श्री मंगल उपाध्याय—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

फैजाबाद-शाहगंज रोड पर पुल का निर्माण

*8—श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद), श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा), श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला फैजाबाद), श्री धर्मवीर सिंह (जिला मुजफ्फर नगर), श्री तेजपाल सिंह (जिला मथुरा), श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ), श्री लाल बहादुर सिंह (जिला वाराणसी) तथा श्री मंगल उपाध्याय (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमवरपुर, जिला फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग कोई पुल ऐसा बनवाने का विचार कर रहा है जो फैजाबाद–शाहगंज रोड को कस्बे से बाह तहसील के पीछे से जोड़ दे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी नहीं ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल—

फैजाबाद जिले की 23 जनवरी, 70 में जो सड़कें मंजूर हुई हैं, उन पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है, उन पर कब तक काम शुरू होगा ? (माननीय सदस्य ने स्थगित प्रश्न संख्या 7 के बारे में प्रश्न किया)

श्री राजबिहारी सिंह—

यह तो सवाल ही नहीं है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

जब हमने इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि फैजाबाद जिले की नई और पुरानी सभी सड़कों पर कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, उसको पाने के बाद भी उनको क्या सूचना की आवश्यकता है ? उस पर उन्होंने जांच क्यों नई करवाई ?

श्री राजबिहारी सिंह—

श्रीमन्, आप प्रश्न देख लें—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमवरपुर, जिला फैजाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग कोई पुल ऐसा बनवाने का विचार कर रही है जो फैजाबाद-शाहगंज रोड को कस्बे से बाह तहसील के पीछे से जोड़ दे ? यह तो नया है, इसके लिए तो जरूर सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

मैं 7वें के बारे में पूछ रहा हूं और आप आठवें क बारे में बता रहे हैं ।

मन्दाकिनी व अलकनन्दा नदियों में बाढ़ सूचक यंत्र

*9—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मन्दाकिनी व अलकनन्दा नदियों में बाढ़ सूचक-यन्त्र, हरियाना पंजाब तथा हिमांचल प्रदेश की तरह लगे हुए हैं ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

हरियाना, पंजाब व हिमांचल प्रदेश में किस प्रकार के बाढ़ सूचक यन्त्र लगे हैं यह सूचना उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में बाढ़ भविष्यवाणी का कार्य केन्द्रीय शासन द्वारा किया जा रहा है। अलकनन्दा व मन्दाकिनी नदी घाटियों में अभी तक इस योजना का विस्तार नहीं हुआ है।

उत्तराखंड की नदियों में फ्लड वार्निंग स्टेशन

*10—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सेन्ट्रल वाटर ऐन्ड पावर कमीशन, नई दिल्ली से समस्त उत्तराखण्ड की नदियों में फ्लड वार्निंग स्टेशन स्थापित करने के लिये कोई कार्यवाही चल रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

केन्द्रीय जल एवम् विद्युत् आयोग, नई दिल्ली से उत्तराखण्ड की नदियों में फ्लड वार्निंग स्टेशन स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं चल रहा है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मंत्री जी ने जैसा अपने उत्तर में बताया है यह कार्य केन्द्रीय शासन द्वारा किया जा रहा है वह कार्य अब तक शासन द्वारा कब से प्रारम्भ किया गया है और वह किस ढंग से किया जा रहा और कौन काम किया जा रहा है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

1970 में लखनऊ में एक केन्द्रीय स्टेशन स्थापित किया गया है जिससे इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर को कंट्रोल किया जाता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी हिमांचल प्रदेश से सूचना एकत्र करने की कृपा करेंगे कि वहा फ्लड वार्निंग सिस्टम रखा जाता है और क्या उसको अलकनन्दा के ऊपर लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम लखन—

मान्यवर, सूचना मंगा ली जायगी।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये अलकनन्दा आदि जो पहाड़ी नदियां हैं उनमें यकायक बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ से गांव बह जाते हैं, वहां फ्लड वार्निंग स्टेशन स्थापित करने में क्या दिक्कत है ? हरियाना में न हो, पंजाब में न हो, आप स्वयं क्यों करते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हरिद्वार में गंगा के किनारे फ्लड वार्निंग स्टेशन को लगाने के लिये सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन को लिखा गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मंत्री ने कहा है कि हरिद्वार फ्लड वार्निंग सिस्टम के बारे में लिखा जा चुका है। हरिद्वार के अलावा, श्रीनगर, बदरीनाथ में फ्लड वार्निंग सिस्टम की कोई योजना सरकार बना रही है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

यहां तो सेंट्रल स्टेशन बनाया जायेगा। वहां से कई जगह कंट्रोल किया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि जब अलकनन्दा में पिछले वर्ष बाढ़ आयी थी जिसमें बहुत बड़ी हानि हुई थी तो केन्द्रीय सरकार ने एक जांच कमेटी बैठायी थी जिसने इस बात की जांच की थी, उस जांच कमेटी ने कुछ सुझाव दिये हैं इस विषय में कि ऐसे स्टेशन कायम किये जायं फ्लड कंट्रोल के लिए ? यदि हां, तो क्या उन पर आप विचार कर रहे हैं ?

श्री रामलखन—

अभी तक इस सम्बन्ध में जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस बात को देखते हुए पिछली बार अलकनन्दा की बाढ़ से नहरों में सिल्ट आ गयी थी, सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा था तो क्या सरकार एक ऐसा इनफार्मेशन सेंटर पहाड़ में कायम करने की व्यवस्था करेगी कि जब नदी में पानी आना शुरू हो उसकी इत्तला हो जाया करे ताकि जो घटना इसके पूर्व घट चुकी है, उस घटना को अवायड किया जा सके ?

श्री रामलखन—

उसी चीज की जांच करने के लिये हरिद्वार में वार्निंग स्टेशन लगाया जा रहा है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उनको विदित है पिछली बार बेलाकूची में भयंकर बाढ़ आयी थी तब श्रीनगर में नौ घंटे में, ऋषीकेश में ग्यारह घंटे में और हरिद्वार में ११ घंटे में पहुंची थी, अगर वहां पर किसी प्रकार का केन्द्र स्थापित कर दिया जाता तो जो क्षति हुई है वह बचायी जा सकती थी, इसके लिये सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन ने फ्लड कंट्रोल स्टेशंस, वार्निंग स्टेशंस बनाने की अपने यहां व्यवस्था की है, तो माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह इस व्यवस्था को अपने प्रदेश में लगाने के लिये सेंट्रल पावर कमीशन को लिखेंगे ?

श्री रामलखन—

सेंट्रल को लिखा गया है और पुनः लिख दिया जायगा।

गंग नहर में मिट्टी के भरने से हानि

*११—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गत वर्ष गंग का नहर मिट्टी से भर गई थी जिससे किसानों को तथा सरकार को बहुत बड़ी हानि हुई थी ? यदि हां, तो इस वर्ष इससे बचने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री रामलखन—

जी हां। इस वर्ष वर्षाकाल में नहर लाने के लिये नये रेगुलेशन के आदेश जारी किये गये हैं जिसके अन्तर्गत नहर के पानी में रेत की मात्रा की प्रतिदिन नाप की जाती है तथा उसके अनुसार नहर को बन्द या चालू किया जाता है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१२-१३—श्री हरनारायण—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

राज्य के सर्किट हाउसेज में कमरों का सुरक्षित किया जाना

*१४—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सर्किट हाउसेज में कुछ ऐसे भी कमरे हैं जो दौरे पर गये राज्य मन्त्रि परिषद् के सदस्यों को ठहरने के लिये आबंटित नहीं किये जाते हैं किन्तु उनमें राज्यपाल तथा प्रादेशिक सरकार के उच्च अधिकारी ठहर सकते हैं ? क्या बरेली सर्किट हाउस में कोई इस प्रकार का कमरा है ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं ।

नहर विभाग में जिलेदारी पद पर नियुक्तियां

*१५—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, सन् १९६९ में नहर विभाग में जिलेदारी पद की जो परीक्षा हुई थी उनमें से कितने लोगों की उक्त पद पर नियुक्ति हो गई और कितने लोग शेष हैं तथा उनकी नियुक्ति न होने का क्या कारण है ?

श्री रामलखन—

जिलेदार के पद पर नियुक्ति सिंचाई विभाग में कार्य करने वाले अमीनों को पदोन्नति करके की जाती है । किन्तु वे ही अमीन प्रोन्नति के पात्र होते हैं जिनकी विभाग में कम से कम ७ वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जो निर्धारित अर्हता परीक्षा पास कर चुके हों । दिसम्बर, १९६९ में जो अर्हता परीक्षा ली गई थी उसमें १८३ अमीन उत्तीर्ण घोषित हुये थे । इनकी जिलेदार के पद पर नियुक्ति नियमानुसार गठित चुनाव समिति द्वारा 'अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये ज्येष्ठता" के आधार पर की जाती है । इस समय तक १७ अमीनों की नियुक्ति जिलेदार के पदों पर की जा चुकी है और जैसे जैसे रिक्तियां होती जायेंगी अन्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जायगी ।

कानपुर से सलोन वाया ऊंचाहार बस चलाने की योजना

*१६—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर से सलोन वाया ऊंचाहार बस चलाने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसको कब तक लागू किया जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं । कानपुर से सलोन वाया ऊंचाहार रोडवेज बस चलाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

रायबरेली जिले के सलोन स्थान में बस स्टेशन

*१७—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत सलोन में राजकीय परिवहन विभाग का बस स्टेशन बनाने के लिये जमीन आदि का सर्वेक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई और कब तक बस स्टेशन बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। सलोन में बस स्टेशन निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि का चयन कर लिया गया है। इस भूमि की अध्याप्ति के लिये लन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस स्टेशन का निर्माण कार्य भूमि अध्याप्ति के पश्चात् ही किया जायेगा।

*१८-१९—श्री सूरज लाल—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

मुरादाबाद जिले में राजकीय नलकूप

*२०—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि मुरादाबाद जिले में कितने राजकीय नलकूप वर्ष १९७०-७१ में स्वीकृत हुये हैं? और उनमें से कितने नलकूप गंगेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र में लगाये जायेंगे और कब तक?

श्री रामलखन—

वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में जिला मुरादाबाद के लिये २५ राजकीय नलकूप आबन्टित किये गये और इनमें से गंगेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी नलकूप नहीं बनाया गया।

मुरादाबाद जनपद में रहरा से छपना तक सड़क निर्माण

*२१—श्री जितेन्द्र पाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद जनपद में रहरा से छपना मार्ग पर जो सड़क निर्माण हो रहा है, इसके बीच किसी हरिजन बस्ती को उखाड़ा जा रहा है? यदि हां, तो उनके लिये क्या कार्यवाही करेगी?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं।

*२२—श्री तिरमल सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*२३—श्री राम सिंह—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

बस्ती जिले के कुदरहा ब्लाक में रामपुर ग्राम के किनारे बंधे का निर्माण

*२४—श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के कुदरहा ब्लाक के रामपुर ग्राम के किनारे से रामजानकी रोड से एक बन्धा पेडरिया तक बना है जिसकी लम्बाई १ मील है? क्या यह सही है कि यदि वह बन्धा आगे गागर गाढ़ तक तिलक पुर होते हुये बनवा दिया जाय तथा रामपुर से पेड़रिया तक जो पुराना बन्धा है रिपेयर करा दिया जाय तो करीब चालीस गांव बाढ़ के प्रकोप से बच जायेंगे? शासन इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगा?

श्री रामलखन—

जी हां।

जी नहीं।

कोई कार्य वाही विचाराधीन नहीं है।

*२५—श्री भाभी यादव—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*२६—श्री भाभी यादव—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२७–२८—श्री सिया राम—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*२९–३०—श्री प्रताप नारायण तिवारी—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ताओं एवं ओवरसियरों की नियुक्तियां

*३१—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने समाचार पत्रों में २२ जुलाई, १९७० में सहायक अभियन्ताओं के पद के लिये अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र मांगा था और उन्हीं दिनों अगस्त, १९७० में ओवरसियरों के पद के लिये भी आवेदन-पत्र मांगा था, उसी से सम्बन्धित १३ सितम्बर, १९७० के नेशनल हेराल्ड, दैनिक के विज्ञापन में पूर्व विज्ञप्ति के सम्बन्ध में यह उल्लिखित किया कि ओवरसियर पद के लिये जिन अभ्यर्थियों ने इंजीनियरिंग डिप्लोमा में पढ़ते समय प्राविधिक शिक्षा निदेशालय से (सरकार से) ऋण लिया हो वे अपना नाम पूर्ण पुष्टि पत्र के साथ कार्यालय के अधिष्ठान को सूचित करें ? क्या इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी गई ? अगर हां, तो यही शर्त सहायक अभियन्तायों के पद के लिये न रखने का क्या कारण है ? जब कि उन्होंने भी ऐसा ही ऋण लिया है ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। ओवरसियरों के लिये मुख्य अभियन्ता स्वयं नियुक्ति अधिकारी हैं। अतः उन्होंने प्रश्न में उल्लिखित शर्त ओवरसियरों के लिये लगा दी थी। सहायक अभियन्ताओं की नियुक्ति शासन से होती है और शासन ने इस प्रकार की कोई शर्त नहीं लगायी।

*३२—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

*३३—श्री राम लगन दुबे—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*३४–३५—श्री महराम सिंह—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

तहसील खार, जिला रामपुर में कोसी नदी द्वारा घड़ियाल बांध का टूटना

*३६—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला रामपुर की तहसील खार में कोसी नदी द्वारा घड़ियाल बांध टूटने एवं रुस्तम नगर के कटाव को रोकने के लिये क्या योजना बनाई जा रही है ?

श्री रामलखन—

वर्षा के पश्चात् पूरा सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कराके कटाव को रोकने के लिये योजना बनाना विचाराधीन है। इस समय उसकी कोई रूप रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती

*३७—श्री राम लखन सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*३८—श्री गोपाल दत्त ओझा—]

[८ वें बुधवार में ता०प्र० ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३९—श्री राम लगन दुबे—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

इलाहाबाद की तहसील हंडिया तथा फूलपुर ब्लाक में नलकूप

*४०—श्री राजितराम पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि जिला इलाहाबाद की तहसील हंडिया में तथा फूलपुर ब्लाक में सन् १९६९–७० से अब तक किन-किन गांवों में नलकूप लगाये गये तथा उनमें से कितने नलकूपों ने पानी देना प्रारम्भ कर दिया तथा कितने पानी नहीं दे रहे हैं और क्यों ?

श्री रामलखन—

इलाहाबाद जिले के तहसील हंडिया व फूलपुर ब्लाक में वर्ष १९६९–७० से अब तक (४ अगस्त, १९७१) ७५ नलकूप लगाये गये। इनमें से जो पानी दे रहे हैं और जो नहीं दे रहे हैं तथा क्यों नहीं दे रहे हैं, का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११७८ पर)

इलाहाबाद के प्रतापपुर ब्लाक में राजकीय नलकूप

*४१—श्री राजित राम पांडेय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या इस वित्तीय वर्ष में जिला इलाहाबाद के प्रतापपुर ब्लाक में स्थित ग्राम महरछा, बरियांवां, मझियारी, पिड़ौना, ज्ञानपुर-बांडी, गौहरपुर सै-हुदा-सायर तथा सोईराई में भी राजकीय नलकूप लगाये जायेंगे ?

श्री रामलखन—

जी नहीं।

*४२–४३—श्री राम गोपाल संड—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

जनरल मैनेजर, रोड़वेज, कानपुर का अधिक से अधिक कानपुर में रहना

*४४—श्री राजितराम पांडेय—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि वर्तमान जनरल मैनेजर, रोडवेज, कानपुर को कानपुर ही में कार्य करते हुये निर्धारित अवधि से कहीं अधिक समय व्यतीत हो चुका है फिर क्या कारण है कि उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राजकीय रोडवेज, कानपुर क्षेत्र में वर्तमान प्रधान प्रबन्धक १७ जुलाई, १९६८ से नियुक्त हैं। साधारणतः ऐसे अधिकारियों का स्थानान्तरण तीन वर्ष पूरा करने पर किया जाता है, किन्तु प्रशासकीय कारणों से इन अधिकारी का अभी स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

आतारांकित प्रश्न

१—श्री सजीवन लाल—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

२—श्री प्रताप नारायण तिवारी—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

३—श्री राजितराम पांडेय—

[८वें बुधवार के लिय स्थगित]

गोरखपुर क्षेत्र की राजकीय बसें

४—श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजकल गोरखपुर रीजन में कुल बसों की संख्या क्या है? उनमें से कितनी रोड पर चल रही है और कितनी बेकार पड़ी हुई हैं?

श्री बलराम सिंह यादव—

राजकीय रोडवेज, गोरखपुर क्षेत्र में इस समय कुल बसों की संख्या ३२५ है । इसमें से २६४ बसें सड़क पर चल रही हैं और ६१ बसें आफ रोड मरम्मत में हैं ।

५—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित]

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्रसमिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गांव पंचायत तथा क्षेत्र समिति (कार्यकाल का विस्तारण) विधेयक, १९७१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक ११ अगस्त, १९७१ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक १६ अगस्त, १९७१ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २१ अगस्त, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का १८ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से घोषणा करता हूं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक ११ अगस्त, १९७१ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक १६ अगस्त, १९७१ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २१ अगस्त, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का १९ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उ० प्र० बिक्री- कर (संशोधन तथा वैधीकरण) विधेयक, १९७१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक ११ अगस्त, १९७१ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १७ अगस्त, १९७१ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २१ अगस्त, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का २० वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक ११ अगस्त, १९७१ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक १२ अगस्त, १९७१ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २२ अगस्त, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का २१ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भांडार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, १९७१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक १४ जुलाई, १९७१ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक १६ जुलाई, १९७१ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २२ अगस्त, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का २२ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक, १९७१

सचिव, विधान सभा—

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम (अर्जन) विधेयक, १९७१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक १६ अगस्त, १९७१ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक १८ अगस्त, १९७१ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २२ अगस्त, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का २३ वां अधिनियम बन गया ।

प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सहायता के संबंध में जानकारी

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा कि सरकार की तरफ से यह बात नहीं बतलाई जा सकी कि इस प्रदेश को इस अभूतपूर्व बाढ़ के समय केंद्रीय सरकार ने इस प्रदेश को क्या सहायता दी । आपको स्मरण होगा, यह बतलाया गया था कि ५ करोड़ रुपया कुल केंद्रीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार ने इतने बड़े प्रदेश को दिया । अखबारों में आपने देखा होगा कि बिहार में बाढ़ के संबंध में केंद्र की ओर से एक स्टडी टीम गई लेकिन यह ज्ञात नहीं हो सका कि इस प्रदेश में भी कोई स्टडी टीम आई या नहीं । अतएव, सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि केन्द्र सरकार की तरफ से इस प्रदेश में बाढ़ के संबंध में कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? और क्या सहायता इस प्रदेश को प्राप्त हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

बाढ़ के संबंध में मैं हर सप्ताह वक्तव्य की इजाजत दे देता हूं । क्या इस सप्ताह में उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

वक्तव्य तो दिया लेकिन सवाल है केंद्रीय सरकार की सहायता का । वित्त मंत्री जी मौजूद हैं । वह बतला दें कि बाढ़ के सिलसिले में केंद्रीय सरकार से इस प्रदेश को कितनी सहायता उपलब्ध हुई है । इससे जानकारी और हौसला बढ़ जायगा बाढ़ पीड़ितों का । अतः इस ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, जैसे कि सदन को पहले भी अवगत कराया जा चुका है कि लगभग ६५ करोड़ रुपये की सहायता की मांग केंद्र से की गई थी । उसमें से अभी तक साढ़े छः करोड़ रुपया मिल चुका है और बाकी के लिये उन्होंने आश्वासन दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

और मिलने की उम्मीद है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सूचना तो है।

भारतीय क्रिकेट टीम की इंगलैंड में प्रथम बार टेस्ट मैच में रबर विजय पर बधाई का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

माननीय नित्यानन्द जी ने यह सजेस्ट किया था कि भारतीय क्रिकेट टीम जो कि विजयी हुई है, उसके संबंध में एक कांग्रेचुलेशन का प्रस्ताव इस सदन से पास हो जाना चाहिये था । (माननीय वित्त मंत्री जी से) आप उस प्रस्ताव को लायें ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा, भारतीय क्रिकेट टीम की इंग्लैन्ड में प्रथम बार टेस्ट मैच में रबर-विजय पर हर्ष प्रकट करती है । भारतीय टीम के कप्तान व खिलाड़ियों की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए हार्दिक बधाई देती है कि हमारे इन उदीयमान खिलाड़ियों ने भारत की टीम को विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम के स्तर पर लाकर देश का नाम उज्जवल किया है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष—

क्या आपको इस पर नहीं बोलना है ।

*श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, मेरा इसी प्रस्ताव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है । उत्तर प्रदेश विधान सभा में जितने भी प्रस्ताव आज तक पास हुए हैं वे सभी हास्यास्पद हो गये हैं और उनको किसी ने संरक्षण नहीं प्रदान किया है । मान्यवर, आज के सारे समाचार-पत्रों में आप देख के जिनमें लिखा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें हिन्द-सोवियत संधि पर प्रस्ताव पास हुआ है किन्तु इस उत्तर प्रदेश विधान सभा ने बंगला देश को रिकाग्निशन देने के संबंध में और शेख मुजीबुर्रहमान की मुक्ति के बारे में जो प्रस्ताव पास किया था जिसमें मुख्य मंत्री भी मौजूद थे, उस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है । तो मैं इस सदन के सदस्य होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह उत्तर प्रदेश विधान सभा कांग्रेस (आर) की पार्टी मीटिंग हो गई है कि आप क्रिकेट, हाकी और फुटबाल आदि पर तो प्रस्ताव पास कर लें और हमारा एक भी प्रस्ताव इम्प्लीमेंट न हो । भारतीय क्रिकेट टीम की इंगलैंड में विजय प्राप्त हुई है उस पर तो गर्व सारे भारत को है कि हमारे नौजवान जिन्हें कि स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है उन सभी का सीना गर्व से फूल गया है किन्तु हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे उत्तर प्रदेश विधान सभा में जितने भी प्रस्ताव पास किये जाते हैं उन्हें यह सरकार गम्भीरता से नहीं लेती है और उन्हें फेंक दिया जाता है । तो ऐसे प्रस्तावों को पास करने से लाभ ही क्या है । मुझे इस प्रस्ताव में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आज का दिन भारतवर्ष के 50 करोड़ इन्सानों के हर्ष का दिन है । यह हर्ष का दिन इसलिये भी है कि हमने आज एक ऐसी विजय प्राप्त की है जो कि संसार के अन्दर भारत की क्रिकेट टीम को सर्वश्रेष्ठ बन गई है । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सदन से निवेदन करता हूं कि यह हमारा जो बधाई का प्रस्ताव है और उसकी जो भावनायें हैं उसको क्रिकेट टीम के कप्तान और खिलाड़ियों को भी भेज दी जाय । श्रीमन्, कुछ दिन पहले भारत ने वेस्ट इन्डीज से बड़ी विजय प्राप्त की थी और उसके बाद यह दूसरी बड़ी विजय प्राप्त की है । इंगलैंड की वह टीम जो कि संसार की सबसे बड़ी विश्व-विजयी टीम मानी जाती है, उसको हराया है । मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव कोई विवाद का विषय नहीं हो सकता, इसको हम लोग सर्वसम्मति से पास करें और जो अपना हर्ष और बधाई है वह उनके पास भेजें । मैं चाहूंगा कि आप हमारे दल की ओर से हमारी भावनाओं को व्यक्त करें ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, क्रिकेट मैच में हिन्दुस्तान की टीम के संबंध में, उसकी जीत के संबंध में जो यह प्रस्ताव लाया गया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं । सचमुच यह देश के लिये हर्ष और गौरव की बात है कि इंगलैंड की सरजमीन पर बहुत वर्षों के बाद यह पहली इस तरह की जीत हुई है और हम सब का सर इस खेल के मैदान में भी ऊंचा हुआ है, इसलिये यह प्रस्ताव तो सर्वसम्मति से पास होना ही चाहिये, इसमें किसी का विरोध नहीं हो सकता । मैं इसको फिर अपना हार्दिक समर्थन देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा भारतीय क्रिकेट टीम की इंगलैंड में प्रथम बार टेस्ट मैच में रबर विजय पर हर्ष प्रकट करती है। भारतीय टीम के कप्तान व खिलाड़ियों की भूरि-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भरि प्रशंसा करते हुये हार्दिक बधाई देती है कि हमारे इन उदीयमान खिलाड़ियों ने भारत की टीम को विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम के स्तर पर लाकर देश का नाम उज्जवल किया है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री परमाई लाल द्वारा अपने जीवन की असुरक्षा के सम्बन्ध में सूचना

श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)—

व्यवस्था का प्रश्न है। ३० तारीख को यह सदन समाप्त होने जा रहा है । मैं बराबर क्वेश्चन करता चला आया हूं मेरा आजतक एक क्वेश्चन नहीं आया है । पुलिस प्रशासन पर जब मैं बोल रहा था और यह कह रहा था कि कत्ल, चोरी, डकैती, बराबर बढ़ती चली जा रही है और मैं आलोचना कर रहा था तो उस दिन से मुझे खतरा पैदा हो गया है मेरी बात सुन लीजिये । उस दिन से मुझे पता चला है कि नयी कांग्रेस में पुरानी कांग्रेस से आने . . . बात तो सुन लीजिये, मेरा घिराव हुआ । मैंने विधान सभा में ऐलान किया था मैं पुरानी कांग्रेस में . . . कहा गया कि कोई सूचना नहीं है कि आप उधर चले गये हैं । इसमें चोरी, डकैती . . .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । कल मैंने कह दिया था कि लिख कर दे दें . . .

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

आपको आवेश में नहीं आना चाहिये, श्रीमन् । यह बड़ा गम्भीर मामला है व्यक्तिगत ।

श्री अध्यक्ष—

आपने लिख कर दिया है ? मैंने कहा था कि लिख कर दे दीजिये, मुख्य मंत्री से बात करूंगा, यह कल कह चुका हूं । आपने लिख कर नहीं दिया है ।

श्री परमाई लाल—

मेरी बात सुननी चाहिये . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं सुनूंगा नहीं, यहां बोलने नहीं दूंगा । मैं इजाजत नहीं दूंगा, आप लिख कर दीजिये ।

श्री परमाई लाल—

जिस दिन इन्दरा जी का प्रदर्शन का दिन ठीक हुआ था जिले में प्रदर्शन हुआ था और मेरे क्षेत्र के दो आदमी गोली से उड़ा दिये गये . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री परमाई लाल—

इस वक्त मैं सूचना दे रहा हूं, आप सुनिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये . . . . .

(व्यवधान)

अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ कर चले जांय।

(व्यवधान)

मै आपको बोलने की अनुमति नहीं देता हूं।

प्रतिनिहित विधायन समिति का मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण (संशोधन) नियमावली, १९७० से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचम विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण (संशोधन) नियमावली, १९७० से सम्बन्धित द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, इस अवसर पर मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि प्रस्तुत प्रतिवेदन के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालूं। मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे मेरे निवेदन को किसी कदर ध्यान से सुनें। मेरा यह निश्चित मत है कि इस सदन को प्रतिनिहित विधायन के निर्माण के सम्बन्ध में शासन पर कड़ी निगाह रखनी चाहिये। अन्यथा शासन इस महत्वपूर्ण कर्त्तव्य के निर्वहन में उदासीनता और लापरवाही बरतेगी और इस तरह की मनोवृत्ति श्रीमन्, बढ़ती जायेगी।

समिति का निश्चित मत है कि शासन का यह कर्त्तव्य है कि जो नियमावली प्रचलित की जाय वह शीघ्र से शीघ्र सदन के पटल पर रखनी चाहिये और तत्पश्चात प्रतिनिहित् विधायन समिति को उसी अवधि के अन्दर जिसमें इस सदन को संशोधन करने का अधिकार है, उसका प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिये। इससे दो लाभ होंगे। एक तो यह कि प्रस्तुत नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करते समय सदन को प्रतिवेदन में व्यक्त विचारों का लाभ मिलेगा और दूसरा लाभ होगा कि नियमावली के अन्दर जो संशोधन प्रस्तावित होंगे, उनको अंगीकृत करने का अवसर सदन को प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार ठीक समय के अन्दर समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिये कुछ न्यूनतम सुविधायें समिति को मिलनी बहुत आवश्यक है। साथ में शासन का यह आश्वासन प्राप्त होना चाहिये कि समिति को उसके सारे विभाग पूर्ण सहयोग देंगे। समिति की जो व्याख्यात्मक टिप्पणी होती है उसका जवाब सम्बन्धित विभागों से निश्चित समय के अन्दर मिल जाना चाहिये।

प्रस्तुत नियमावली की विज्ञप्ति २१ अगस्त, ७० को हुई थी लेकिन यह नियमावली सदन में १७ अगस्त, ७१ को, सदन के पटल पर रखी गयी। इस बीच में सदन के इस विधान सभा के दो सत्र हुये और लगभग एक वर्ष की अवधि बीत गयी। इस नियमावली को सदन में प्रस्तुत करने में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से विलम्ब हुआ जिसका कि वे कोई कारण नहीं दे पाये। प्रस्तुत नियमावली की प्रस्तावना उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा ३४२ तथा ५४० है। कथित धारा ३४२ उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन संशोधन अधिनियम १९६६ की धारा १५ केअनुसार ३०-१२-६६ से निलम्बित है। इतना ही नहीं मूल नियमावली सदन में ७ जुलाई, ६७ को प्रस्तुत की गयी। उस समय भी श्रीमन्, कथित धारा ३४२ निलम्बित थी। इस तरह से स्वायत्त शासन विभाग ने तीन गम्भीर भूलें की हैं। एक तो यह कि ७ जुलाई, ६७ को मूल नियमावली इस सदन में प्रस्तुत की गयी। जिस समय उसकी प्रस्तावना के निर्देश ३४२ धारा में दिये गये थे, वह धारा उस वक्त निलम्बित थी। दूसरी

बीज यह कि कथित निलम्बित धारा 342 का प्रयोग करके स्वायत्त शासन विभाग की मूल-नियमावली के अन्तर्गत संशोधन किया।

मान्यवर, जिस समय उक्त संशोधन नियमावली की गई उस समय भी कथित धारा निलम्बित थी। अब यह इस विभाग के तीन कृत्य लापरवाही के द्योतक हैं जो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं हैं। समिति ने शासन से अनुरोध किया है कि शासन इस ओर कड़े कदम उठाये जिससे भविष्य में इस प्रकार की भूल की पुनरावृत्ति न हो सके। मान्यवर, समिति ने अतिरिक्त विधि परामर्शदात्री श्री गोयल के संबंध में अपना आभार प्रकट किया है कि उन्होंने समिति को आश्वस्त किया कि भले ही इस नियमावली की प्रस्तावना में निर्देश गलत हों लेकिन यह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका के अधिनियम की धारा 115 (26) के साथ पठित 124 के अन्तर्गत बनाये जा सकते हैं। अतएव, इसकी वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मान्यवर, समिति का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह यह सोचे कि किस नियमावली की वैधता क्या है वह यह देखे कि इसका निर्माण ठीक हुआ है या नहीं और वह ठीक समय पर प्रस्तुत की गई है या नहीं। मान्यवर, समिति को इस बात पर आपत्ति है कि इस नियमावली को 1-4-68 से अनुदर्शी प्रभाव दे दिया गया है। प्रतिनिहित विधायन का सिद्धान्त है इस प्रकार से अनुदर्शी प्रभाव देना निषिध है जब तक मूल अधिनियम में इस प्रकार का अधिकार स्पष्ट शब्दों में न दे दिया गया हो। स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों नें इसको स्वीकार किया है कि इसका कोई कारण नहीं था। बहुत सी त्रुटियां इस नियमावली में हैं जो बहुत गम्भीर हैं और अधिकारियों की लापरवाही का द्योतक हैं। समिति को खेद है कि इस नियमावली को न्याय विभाग से विधीक्षण भी कराया गया फिर भी इसमें बहुत सी त्रुटियां रह गई। स्वायत्त शासन विभाग तथा न्याय विभाग ने जिस लापरवाही का परिचय दिया उससे समिति को खेद है। समिति ने शसन से अनुरोध किया है कि शासन इस प्रकार के कड़े कदम उठाये जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो। इन शब्दों के साथ में इस प्रतिवेदन को सदन समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति (१९७०-७१) का सातवां प्रतिवेदन

श्री निर्भयनारायण सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं प्राक्कलन समिति के सदस्य की हैसियत से उत्तर प्रदेश पंचम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1970-71) का सातवां प्रतिवेदन (आय-व्ययक के रूप में सुधार से संबंधित तृतीय विधान सभा जी प्राक्कलन समिति (1966-67) के उन्नीसवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही) प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने के साथ-साथ निवेदन है कि अभी तक इस रिपोर्ट की मुद्रित कापियां उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। उनके उपलब्ध होने पर विचार विमर्श के अगले सप्ताह में एक दिन निश्चित किया जाय।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के चुनाव में निर्वाचित सदस्यों क सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मै सूचना देता हूं कि कल माध्यमिक शिक्षा परिषद् के चुनाव में माननीय मोहनलाल कपूर और डूंगरसिंह विष्ट चुने गये।

जिला कानपुर के ग्राम कमालपुर की १४ वर्षीय लड़की, राजेश्वरी को जलाकर हत्या करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह उप-मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

मान्यवर,

दिनांक 16–8–71 को सात बजे शाम श्री मोती लाल, पुत्र छिद्दू थाना महाराजपुर, जिला कानपुर, ने थाना महाराजपुर पर इस आशय की सूचना दी कि उसी दिन जब वह अपनी पुत्री, कुमारी राजेश्वरी (न कि रामकिशोरी) को छोड़ कर खेत में काम करने चले गये तब करीब दो बजे दिन में शम्भू, पुत्र बौरा, शम्भू की पत्नी, देवन की पत्नी और सुन्दर की लड़की ने मिलकर उसकी पुत्री राजेश्वरी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। बादी के अनुसार उसकी पुत्री, राजेश्वरी ने इस का कारण यह बताया कि उसने अपने दरवाजे पर बेझर फैला दी थी जिसे शम्भू का बकरा बार-बार खा रहा था और राजेश्वरी के मना करने पर पहले गाली गलौज और तदुपरान्त जलाने वाली घटना हुई। राजेश्वरी के चिल्लाने पर कुछ अन्य लोगों ने जाकर आग बुझाई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि बदमाशों ने लड़की को उठाकर अन्यत्र ले जाने का कोई प्रयास किया।

2—इस घटना के सम्बन्ध में थाना महाराजपुर पर धारा 326 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा कायम करके तत्काल जांच आरम्भ की गई। कुमारी राजेश्वरी को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। दिनांक 17–8–71 को चारों अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया जो दिनांक 19–8–1971 को न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिये गये हैं। विवेचना की जा रही है। इस घटना से इलाके में कोई उत्तेजना व भय व्याप्त नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस लड़की के ऊपर तेल छिड़क कर जलाने की घटना को जो कि इतनी असाधारण घटना है इसमें 307 में मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया, 326 में क्यों कायम किया गया? क्या उसे जान से मारने के इरादे से नहीं जलाया गया था?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

यह सही है कि मुकदमा धारा 326 में दायर हुआ है। चूंकि लड़की अस्पताल में अन्डर आबजर्वेशन है, जैसे ही रिपोर्ट आ जायगी मुकदमा धारा 307 में बदलने के लिये हमने कह दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब यह मुकदमा दर्ज हुआ उस समय धारा 307 में दर्ज न करने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे? क्योंकि यदि धारा 307 में मुकदमा दर्ज हुआ होता तो इन अभियुक्तों की जमानत न होती। तो इसकी जांच कराने का आश्वासन देंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसकी भी जांच करा लेंगे।

श्री श्र कृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

जब कानपुर में आये दिन कत्ल, डकैतियां और चोरियां बढ़ रही हैं और बलात्कारहो रहे हैं, रिश्वतखोरी का भी बाजार गर्म है और इस सदन की कार्यवाही अगर देखी जाय तो उससे भी

पता चलेगा कि कानपुर के भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में निरन्तर प्रश्न आते रहते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी जो पुलिस अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार हैं उनको वहां से स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अगर माननीय सदस्य कोई और विशेष जानकारी देंगे जिसमें कोई हो तो हम सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ पूरी कार्यवाही करेंगे ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी इस घटना से संबंधित रिपोर्ट को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें लिखा है कि बदमाशों ने लड़की को उठा कर ले जाने का प्रयत्न किया और मंत्रीजी कहते हैं कि यह रिपोर्ट में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री जी से) वह एसर्ट कर रहे हैं तो फिर से जांच करा लें ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन् एफ० आई० आर० पढ़ दें ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

वह रिपोर्ट इस प्रकार से है कि :

सेवा में,

श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय, महाराजपुर, कानपुर ।

महोदय,

निवेदन है कि आज दिनांक 16–6–71 को मैं अपनी लड़की राजेश्वरी को छोड़कर खेत पर काम करने के लिये चला गया । करीब दो बजे दिनमें शम्भू पुत्र गोरा, सुखी पत्नी शम्भू व देवन की पत्नी व सुन्दर की लड़की ने मिलकर मेरे लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया । जब मुझे खेत पर पता चला कि राजेश्वरी को उपरोक्त आदमियों ने जला दिया है तो भागकर घर आया देखा कि मेरी लड़की चिल्ला रही है । मैंने पूछा क्या बात है लड़की ने बताया कि शम्भू व शम्भू की औरत व देवन की औरत तथा सुन्दर की लड़की ने मुझे जला दिया है । मैंने पूछा आखिर क्यों जलाया है तो उसने बताया कि आज सवेरे दरवाजे पर बेझड़ फैला दिया था । उस बेझड़ को शम्भू का बकरा खा रहा था । मेरे बार-बार मना करने पर वह नहीं माना । तब हमने गाली दिया । गाली गलौज के बाद उपरोक्त व्यक्तियों ने मिलकर पकड़ लिया और मिट्टी का तेल डालकर जला दिया तथा शम्भू ने कहा कि अभी देख लेंगे जो कुछ होगा । यह भी धमकी दी । जिस समय उपरोक्त व्यक्तियों ने जलाया उस समय मेवालाल पुत्र राम लाल पासी व छुटकऊ पुत्र गुरदीन ने मेरे चिल्लाने पर आकर आग बुझाई । अतः प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्यवाही के लिये प्रेषित है ।

विधायकों को मोटरकार या स्कूटर के परमिट दिये जाने के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब मोटर कार या स्कूटर के परमिट दिये जाने के सम्बन्ध में परिवहन मन्त्री का वक्तव्य होगा ।

(परिवहन उपमंत्री) श्री आबिद अली—

श्री मोतीलाल देहलवी के प्रश्न सं० ५, नत्थी (ख) के उत्तर में दिनांक ४ अगस्त, १९७१ को उन विधायकों की सूची तालिकाओं में दी गयी थी जिनको फरवरी, १९६९ से ३० अप्रैल, १९७१ तक एक से अधिक कार या स्कूटर या कार और स्कूटर के परमिट दिये गये थे। जारी किये गय परमिटों की सूचना परिवहन आयुक्त के कार्यालय में रखी जाती है। उक्त कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर उत्तर दिया गया था। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि चर्चित उत्तर के साथ संलग्न तालिका में जो सूचना दी गयी है उसमें गलतियां हैं। तालिका में दी गयी सूचना की छानबीन करायी गयी। श्री देहलवी के प्रश्त में माननीय विधायकों को दिये गये परमिटों (आवंटन पत्रों) की सूचना मांगी गयी थी। छानबीन करने पर निम्न दो त्रुटियां पाई गयीं जिनके लिये मुझे खेद है —

(१)) तालिका १ के क्रम २ और तालिका २ के क्रम ३ पर श्री भानुप्रताप सिंह, बरेली के नाम दो फिएट कारों के आवंटन पत्र जारी किये गये दिखाये गये थे। इनमें से फरवरी-अप्रैल, १९७० के कोटे से जो एक आवंटन पत्र दिया गया था वह श्री भानु-प्रताप सिंह, विधायक, बस्ती के हैं।

इस मामले में माननीय विधायकों के एक ही नाम होने के कारण सूचना संकलित करने में कार्यालय से त्रुटि हुई।

(२) तालिका ३, क्रम संख्या १४ पर श्री महीरजध्वज सिंह के नाम दो आवंटन पत्र एक ही कोटे से दिखाये गये हैं। यह टाइपिंग में गलती हुई है क्योंकि उस कोटे से एक ही आवंटन पत्र लम्ब्रेटा स्कूटर का उनके नाम जारी किया गया।

सरकारी कोटे से कारों और स्कूटरों के एलाटमेन्ट की प्रणाली के बारे में माननीय सदस्यों न जानकारी चाही है। कारों और स्कूटरों का कोटा तिमाही बार मिलता है। इस समय कारों का साधारणतः कोटा १५ फियट और २० एम्बैसेडर कार है और २० वैस्पा और २० लम्ब्रेटा स्कूटर है। प्राप्ति की यह संख्या इतनी अपर्याप्त है कि राज्य भर से इस कोटे में से आवंटन के लिये मांग करने वाले सभी लोगों को संतुष्ट करना किसी भी प्रणाली के अनुसार संभव नहीं हो सकता। १९६७ में यह प्रयास किया गया था कि इस कोटे से आवंटन के लिये कुछ नियम बनाये जाये किन्तु यह व्यवहारिक न होने के कारण अमल में न लाये जा सके। १९७० में एक यह प्रयास किया गया था कि भिन्न श्रेणी की मांगों के लिये कोटा निर्धारित कर दिया जाय। किन्तु यह भी व्यावहारिक नहीं पाया गया। सरकारी कोटे से आबंटन के लिये आवे-दन पत्र का एक फार्म निर्धारित किया गया है। प्रणाली यह है कि इस फार्म पर आवेदन पत्र भर कर परिवहन आयुक्त के कार्यालय में इस का पंजीकरण कराया जाय और जब तिमाही कोटे का बटवारा हो तो इन पंजीकृत आवेदन पत्रों पर विचार कर आबंटन किया जाय। किन्तु चर्चित अवधि में कुछ माननीय विधायकों ने तो निर्धारित फार्म पर आवेदन पत्र दिये, कुछ ने बिना पंजीकृत कराये वैसे ही पत्र लिखे और कुछ विधायकों ने बिना किसी आबेदन पत्र के ही तत्कालीन मंत्रियों से मौखिक मांग करने के आधार पर आबंटन पत्र प्राप्त किये। आवेदन पत्र के निर्धारित प्रपत्र में एक स्तम्भ में यह सूचना दी जानी आवश्यक है कि आवेदन कर्ता ने पहले सरकारी कोटा या ट्रेड कोटा से कोई कार या स्कूटर तो प्राप्त नहीं किया है। यदि सभी लोगों ने निर्धारित-प्रपत्र पर आवेदन पत्र दिये होते, तो यह सब पंजीकृत किये जाते और सम्भवतः दोहरे आबंटन पत्र न जारी होते। स्कूटरों के आबंटन में, यह अनुभव रहा है कि जिन माननीय विधायकों को लम्ब्रेटा स्कूटर आबंटित किया गया उन्होंने आबंटन पत्र पर स्कूटर न लेकर अगले कोटे से वेस्पा स्कूटर के आबंटन के लिये अनुरोध किया। चूंकि पहले आबंटन पत्र को उन्होंने आबंटन करने वाले अधिकारी को वापस नहीं किया, इसलिये उनके नाम दोहरा आबंटन पत्र जारी हुआ यद्यपि कुछ माननीय विधायकों ने केवल एक ही आबंटन पत्र पर स्कूटर उठाया।

चर्चित उत्तर के सदर्भ में कुछ माननीय सदस्यों ने स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। उनके बारे में स्थिति निम्नवत् है:

(१) श्री सूबेदार प्रसाद, मिरजापुर, के नाम कोई आवंटन-पत्र नहीं जारी किया गया।

(२) श्री भानु प्रताप सिंह, बरेली के नाम २ स्कूटरों और एक फियट कार के आवंटन-पत्र जारी किये गये।

(३) श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य के नाम दो स्कूटरों के आवंटन-पत्र जारी किये गये।

(४) श्री अनन्तराम जायसवाल के नाम एम्बेसेडर कारों के आवंटन-पत्र जारी किय गये जैसा कि उत्तर के साथ दी गयी तालिका में बताया गया था।

४—सदन की जानकारी के लिये यह भी बता देना आवश्यक है कि यदि किसी तिमाही के विरुद्ध सरकारी कोटे से कार या स्कूटर के लिये आवंटन-पत्र जारी किया जाता है और आवंटी परमिट पर कार या स्कूटर क्रय नहीं करता तथा आवंटन-पत्र जारी करने वाले अधिकारी को समय से यह सूचित नहीं करता कि वह आवंटन-पत्र का उपयोग नहीं कर पायेगा। सरेन्डर नहीं करता। तो तिमाही की अवधि के बाद वह कार या स्कूटर ट्रेंड कोटा में लैप्स हो जाता है। इस स्थिति में यदि किसी को सरकारी कोटे से आवंटन-पत्र प्राप्त हुआ और उसने समय से आवंटन करने वाले अधिकारी को परमिट पर स्कूटर या कार न लेने की सूचना नहीं दी तो वह कार या स्कूटर सरकारी कोट से निकल जाता है। चर्चित प्रश्न के उत्तर की तालिका में माननीय विधायकों को जारी किये गये आवंटन पत्रों का जो ब्योरा दिया गया है उसमें किन-किन आवंटन पत्रों पर कार या स्कूटर क्रय किया गया और किन परमिटों पर क्रय न करने के कारण कार या स्कूटर ट्रेड कोटा में लैप्स हो गया, इसकी सूचना मैंने संकलित करवा ली है किन्तु विस्तृत होने के कारण इसका ब्यौरा देकर सदन का समय नहीं लेना चाहता।

अन्त में सदन के माननीच सदस्यों को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि संबंधित प्रश्न के उत्तर में जो सूचना दी गयी थी उसमें केवल वस्तु:स्थिति बतायी गयी थी। किसी माननीय सदस्य पर परोक्षा या अपरोक्ष रूप से किसी लांछन का मन्तव्य नहीं था। सूचना केवल आवंटन पत्रों के बारे में मांगी गयी थी और उतनी ही सूचना दी गयी थी। एक दो मामलों में सूचना संकलित करने में जो त्रुटि हुई उसके बारे में पुनः खेद प्रकट करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि इस वक्तव्य से सरकारी कोटे से माननीय विधायकों को किये गये आवंटन के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो गई होगी।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

हमारे दल के माननीय राम करन जी ने कोई स्कूटर नहीं लिया है ....

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठें। श्री जायसवाल बोल रहे हैं।

*श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, चाह जितने जोर से कहा जाय लेकिन जो लांछन उस दिन था वही आज भी मौजूद है और कोई किसी प्रकार की इस से सफाई नहीं हुई है और यह सब मामला इतना विगड़ गया है कि इस का कोई सुधार सम्भव नहीं है। पहले मैं यह व्यवस्था उठा रहा हूं कि उस दिन यह सवाल आया और उस पर ४—८—७१ को उत्तर आया कि वह सूचना तालिका १, २, ३ में संकलित है। तालिका १ में पहले हमारा नाम है और दूसरा भानु प्रताप जी का नाम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

हमारे नाम २ एम्बैसेडर कार और श्री भानु प्रताप सिंह के नाम २ फिएट कारें हैं। यह तालिका नं० १ में है और तालिका नं० २ में वह माननीय सदस्य हैं जिन के नाम कार और स्कूटर आवंटित किये गये हैं, यह ८ व्यक्ति हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिन को एक समय में २ स्कूटर दिये गये ह, उनक नाम इस में दिये हैं। कुल मिलाकर यह २७ आदमी हैं जिस में भानु प्रताप सिंह का दो बार नाम आया है। इस तरह से यह कुल २६ व्यक्ति ही रह जाते हैं।

इसके बारे में सूचना संकलित भी कर ली है लेकिन आपको तकल्लुफ है कि ज्यादा कागज लिया जायगा और समय चला जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने एक परमिट प्राप्त करके एक ही गाड़ी ली है और वे कौन है जिन्होंने इस पीरियड में २ गाड़ियां लीं हैं या एक गाड़ी और एक स्कूटर लिया है?

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

श्रीमन्, लिस्ट तो लम्बी है। इसमें फरवरी, १९६९ से २० अप्रैल, के कोटे में एक से अधिक स्कूटर, मोटर कार जिस विधायक को एलाट हुयीहै उनके नाम हैं। दिनांक ११ सितम्बर, १९६९ को जो गाड़ी एलाट हुयी उसे माननीय अनन्तराम जायसवाल नें परचेज की। यह सूचना डीलर से ली है। दूसरी आपको अगले कोटे नवम्बर-जनवरी, १९७० में एम्बेसेडर कार मंत्री जी द्वारा एलाट हुयी, यह इन्होंने नहीं ली। परिमट जरूर इशू हुआ। फिर माननीय भानु प्रताप सिंह जी को फरवरी-अप्रेल में १५ अक्तूबर, १९७० को एक फियट कार एलाट हुयी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, इस लिस्ट को सदन में रखने के लिए आपने कहा है तो फिर इतने बड़े चिट्ठे को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। उसे सदन में रख ने दें।

श्री अनन्तराम जसवाल—

मान्यवर, इसमें गुस्से और गर्मी की जरूरत नहीं है। [जो नक्शा ये पढ़ रहे हैं, यह इनके वक्तव्य का पार्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

ये पढ़ रहे हैं लेकिन अगर आप इसको एक्जामिन करना चाहते हैं तो टेबिल पर....

श्री बंशीधर पांडेय (जिला बाराणसी)—

श्रीमन, आपने यह आदेश दिये थे कि किन-किन विधायकों को कितनी-कितनी कार और स्कूटर दिये गये और किसको नहीं दिये गये यह सूचना सदन की पटल पर मंत्री जी रखेंगे।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

इसको पढ़ने दीजिए। सबको मालूम हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

यह लिस्ट यहां पर आ जायगी। अगर वे कहते हैं कि गलत है तो फिर उस पर डिस्कशन हो जायगा। मैं इस समय पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री अनन्तराम जयसवाल—

श्रीमन्, इस सिलसिले में सबसे पहले मेरा नाम आया। माननीय बंशीधर पांडेय ने पहले सवाल किया और तब आपने आदेश दिए थे कि इसको सदन के पटल पर रख दिया जाय लेकिन उसका पालन नहीं किया गया। अगर आप आदेश दे देते हैं और मंत्री जी स्वीकार कर लेते ह कि हम सदन के पटल पर रख देंगे तो फिर.....

श्री अध्यक्ष--

अगर पहले नहीं तो अब कहता हूं कि इसको सदन के पटल पर रखा जाय ताकि जो गलतियां हों, उनको प्वाइन्ट आउट किया जा सके।

श्री कृष्णानन्द राय--

अगर उसमें कोई गलती हो तो माननीय अनन्त राम जी जायसवाल उसकी सूचना अध्यक्ष जी को दे दें।

श्री बंशीधर पांडेय--

क्वेश्चन आवर में मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने आज ही इन्हें कहा था। अपने प्रश्न में मैंने कहा था कि माननीय मंत्री जी अलग-अलग सूची रखें कि कितने-कितने विधायकों को गाड़ी व स्कूटर दिए गये हैं तो आपने कहा था कि इसकी सूची मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा था कि विस्तृत होने के कारण मैं नहीं रख सकता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय--

इन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं उनको आर्डर देता हूं कि वे रक्खें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, इतनी बड़ी फैहरिश्त है। वे नाम पढ़ दिये जायं जो मंत्रियों द्वारा अलाट हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं छांटने के लिये नहीं कहता।

श्री महीलाल--

मान्यवर, उसमें ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिन्होंने स्कूटर नहीं लिया और उनके नाम पर दो-दो लिखे हुए हैं। जैसा रामकरण जी गाजीपुर के हैं। उन्होंने एक भी नहीं लिया। उनके नाम पर दो चढ़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कुछ गलतियां मंजूर की हैं। इसका मतलब, और भी हो सकती है। इसलिये वे सूची को यहां पर रख दें।

श्री महीलाल--

मान्यवर, एक पहले दिन की गलती थी उस गलती के सुधार के लिये कहा था और अब फिर गलती। क्या मंत्री जी ने गलतियों के सुधार करने का ठेका ले लिया है?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

यह तो ठीक हो जायेगी। मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये इस लिस्ट को इस तरह से सुधार लेंगे जिसमें कोई सदस्य जब डिलीवरी एक्चुअली ले लें तब ही लिखा जाय। जैसे कृष्ण स्वरूप को एक लैम्बरेटा दिया गया। बाद में उनको वैस्पा मिल गया। उन्होंने केवल एक वैस्पा ही लिया। पर लिख दिये गये

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

दो । एक तो उस गलती को दुरुस्त कर के लाएं । दूसरा स्पष्टीकरण यह कि आगे को जो आवंटन होगा उसके लिये कोई लिखित नियमावली बना दी जाय और उसको भी सदन में लाया जाय जिसको हम देख लें और उसकी जांच के लिये एक समिति नियुक्त कर दी जाय जिसमें सदन के सदस्य हों और वे जांच कर लें ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि यह पहली बात तय हो गई कि यहां एक कमेटी बन जायेगी जिसके माध्यम से यह आवंटन हुआ करे । वह कमेटी बना दी जायेगी । पहले वह कमेटी थी, बीच में शायद उसने काम करना बन्द कर दिया था । बाद में चाहे एक मिनिस्टर को ही चाहिये कमेटी बन जाय और उसी के माध्यम से बंटा करे । और जब यह कमेटी बने उसके लिये थोड़े से नियम और संहिता बनाई जाय कि इसी हिसाब से--फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ड--यह देखा जाय कि उचित है या नहीं । उसमें एम० एल० एज० हैं, एम० पीज० हैं जिन्हें प्रायोरिटी देनी ही चाहिये । वह प्रायोरिटी तय हो जाय । डाक्टर्स हैं, वे सब चीजें बना ली जायं । जहां तक इस वक्त का मामला है मैं समझता हूं कि कई पुराने मामले हैं । अगर उसमें कोई लिस्ट बनाने की बात है तो इतनी जल्दी मैं समझता हूं कि विभाग नहीं बना सकता है ।

दो चार वर्षों के बीच में बहुतों को मिला होगा एक परमिट लिया और उस पर नहीं लिया । उसने दूसरा परमिट लिया उस पर ले लिया । कहीं लिखा हुआ है कि दो ले लिये । मुमकिन है दो परमिट लिखे हों । हो सकता है उनमें से एक लिया हो दूसरा नहीं खरीदा । लिखे हुये हैं दो परमिट । शोर मच रहा है कि दो लिये, एक कहां गया । इसकी जांच करने के लिये विभाग को समय देना चाहिये और समय दें तो पूरी तरह से उसको देखकर उसको विभाग पक्का कर ले कि डीलर जिसके यहां से लिया गया, किसने दिया है और यह भी देखें कि सचमुच परमिट जो लिया गया है उस पर लिया गया या वापिस हुआ है । मैंने खुद एक गाड़ी परमिट पर ली.....

श्री अध्यक्ष--

इन्होंने यह कहा था कि इसकी सूचना मैंने संकलित करवा ली है । और विस्तृत होने क कारण इसका ब्योरा देकर सदन का समय नहीं लेना चाहता । तो इसलिये मैं चाहता हूं कि टेबुल पर रख दें संकलित करके, वह उनके पास मौजूद है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उसके लिये समय देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

सदन के पटल पर रखने के लिये जो संकलित है इनके पास वह ठीक कर ली है इसमें जिसको गलती हुई है वह सदन को बता दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैंने सुझाव दिया था कि जांच के लिए सदन की समिति बना दी जाय । आवंटन के लिए तो आपने कहा....

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जांच किस बात की होगी । जब कोई लिस्ट आपके सामने आए तभी तो जांच की बात होगी । दो-तीन साल के मामलों की बात आप कर रहे हैं । सारे मामले इन परिवहन मंत्री के जमाने के नहीं हैं । पहले के भी है । तो पहले तो वह एक खाका आपके सामने रख दें और सदन उस पर विचार कर ले तब कोई जांच की बात हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष--

जो संकलित कर रखा है उसको रख दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

श्रीमन्, मैं मुख्य मंत्री जी के विचारों की कद्र करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न की तारीख देख लें, इनको काफी मौका मिला कि सही जवाब दे सकें। लेकिन सही जवाब के बजाय गलत जानकारी दी गयी। वह समझते हैं कि सही है और बार-बार उसी को दोहरा रहे है। तो कोई यह लापरवाह बनिए का खाता तो है नहीं। गवर्नमेंट के यहां बाकायदा रजिस्टर मे मेटेन किया जाता है और जब परमिट इश्यू होता है तो उसमें चढ़ाया जाता है। साधारण नियम यह भी है कि चार साल के अन्दर एक स्कूटर या एक गाड़ी मिल सकती है, दो नहीं मिल सकतीं। इसके बावजूद दो-दो परमिट कैसे चढ़ाए गए ? वह सदस्यों को मिले नहीं हैं लेकिन यह बार-बार उसी को पढ़ रहे हैं। आजकल तो श्रीमन्, इतना इनको संरक्षण मिल गया है कि चाहे कुछ करें, पकड़े नहीं जाएंगे। सदन भी शायद अपने को असमर्थ पाता है कुछ करने में। अखबार वाले भी शायद छापेंगे नहीं कि मुख्य मंत्री जी ने खेद प्रकाश किया। केवल यह छाप देंगे कि जायसवाल जी को दो परमिट मिले।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैं संरक्षण किसी को नहीं दे रहा हूं। मैं तो आपसे अपने लिए संरक्षण प्राप्त करना चाहता हूं। थोड़ा टाइम दे दें। मैं स्वयं भी इसको देख लूंगा। जो भी गलत या सही आंकड़े हैं उनको एक बार वेरीफाई करके यहां सदन की मेज पर रख दें तो उसमें सब निकल आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। गलत होगा तो लोग आब्जेक्शन कर देंगे। फिर उन चीजों की जांच करा ली जायगी। तो कृपा कर यह संरक्षण मुझे प्रदान कीजिए। मैं किसी को संरक्षण नहीं दे रहा हूं।

श्री कृष्णानन्द राय--

जिन विधायकों ने एक भी स्कूटर नहीं लिया है जिन के पास पैसा नहीं था, उन्हें एक-एक स्कूटर मुफ्त दे दें, तो सब झगड़ा खत्म हो जायगा।

(हंसी)

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या ३१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य, अनुदान संख्या ३२--सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ४८--बहुप्रयोनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या ४९--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (क्रमागत)†

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रदेश के उस अंचल से आता हूं जहां से गंगा और यमुना की धारा निकल कर इस प्रदेश का सिंचन करती है। लेकिन अत्यन्त अफसोस के साथ कहना पड़ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†24 अगस्त, 1971 की कार्यवाही से।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

है कि गंगा और यमुना की वह धरती जो इस प्रदेश और देश को पानी देती है, आज पानी के बिना तड़प रही है। मान्यवर, हम को जो बजट साहित्य दिया गया है उसमें आप देखें, उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने जिले हैं, उन जिलों में अगर सब से कम सिंचाई के साधनों वाला कोई जिला है तो वह हमारा जिला है ।

तीसरी योजना के अन्त तक 1.7 हजार एकड़ धरती जिला टेहरी-गढ़वाल की सिंचितथी और अब भी 1969–70 के अन्त तक भी वही 1.7 हजार एकड़ धरती सिंचित होती है। मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं, सौभाग्य है। सम्भव है वे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ व केदारनाथ की यात्रा पर गये होंगे और उन्हें मन्दाकिनी की घाटी और अलकनन्दा की घाटी को भी देखने का मौका मिला होगा। कितनी सुन्दर धरती है वहां की ? वह स्थान सोना उगल सकते हैं अगर वहां पर पानी मिल जाये, लेकिन बदकिस्मती है कि इतनी सुन्दर धरती होते हुये भी वह पानी के बगैर तड़प रही है। सरकारी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी मुझे दिखायी पड़ती है। वह गलतफहमी यह है कि पहाड़ों के अन्दर खेती नहीं हो सकती है और पहाड़ों के अन्दर कृषि का विकास नहीं हो सकता है। सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं उन को आप देखें। उत्तरकाशी जिले के अन्दर गेहूं की पैदावार प्रति एकड़ सब से ज्यादा हुई है और इसी प्रकार टेहरी गढ़वाल जिले के अन्दर प्रति एकड़ धान की पैदावार सब से ज्यादा हुई है। मेरा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि जब आप सिंचाई के साधनों की बात करते हैं तो कृपा करके पहाड़ी जिलों को भी दृष्टि में रखिये।

माननीय मन्त्री जी ने कल अपने भाषण में कहा था कि अब उत्तर प्रदेश के अन्दर और किसी जगह पर विद्युतीकरण की योजना सम्भव नहीं है और अब विद्युतीकरण की योजनाएं केवल पर्वतीय जिलों के अन्दर ही होंगी। नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। उन नदियों में बांध बनाकर प्रदेश का विद्युतीकरण किया जाये, यह ठीक है, मगर आप इतना तो सोचें कि हम आप को पानी देते हैं और आप वहां की इतनी सुन्दर धरती को बगैर सिंचाई के साधनों के तड़पा रहे हैं। बताया गया कि प्रदेश को प्रकाश देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में योजना बनायी जायेगी और टेहरी बांध का भी जिक्र किया गया। यह बांध एशिया के अन्दर सब से ऊंचा बांध होगा और इस के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर इस बांध के द्वारा 6.70 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। यह बांध 40––50 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा।

श्री अध्यक्ष––

यह बांध किस जगह है ?

श्री गोबिन्द सिंह नेगी––

यह बांध टेहरी गढ़वाल जिले में है। इतना बड़ा बांध न उत्तर प्रदेश में है, न भारतवर्ष में है, बल्कि यह बांध तो एशिया के अन्दर सब से बड़ा बांध होगा और उत्तर प्रदेश की विद्युत की 1/7 आवश्यकता यह बांध पूरी करेगा। इस बांध के लिए सरकार 10,000 एकड़ भूमि अर्जित कर रही है। इस 10,000 एकड़ भूमि में 100 गांव स्थित हैं और 25,000 जन संख्या आश्रित है। मैं मन्त्री जी से पूछता हूं कि उन्होंने उस जन संख्या के विषय में इस बजट के अन्दर क्या व्यवस्था की है। आप बजट देख लीजिये। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब तक पहाड़ों का शोषण किया गया है। हमारे यहां प्राकृतिक साधन हैं और हमेशा ही उनका एक्सप्लायटेशन किया गया है। कभी भी पहाड़ की जनता की गरीबी को दूर करने के लिए उन साधनों का इस्तेमाल नहीं किया। आज आप टेहरी गढ़वाल की

25,000 जन संख्या को वहां से निकालना चाहते हैं। गंगा की घाटी से लोगों को उजाड़ना चाहते हैं। आपको प्रकाश मिलेगा, यह अच्छी बात है और यह भी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग विकसित होंगे, लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं कि उस जन संख्या का, जो कि इस बांध के निर्माण से प्रभावित होगी, क्या होगा ? क्या आपने उन के बसाने की कोई योजना बनायी है ? मान्यवर, अब तक कोई योजना नहीं बनायी है। सरकार को लगातार हम लिखते आ रहे हैं और लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन आज भी सरकार के सामने कोई योजना नहीं है।

मान्यवर, कल रिहन्द बांध के बारे में, जो कि मिर्जापुर जिले में बना है, कहा गया। वहां पर भी बहुत से लोग प्रभावित हुए और उन की जमीन ले ली गयी। उन के पुनर्वासन की कोई योजना नहीं बनायी गयी। वे आज भी बेकार हैं और दर-दर की ठोकर खा रहे हैं।

मान्यवर, मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि मन्त्रीजी अब पहाड़ का निवासी जाग्रत हो चुका है। मान्यवर हम पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की तरह दर-दर की ठोकरें खाने को तैयार नहीं हैं। हम ने फैसला किया है कि जब तक हमारे पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेंगे हम अपने पहाड़ की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम अकेले नहीं हैं, मैं मन्त्रीजी से कह देना चाहता हूं कि उन की पार्टी की जो स्थानीय इकाई है, संगठन कांग्रेस की जो स्थानीय इकाई है, उस ने फैसला किया है कि इस में दलगत की भावना का सवाल नहीं उठेगा और इस में हम सब एक हैं। यह इस लिए किया गया है कि जितने भी बड़े-बड़े बांध बने हैं उनका हमारा तजुर्बा है कि जिन किसानों की जमीनें ली गयी हैं, आज भी वह किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि टेहरी-गढ़वाल के उखाड़े हुये किसानों का जब तक पुनर्वासन नहीं किया जावेगा, आप कितनी ही पुलिस लावें, फौज लावें, एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने दिया जावेगा।

मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि मुआवजे से काम नहीं चलने वाला है। हम को मकान की जगह मकान चाहिये, खेत की जगह खेत चाहिये। एक बात यह है कि पर्वतीय क्षेत्र में बड़ी-बड़ी विद्युत योजनायें बन रही हैं। क्या इन योजनाओं का फायदा मैदान के पूंजीपति ही उठावेंगे ? क्या इन योजनाओं से जो पर्वतीय क्षेत्र का गरीब किसान है उस को उठाने की कोई योजना है, नहीं है। योजनाओं का निर्माण हो रहा है। उत्तरकाशी में मनेरी में बांध का निर्माण हो रहा है। स्थानीय क्षेत्र के लोग जिनकी जमीन ली गयी है उनको इसके निर्माण में काम नहीं दिया जा रहा है। इसका ठेका जिस फर्म को दिया गया है वह बिहार से अर्ध गुलाम लाकर काम ले रही है।

आप तो समाजवाद की बात करते हैं, वहां पर जिस तरह से काम लिया जा रहा है वह किसी भी सरकार के लिए कलंक की बात है। सवा रुपया मजदूरी दी जाती है और चार रुपये का काम लिया जाता है। वह लोग उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसी डाम की तरह और बांध भी बनाये गये हैं। आपके जो हुक्मरान मनेरी बांध पर भेजे गये हैं, वह चौकीदार या क्लार्क की अगर वहां जरूरत पड़ती है तो अपने प्रदेश से लाते हैं और स्थानीय लोगों को इन स्थानों पर नहीं रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह के निर्माण से पहाड़ का क्या लाभ होगा ? मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर उन को पहाड़ से हमदर्दी है और वहां का पिछड़ापन आप दूर करना चाहते हैं, तो आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वहां पर जितने भी निर्माण कार्य हों, उन में काम करने के लिए स्थानीय जनता के लोग चुने जायं।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस के बावजूद कि सिंचाई मन्त्री जी ने एक सार्वजनिक सभा में सार्वजनिक रूप में घोषणा की है कि जो भी निर्माण कार्य होगा, उस में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जावेगी, ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस बात को आज तक अमल में नहीं लाया गया है। जितने विभाग के बड़े-बड़े ठेकेदार हैं उन्होंने आपके अधिकारियों को भ्रष्ट कर रखा है। मान्यवर, यही नहीं बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही हैं, पर्वतीय अंचल पर परियोजनायें चल रही हैं, उनमें गम्भीर भ्रष्टाचार का साम्राज्य फैला हुआ है।

एक बहुत बड़ी कम्पनी है हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी। १८ करोड़ रुपये का इस कम्पनी को ठेका दिया गया। इस कम्पनी का हाल यह है कि इसमें जो इन्जीनियर्स हैं, असिस्टेंट इन्जीनियर्स हैं और जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, वे उस कम्पनी के गुलाम के तौर पर कार्य करते हैं। मान्यवर, अभी कुछ दिनों इसी जमुना परियोजना के अन्दर हमने सुना कि एक दम २ एक्जीक्युटिव इन्जीनियर्स और १४ असिस्टेंट इन्जीनियर्स का फौरन तबादला कर दिया गया। मैंने प्रश्न रखा कि क्यों किया गया तो लिखित उत्तर आया कि प्रशासनिक कारणों से किया गया। प्रशासनिक कारण नहीं थे बल्कि हकीकत यह थी कि जिस तरह से हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी गलत मैटीरियल इस्तेमाल कर रही थी, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम नहीं कर रही थी, मुनाफा लूट रही थी, इन इन्जीनियर्स ने बिलों का भुगतान बन्द कर दिया जिसके कारण कम्पनी के दबाव से बड़े-बड़े इन्जीनियर्स नाराज हो गये।

इस परियोजना की एक छोटी सी मिसाल देता हूं। सुरंगें खोदी जाती हैं। एक स्पेसिफिकेशन के मुताबिक खोदी जाती है। इतने डायमीटर की सुरंग होनी चाहिये उसके बाद उस पर सीमेंट लगाया जाता है। अगर सुरंग छोटी खोदेंगे, तो ठेकेदार को कास्ट ज्यादा पड़ेगी। इसलिए ब्लास्टिंग करके सुरंग खोदी जाती है जिससे कि ज्यादा डायमीटर हो और फिर उस पर सीमेंट ज्यादा लगे और इस तरह ज्यादा पैसा मिले। माननीय नारायण-दत्त जी को मैंने लिखकर दिया और आज भी कहता हूं कि उन इन्जीनियर्स ने बिल पास नहीं किये इसलिए कलम की एक नोक से उनको हटा दिया गया और मुझे मालूम हुआ है कि उनके खिलाफ चार्जशीट लगायी जा रही है और उनकी नौकरी खत्म हो रही है।

मान्यवर, इसी जमुना परियोजना के अन्दर एक जी० एन० टण्डन साहब इंजीनियर हैं। इनका हाल यह है कि जहां भी हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का ठेका होगा यह अपना वहां का तबादला करा लेंगे। पिछले पन्द्रह साल से यही सिलसिला चल रहा है। जब हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी रिहन्ड में थी तो टण्डन साहब वहां पहुंच गये और अब देहरादून में है तो वहां पहुंच गये हैं। अब इसी कम्पनी ने मनेरी का ठेका लिया है। किस प्रकार इस कम्पनी को ठेका दिया गया यह भी सोचने की बात है। इस कम्पनी का टेंडर तीसरे नम्बर पर आता है। लेकिन चूंकि कम्पनी के सरपरस्त विभाग के अन्दर हैं इसलिये उसको ठेका दे दिया गया और मुझे निश्चित लगता है कि यह टण्डन साहब भी मन्त्री जी को भुलावा देकर मनेरी पहुंच जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जो व्यक्ति यहां नहीं है उसका नाम लेकर न कहें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि एक इंजीनियर महोदय ऐसे हैं जो कि जहां यह हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जाती है चले जाते हैं। अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस विभाग में हजारों असिस्टेंट इंजीनियर्स टेम्पोरेरी हैं। जब आपको आवश्यकता होती है आप टेम्पोरेरी भर्ती करते हैं, लेकिन जो परमानेंट वैकेंसी

होती है उसमें उस असिस्टेन्ट इंजीनियर, जिसकी १० साल या ५ साल की सेवा हो गयी है, को नहीं लेते, और कान पकड़ कर बाहर निकाल देते हैं और नयी भर्ती करते हैं। जब आपका निर्माण कार्य चल रहा है तो आपको क्यों मजबूर होना पड़ता है कि आप हिन्दुस्तान कान्स्ट्रक्शन जैसी कंपनीज को ठेका दें। आपके पास इंजीनियर्स हैं, कुशल काम करने वाले हैं, तो आप क्यों ठेका देते हैं। ठेका इसलिए दिया जाता है कि आपके विभाग के अधिकारियों का पर-सेन्टेज बंधा हुआ है। मेरे पास आंकड़े हैं लेकिन समय कम है।

मान्यवर, रनिंग पेमेन्ट का २० प्रतिशत इनके विभाग के अधिकारी घूस लेते हैं। छोटे से छोटे कर्मचारी का तो क्या, बड़े से बड़े अधिकारी जो यहां लखनऊ में बैठे हैं उनका भी उसमें हिस्सा होता है मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह देश का निर्माण हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्रीजी से आशा करूंगा कि वे अपने उत्तर में यह बतावें कि टिहरी-गढ़वाल में जो २५ हजार लोगों को आप उखाड़ने जा रहे हैं उन लोगों को बसाने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

(श्री भानुप्रताप सिंह का नाम पुकारने पर) नेगी जी तो मान्यवर, सत्तारूढ़ दल के हैं, क्योंकि वे वोट तो अनुदान के समर्थन में करेंगे ..... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने बुद्धि से मेरा भाषण सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष—

कटौती के प्रस्ताव का सार जो था वह उन्होंने कह दिया (हंसी)।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, कल माननीय पानिकार जी (श्री रामप्यारे) ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा, मैं उसका विरोध करने के लिये तथा माननीय सिंचाई मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में ५२३ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर खेती होती है। इस में ४३० लाख एकड़ ही किसी न किसी तरह से बोयी जाती है। १२० लाख एकड़ ही इस में ऐसी भूमि है जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। इस प्रकार प्रदेश की केवल ३४ प्रतिशत भूमि ही सिंचित हो पाती है। सारे लोगों की राय यही है कि सिंचाई के साधन प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बढ़ें और एक इंच भूमि भी ऐसी न रहे जहां सिंचाई की सुविधा न हो। यह सभी चाहते हैं।

अब देखना यह है कि हमारे यहां ३-४ प्रकार से सिंचाई होती है। नहरों से, राजकीय नलकूपों से, निजी नलकूपों से या अन्य साधनों से। नहरें सारे प्रदेश में फैली हुई हैं। हम सबका कर्तव्य है कि जहां कमियां नजर आये उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। माननीय पनिकर जी ने कहा कि नलकूप घाटे पर चल रहे हैं। सारे लोग यह स्वीकार करते हैं कि उन में घाटा है। किन्तु नलकूपों के एलाटमेंट में जो यह शिकायत की गयी कि पक्षपात किया जाता है, राजनैतिक उद्देश्यों को सामने रख कर उनका एलाटमेंट किया जाता है, मैं इस से सहमत नहीं हूं।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

नलकूपों का एलाटमेंट यह देखकर किया जाता है कि कहां पर जल का स्तर क्या है, कहां पर वह सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है या नहीं और कहां पर लगाना लाभप्रद होगा आदि

(इस समय १ बजकर १३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुये) ।

इन कई बातों को देखकर कर उनका एलाटमेंट किया जाता है ।

लिफ्ट इरिगेशन की बात उठायी गयी । यह कहा गया कि लिफ्ट इरिगेशन, ट्यूबवेल और नहरों आदि से सिंचाई की दरें अलग-अलग हैं । उनको एक समान कर दिया जाय । मैं इसको मानता हूं । अगर सिंचाई की दरों को एक समान कर दिया जाय तो उस से किसानों को असुविधा न हो । अक्सर ऐसा होता है कि लिफ्ट इरिगेशन का पानी अपनी सीमा में किसी जगह जा रहा है । उसका रेट, २०, २५ और ३९ रुपये होता है । उसकी एक सीमा होती है । अगर वह पानी उस सीमा से आगे चला जाता है तो फिर उस पानी का वही रेट लगाया जाता है जो नहरी पानी का होता है । इसलिए अगर उसका रेट एक समान कर दिया जाय तो सुविधाजनक रहेगा ।

अभी प्रधान मन्त्री जी के चुनाव क्षेत्र में यह गलत प्रचार किया गया कि जिन लोगों ने प्रधान मन्त्री को वोट नहीं दिया है वहां उनको मंहगा पानी दिया जाता है । यह इस कारण कहा गया है कि लिफ्ट सिंचाई की सीमा में जहां-जहां सिंचाई होती थी, वहां किसानों को अधिक पैसा देना पड़ता है और उसी सीमा के बाहर नहर की दर पर किसान को पैसा देना पड़ता है । इस प्रकार लोग भ्रमपूर्ण बातें कह-कह कर योजना को ठेस पहुंचाते हैं । यह तो एक व्यवस्था है और एक उसकी सीमा निर्धारण की जाती है और वह नहरी दर पर दी जाती है । इसका मैं खण्डन करता हूं ।

अल्प सिंचाई जिसमें निजी नलकूप भी आते हैं, जिसमें रहट इत्यादि भी आते हैं—नलकूप चाहे वे पम्प सेट से चलाये जाते हों, चाहे बिजली से चलाये जाते हों । मुझे इसमें एक बात कहनी है निजी नलकूप पर १० से १२ हजार रुपया खर्च होता है और सरकार द्वारा बनाये गये नलकूप पर एक लाख से एक लाख बीस हजार तक सरकार खर्च करती है । निजी नलकूप से १०–१५ एकड़ से ज्यादा खेत की सिंचाई नहीं हो सकती है, जब कि उस के विपरीत सरकारी नलकूप से ३०० एकड़ खेतों की सिंचाई हो जाती है । यदि कहीं १० निजी नलकूप बनाये जायें, तो उन पर लाख–सवा लाख रुपये का खर्च आयेगा और उससे सिंचाई १५० एकड़ से ज्यादा की नहीं हो सकती है । १० निजी नलकूपों के निर्माण में जितना धन व्यय होता है अर्थात् एक–सवा लाख, की उतनी धनराशि से एक सरकारी नलकूप मजे में बन जाता है और उससे ३०० एकड़ की सिंचाई हो सकती है जब कि १० निजी नलकूपों से मुश्किल से १५० एकड़ की सिंचाई हो सकती है । इस तथ्य को देखने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि राजकीय नलकूपों का और अधिक निर्माण किया जाना ज्यादा श्रेयष्कर है ।

इन तथ्यों को ध्यान में रख कर और माननीय सदस्यों की राय को ध्यान में रख कर मेरी भी यही राय है और सरकार से निवेदन करता हूं कि राजकीय नलकूप ज्यादा बनाये जायें । इसको दूसरी दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि चकन्दी विभाग व नीति की गलती के कारण आज लोगों की खेती कई-कई चकों में बंट गयी है । मेरे पास भी ३० एकड़ जमीन है और उस के ११ चक बने हैं । यदि हम इन ११ चकों पर १२–१२ हजार रुपया लगाकर निजी नलकूपों का निर्माण करें तो करीब १ लाख २० हजार रुपया जरूर खर्च होगा जो कि एक छोटे किसान के लिए, अल्प साधन वाले किसान के लिए काफी मुश्किल होगा । यदि राजकीय नलकूप लगे तो उन से ३०० एकड़ सिंचाई की क्षमता पैदा हो सकेगी और काफी दूर-दूर तक सिंचाई की सुविधा का प्रसार हो जायगा । यदि हमारी सरकार समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहती है तो ऐसी ही व्यवस्था हो जिससे छोटे किसानों का जीवनस्तर ऊंचा उठ सके । माननीय

सदस्यों को अपनी जिज्ञासा को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये जो विभागीय पुस्तिका हम लोगों को बंटी है, उसमें उन की जिज्ञासा की शान्ति की गयी है। सारे जिलों में इसके लिए एक सर्वे कराया गया है। हमारे यहां लिफ्ट योजना के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

अभी हमारे नेगी जी ने कहा है कि पहाड़ से जो नदियां निकलती हैं उन से प्लेन (मैदान) के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंच जाता है और पहाड़ के लोगों को कम। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहाड़ के विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए और उसकी दिक्कतों को महसूस करते हुए सरकार द्वारा उसके विकास के लिए बजट में अन्य क्षेत्रों के अनुपात में ज्यादा रुपया रखा जाता है और उस पर ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है। अतः जो माननीय सदस्य नेगी जी का कहना है कि हमारे साथ ज्यादती होती है' मैं उसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह नितांत अनुचित है।

यह भी सरकार पर एक चार्ज लगाया गया है कि जहां पर बांध, जलाशय आदि के लिये सरकार द्वारा जो जमीन ली जाती है, वहां के डिस्प्लेस्ड लोगों को बसाने के लिये सरकार की तरफ से भूमि नहीं दी जाती है। यदि कोई ऐसी चीज है तो सरकार को उस पर अवश्य विचार करना चाहिये। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि क्या वहां के विधायकों ने ऐसे व्यक्तियों की सूची कभी सरकार को दी और उन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, शायद कभी नहीं दी होगी। राजकीय नलकूप हमारे प्रदेश में १०,२६८ हैं, १,१४९ ऐसे नलकूप हैं जिनमें बोरिंग हो चुकी है। ८०० प्रति वर्ष सरकार बनाने पर विचार कर रही है। इसलिये यह कहना कि सरकार छोटे किसानों के लिये सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने पर ध्यान नहीं दे रही है, यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता।

७–८ करोड़ का घाटा राजकीय नल-कूपों में सरकार को होता है। वही बात गलत कही गयी है कि सारी प्लानिंग का दोष है। क्या हम लोग दोष मुक्त हो सकते हैं? हम जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो वोट मांगने जाते हैं। सिवा पार्टी बन्दी पैदा करके हम किसान के जीवन स्तर को उठाने के लिये कोई व्यवस्था करते हैं? कौन सी ऐसी जगह है जहां हमारा अधिकार नहीं है जहां हम उस अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारा फर्ज है कि जो सुविधाएं सरकार देती है उनको किसानों तक पहुंचाने एवं ज्ञान कराने की व्यवस्था करें। डाइरेक्टर महोदय ने बताया कि ऐसे अनेक ट्यूबवेल्स हैं जो १५ सौ घंटे भी नहीं चलते हैं। प्रदेश में केवल आठ-दस जिलों के ट्यूबवेल्स हैं जो ६–७ हजार घंटे चला करते हैं। जब सिंचाई ट्यूबवेल से कम होगी, तो निश्चित रूप से आय कम होगी और इस प्रकार घाटा होना अनिवार्य है चाहे कोई सदस्य जो इस दल का हो वह व्यवस्था करे या उस दल का हो व्यवस्था करे।

करप्शन की बात कही जाती है। करप्शन महज इस विभाग में ही नहीं है। जो यह कहा जाता है कि करप्शन इस विभाग में सबसे ज्यादा है माननीय सदस्यों की राय में कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें करप्शन नहीं है। सारे उत्तर प्रदेश में सारे देश में ही है इतना ही नहीं यह जो राजनीतिक क्षेत्र है क्या उसमें करप्शन नहीं होता है। उनमें भी करप्शन होता है। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे विभाग में आडिटेंट हुआ करती हैं। जहां पर कोई कम्प्लेन्ट आती है तो उसकी जांच होती है। हर निर्माण विभाग के अन्दर टेक्निकल आडिट सेल है।

[श्री भानुप्रताप सिंह]

एक सिंचाई विभाग की भी आडिट सेल है जिसमें श्री सत्यदेव जी उसके इंचार्ज बनाये गये हैं। वह एग्जिक्यूटिव इंजीनियर रहे हैं। जब वह पी० डब्लू० डी० में थे तो उन्होंने रायबरेली में प्राविंशियल डिवीजन में जगतपुर ऊंचाहार रोड पर, १४ मील पर एक कांक्रीट का पुल बनाया था। उसमें बहुत ऊंचे रेट्स पर टेंडर स्वीकार किये थे। जब टेक्निकल आडिट सेल, पी० डब्लू० डी० द्वारा १९६५ में जांच हुई तो उनके खिलाफ लिखा गया। उसके बाद, मैं एक भूतपूर्व मंत्री जी का नाम नहीं लेना चाहता जब वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री थे तो उस समय सिंचाई विभाग में आडिट सेल हैं किसी व्यक्ति की पोस्टिंग का सवाल उठा और विभाग द्वारा नाम भेजे गये तो भूतपूर्व माननीय मंत्री जी ने इस व्यक्ति को जिनका नाम श्री सत्यदेव है, और जो उनके नजदीकी रिश्तेदार होते हैं, उनका नाम भेजा। इनकी इंटग्रिटी डाउटफुल है। इनकी चरित्रपुस्तिका में हजारों लाल इंट्रीज लगी हैं यह माननीय मंत्री जी के नजदीकी रिश्तेदार होते हैं, उन्होंने इस भ्रष्ट कर्मचारी का वहां भेजा। इस पद पर समझ बूझ कर किसी ईमानदार व्यक्ति को भेजना चाहिये था जिसकी ईमानदारी के संबंध में विश्वस्त रूप से जानते होते कि वह ईमानदार है, उसका नाम ही भेजा जाता।

ऐसे विभाग में जहां निर्माण होता हो, उसके आडिट सेल में ऐसा व्यक्ति जो स्वयं ईमानदार है तो ईमानदारी से जांच करेगा? अगर उसकी ईमानदारी संदिग्ध है तो वह क्या जांच करेगा? वह व्यक्ति टेक्निकल आडिट सेल में इंचार्ज के पद पर इस समय नियुक्त है। पहले की सरकार ने कोई गलती करदी है तो मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। कि आपका फर्ज है कि उसको देखें कि ऐसे व्यक्ति की चरित्र पुस्तिका में कितनी ऐडवर्स इंट्रीज हैं। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को ऐसे महत्वपूर्ण पद पर जहां भ्रष्टाचार को पकड़ा जाता हो क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा क्या वह स्वयं धन एकत्र नहीं करेगा, क्या सरकार की इस प्रकार के व्यक्ति प्रतिष्ठा बढावेगा।

जो नहरों की टेल्स के विषय में मंत्री जी ने, सरकार ने और सारे लोगों ने माना है, जब सूखा पड़ता है तो उनमें पानी नहीं आ पाता है और लोगों को सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तथा जब काफी वर्षा होती है तो किसानों के खेत जो नहरों के अन्त में होते हैं वहां अत्यधिक पानी से मारे जाते हैं। इस प्रकार किसानों को दोनों सूरतों में हानि उठानी पड़ती है। मेरा इस संबंध में निवेदन यह है कि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार कर दे जिससे टेल्स पर पानी पहुंच सके। और सदन के साथियों से निवेदन है कि उनकी सिफारिशें नहीं करेंगे जो नहरें काटते हैं और फर्जी कुलाबे बनाते हैं और जिनकी सिफारिश करके सजा से बचाते हैं। यह भी एक भ्रष्टाचार का कारण है। जो लोग नहरें काटते हैं वह पानी को बरबाद करते हैं और जिनको पानी की आवश्यकता होती है उनको वह पानी नहीं मिल पाता है। सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि किसी की हकतल्फी न हो, खास तौर से जिन हिस्सों को पानी की आवश्यकता है उनको वह पानी मिल सके, बरबाद न हो इस तरह से।

*श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के संबंध में बोलने का अवसर दिया। मैं यह बहुत साफ साफ सरकार से बतला देना चाहता हूं कि सिंचाई बहुत जरूरी है। जो नहरें तथा ट्यूबवेल्स लगाये गये हैं उनसे बहुत फायदा है लेकिन मेरे देखने में यह आया है कि अगर उनकी व्यवस्था सही नहीं है तो उनका बनाना ही बेकार है और इस प्रकार ७० फीसदी लोग सिंचाई से वंचित रह जाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे सूबे में सिंचाई के लिये बहुत सी नहरें बनाई गयीं, ट्यूबवेल्स बनाये गये, अच्छी अच्छी स्कीमें चालू की गयीं उन सबका मैं स्वागत करता हूं लेकिन हमारे प्रदेश में जिला गोरखपुर पानी में डूबने वाला है। नहरें बनाई गयीं फायदे के लिये। उसका मैं विरोध नहीं करता लेकिन हमको यह देखना होगा कि यह नहरें किस जमीन से जायेंगी और किस से नहीं। गंडक गोरखपुर और देवरिया दोनों जिलों में गई हैं और उससे जितनी नहरें निकाली गयीं वे कई क्षेत्रों से गईं जैसे खड्डा, सिसवा, नौतनवां आदि। हर जगह एक लाइन बढ़ा दी गई है लेकिन जिस जगह वह लाइन गई है वहां कोई पुल नहीं निकाला गया ताकि पानी निकल सके और किसान की फसल बच सके। इंजीनियर महोदय जिन्होंने ये लाइनें निकालीं उनको इसकी स्वयं जानकारी नहीं है कि पानी कैसे निकल सकेगा। इसीलिये हर गांव डूबा हुआ है। हरपुर, नाली, जगदीशपुर आदि पचासियों ऐसे गांव हैं जो पानी में डूबे हुए हैं क्योंकि पानी निकालने का साधन उसमें नहीं बनाया गया है ताकि पानी निकल जाय।

दूसरे जो आपकी नहरें बनी हैं उनके संबंध में बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में एक गांव कतराली है उसकी पोजीशन यह है कि सारे खेत नहर के उस पार हैं जिससे किसान अपने खेत में माटी गोबर आदि नहीं ले जा सकता है क्योंकि उसको उसके घर से १ मील की दूरी पर लाइन दी गई है। यदि वह लाइन करीब में दी गई होती तो किसान और उसकी औरत को इतनी दूर से सिर पर माटी गोबर को ढोकर अपने खेत में न गिराना पड़ता। खेत मील-दो मील दूर होने पर कैसे वह काम कर सकता है। मैंने इस संबंध में कुछ सुझाव लिखकर भी भेजे थे कि इन लोगों को रास्ता दिया जाय किन्तु इस विभाग के इंजीनियर इस काम को नहीं करते हैं मैं यह भी मंत्री जी को बताना चाहता हूं और वह मेरी इस बात को नोट कर लें कि एक नहर उस क्षेत्र में वेदनीपुर और कप्तानपुर एक नहर का रजबहा है जिसमें कि लाखों रुपये खर्च किये गये हैं और रेलवे का पुल बनाया गया है किन्तु अभी तक किसानों को उससे पानी नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इतने पैसे लगाने के बावजूद भी क्यों किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा है। एक गांव बसनपुर है जहां की जमीन से होकर एक रजबहा निकाला गया था किन्तु उस गांव की जमीन बरबाद हो गई है, अभीतक पानी वहां नहीं दिया गया है। मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है कि सारी चीजें हो जाने के बावजूद भी उनको पानी देने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। यह बड़े दुख की बात है इस बात को आप सोच लें और देख लें कि मेरी बात गलत है, इंजीनियरों की बात गलत है। इसका फसला तो माननीय मंत्री जी ही करेंगे। सारे किसान चिल्लाते रह गये, दोनों तरफ नहरें बना दी गई हैं मुआवजा दे दिया गया है किन्तु एक मील के फासले पर भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अतः मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ऐसी व्यवस्था करने पर विचार करें। पारसाल मैंने निवेदन किया था कि वेदनीपुर और कप्तानपुर रजबाहों का पानी छोटी गंडक में गिरा दिया जाय किन्तु पता नहीं ये बुद्धिजीवी वर्ग के इंजीनियर लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, विभाग कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

अब मैं अधिकारियों के बारे में आप से बताना चाहता हूं कि वहां पर क्या-क्या भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहां पर कहा जाता है कि किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया जाना चाहिये किन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अधिकारी पी० एन० मिश्रा हैं। देवरिया, ब्रांच में २२ मील पर एक गूल बना दी गई जो कि केवल कागज पर ही बनी किन्तु मौके पर वह गूल नहीं मिली। उसके लिये पैसा निकाल लिया गया है, कोई पैसा बकाया

[श्री महातम प्रसाद तिवारी]

नहीं है किन्तु किसान को पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । ये जो पी० एन० मिश्रा हैं उन्होंने कम से कम सैकड़ों पुल बनवा दिये होंगे पड़तावल नन्दना में एक पुल का निर्माण कराया गया किन्तु उसमें अभी तक न गिट्टी पड़ी हैं, न मिट्टी पड़ी है जब कि उसका सारा पैसा दे दिया गया है । इसी प्रकार छपिया रजबहा में मंगलपुर, कुम्हरिया, हरिपुर तिवारी, ऊंटी, सुमेरगढ़, बड़गड़वा ग्राम पड़ते हैं । इंक्वायरी वगैरह हो गई है किन्तु पानी अभी तक वहां नहीं पहुंचा है । इसे सुनने वाला कोई नहीं है । सुनने में आया है कि इतने भ्रष्ट अधिकारी की नियुक्ति किसी बड़ी जगह पर हो गई है । तो इस प्रकार भ्रष्ट अधिकारी की तरक्की करना बड़े खेद की बात है । इस पर आप पुनः विचार कर लें ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पड़ताल कालोनी के बगल में एक बाग है जो कि किसानों का ही बाग खड़ा है । सिंचाई विभाग ने उसको छोड़ दिया लेकिन वहां के अधिकारी उस किसान को बुलाकर चाहते हैं कि वह उनको पैसा दे, खर्चा दे जबकि आपके सिंचाई विभाग ने लिख दिया कि मुझे जमीन की जरूरत नहीं है, कालोनी बनाने की जरूरत नहीं है । इसलिये उनको कह दिया जाय कि इस प्रकार की उलटी-सीधी बातें न करें, जो कार्य जहां से हों वहां से व्यवस्था करें । हरपुर तिवारी का सबसे बड़ा मामला यह है कि सारी खेती उस पार है, किसान कैसे खेती करेगा उसकी व्यवस्था करें । इसके अतिरिक्त सिंचाई के जितने पतरौल हैं जो जमीन की सिंचाई का काम देख रहे हैं वह बिलकुल गलत तरीके से देख रहे हैं । जहां खेत में सिंचाई नहीं हुई पानी तक नहीं गया है ऐसे खेतों के संबंध में दरख्वास्तें चमुखा, बांसपार, बरगदुवा आदि गांवों से सिंचाई विभाग के पास भेजी गयी हैं । आप इस संबंध में उचित कार्यवाही करें । इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सिंचाई मंत्री ने जो कई ग्रांट्स प्रस्तुत की हैं मैं उनके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, म आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सबसे पहले तो मैं रुहेलखंड डिवीजन के बारे में निवेदन करूंगा । आज २५–२६ वर्ष हो गये प्रदेश और देश को स्वतंत्र हुए, लेकिन अंग्रेजों के जमान से हमारे रुहेलखंड में एक काला कानून चला आ रहा है "चकधान" के नाम से । इसके पहले जो इरिगेशन मंत्री थे, एक बार जब मैंने उनसे इस बारे में जिक्र किया तो उन्होंने प्रश्न किया कि यह "चकधान" क्या होता है । बड़ी खुशी है कि ऐसे-ऐसे मंत्री जिनको कोई ज्ञान नहीं हो पाया है आज पावर में नहीं हैं ।

मैं अपने माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे यहां नहरों के जहां बम्बे लगे हुए हैं जिनको कुलाबे कहते हैं वहां पर कुछ डिमार्केशन नक्शे में, मान चित्र में कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में पानी पहुंचे या न पहुंचे पर यह घोषित किया जाता है कि यह भर ही गया होगा । जिन खेतो में गूलें हैं और चकबन्दी हो गयी है रुहेलखंड में, जहां नहर का पानी जाता है, गूलें जाती हैं उसका आप रेवेन्यू वसूल करें, इरिगेशन चार्जेज लें, लेकिन जिन क्षेत्रो में पानी नहीं जाता केवल शासक की हैसियत से बिलकुल एक डिक्टेटर की हैसियत से आप वसूल करते हैं आबपाशी के चार्जेज यह उचित नहीं है । इस संबंध में जैसी और जगह नीति है कि जो खेत सिंचित किया जाता है उससे ही चार्ज लिये जाते हैं, वैसा ही हमारे रुहेलखंड में भी करने की कृपा करें ।

दूसरी बात यह है कि मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि हमारे यहां नहरों के किनारे जो पटरियां हैं, २५–२६ वर्ष हो गये देश को स्वतंत्र हुए इन पटरियों को कोई भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार पक्का नहीं करा पायी, आवागमन लोगों का, रास्तों को भी ठीक नहीं करा पायी। ऐसे-ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़क नहीं है एक किलोमीटर भी। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि जब जनता की सरकार है, जनता के हित के लिए, डेमोक्रेसी की परिभाषा लिंकन की सब लोग जानते हैं तो उसी आधार पर ये पटरियां नहरों की जनता के आवागमन के लिये मुफ्त की जायं। माननीय वीरेंद्र वर्मा जी ने इस ओर ऐसा कहा था सदन में कि कुछ किराया लेकर कुछ लोग परमिट ले सकते हैं।

मैं कहता हूं कि अगर आप पूरे रूप से सब के लिये सुविधायें न कर पावें तो कम से कम खास तौर से नहर के किनारे के गांव के ऐसे आदमी जो बीमार हों, अपाहिज हों, बुजुर्ग हों जो पैदल चलने में असमर्थ हों, उनके लिये अपने कानून में ऐसी तरमीम कर दें जिससे वे मोटर पर, बैलगाड़ी पर या घोड़े पर, तांगे पर उस पटरी से जा सकें।

तीसरी बात यह कि हमारे यहां बड़ी बड़ी योजनायें चल रही हैं। जैसे रामगंगा नदी परियोजना, गंडक नहर परियोजना। इन पर पैसे का बड़ा दुरुपयोग होता है। पहले इनसे सिंचाई की कामना नहीं की जा सकी। पहले तो रुपया ही व्यय करना होगा। इन बड़ी योजनाओं पर जनता का बड़ा रुपया व्यय होता है। उनका अनुमान जैसे रामगंगा नदी परियोजना के लिये ११९.५ करोड़ रुपये का है। पता नहीं इसके पूरा होते-होते महंगाई कहां तक पहुचेगी और कितना और रुपया उस पर व्यय होगा। ऐसे ही गंडक नहर परियोजना से ८.५२१ लाख एकड़ सिंचन करने की बात है जिस पर ७३.७८ करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान है। सरकार का ध्यान तो छोटी छोटी योजनाओं की तरफ जाना चाहिये। जसे खेत-खेत में बोरिंग हो और इसी तरह की छोटी-छोटी चीजें, नहरों के लिये भी मैं कहता हूं कि कम लागत में और जल्दी से जल्दी किसानों के लिये उपलब्ध हो जायं। तो मेरा सुझाव है कि छोटी योजनाओं पर ध्यान दें जिससे खेत खेत में बोरिंग हो जाय और गांव ग व में पंपिंग सेट्स चल जायं, जिससे सारे खेतों की सिंचाई हो सके। हमारे यहां सिंचाई की जो गति है वह बहुत ही धीमी है। हमारे यहां करीब ८०० लाख एकड़ का ऐसा क्षेत्र है जिसमें कृषि का कार्य किया जा सकता है, कृषि योग्य भूमि है लेकिन माननीय, हमारे पास सिंचाई के जो सारे तरीके हैं, साधन हैं उनसे केवल ६५ लाख ३२ हजार हेक्टर ही सिंचित करने का प्रबन्ध कर सकेंगे।

मैं इस बात की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में जो नहरों की गति है लम्बाई में वह धीमी चल रही है। प्रथम योजना काल के पूर्व नहरों की लम्बाई ३०,६८९ किलोमीटर थी और उसके बाद तीन चार योजनाओं के पश्चात् १९७० के अन्त तक उसकी लम्बाई केवल ४७,३२५ किलोमीटर थी। इस तरह से २५ वर्ष पहले जो नहरों की लम्बाई थी, उससे यह सवाई किलोमीटर में नहरों की लम्बाई का आंकड़ा आता है। इस तरह से हम इसमें बहुत थोड़ी वृद्धि कर पाये हैं। यह गति बहुत ही धीमी है।

अब मैं ट्यूबवेल्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और खास तौर से अपने जिले के बारे में। मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में आज तक करीब १०,४९४ ट्यूबवेल्स बने हैं। इस प्रदेश में कुल ५२ जिले हैं। इस तरह से एक-एक जिले के हिस्से २०० ट्यूबवेल्स पड़ता है। लेकिन खासतौर से हमारे बरेली जिले में और मेरे क्षेत्र की तहसील नवाबगंज में एक भी ट्यूबवेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे लोग लेना नहीं चाहते हैं। पिछले वर्ष भी मैंने इसके लिये कहा था लेकिन आज भी वहां कोई ट्यूबवेल नहीं है। अधिकारी ऐसे हैं, और हमारे मंत्री जी भी ऐसे हैं जिनको यह ज्ञान नहीं है कि कोई ऐसा भी क्षेत्र है जहां कोई ट्यूबवेल नहीं है।

[श्री चेतराम गंगवार]

आपने जो तालिका दी है उससे मालूम होगा कि बरेली कितना पिछड़ा हुआ है। बरेली में कृषि योग्य भूमि ३५९.३ हैक्टर है और १५८.१ हैक्टर के लिये सिंचित साधन दे पाये हैं। पूर्वी इलाकों की बात कही जाती है कि वे बहुत पिछड़े हैं। मैं बनारस की ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा वहां पर कृषि योग्य भूमि ३८७.९ हेक्टर है और सिंचित साधन २१५.८ हेक्टर के लिये जुटा दिये हैं। यही नहीं अनेक जिले हैं जैसे मुजफ्फरनगर में कृषि योग्य भूमि ३६०.७ हैक्टर है और सिंचित साधन २३७.८ हैक्टर के लिये हैं, मेरठ में ५११.८ हैक्टर भूमि के लिये सिंचित साधन ३६०.०० हैक्टर के लिये हैं, बुलन्दशहर में ४२६.० हैक्टर भूमि के लिये २४५.२ हैक्टर, सिंचित साधन है, अलीगढ़ में ४२०.१ हैक्टर भूमि है और सिंचित साधन २२९.४ है। बरेली के साथ ऐसा व्यवहार क्यों है ? वहां चौथाई एरिया को सिंचित साधन नहीं उपलब्ध कराये गये हैं।

मान्यवर, मैं इस विभाग के अधिकारियों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न किया था कि वर्षों से इर्रीगेशन विभाग के ऐसे पुल चले आ रहे हैं उसका जवाब दिया गया कि इर्रीगेशन विभाग पुल नहीं बनाता पी० डब्लू० डी० विभाग बनाता है। लेकिन मेरे यहां इस विभाग के ३/४ पुल हैं। आज भी एक स्कीम में बरौरा का एक पुल आया है। उसका एस्टीमेट सरकार नहीं बना सकी जबकि उसका पैसा पड़ा हुआ है और पिछले साल का पैसा वापस करना पड़ा।

इसके अलावा इस विभाग में बड़ा करप्शन है। पीलीभीत में एक स्कूल की बिल्डिंग थी। आपके विभाग में एक बड़ी खराबी यह है कि कोई एप्लीकेशन चीफ इंजीनियर या ए०ई० को दी जाय तो सब बेकर है। ये लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। एस० ओ०, चौकीदार, लेखपाल या ओवरसियर से पूछा जाता है। हमारे यहां एस० ई० श्री रामनगीना सिंह है जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे यहां रह चुके हैं। बहुत दिनों से वह बरेली में हैं और बरेली उनको बहुत ज्यादा पसन्द है। स्कूल की बिल्डिंग जो लाखों रुपये की थी उसको गिराने का मजदूरों को हुक्म दिया। इसको कौन भोगेगा। हमने नियम ५१ में यह दिया है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले पायेंगे। चाहे गुप्ता जी की सरकार बने या पंडित जी की सरकर बने। यह एम० एल० ए० के जरिये मंत्री जी तक पहुंच कर लेंगे। बजाय इसके कि छोटे लोगों पर ऐक्शन लिया जाय। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये।

*श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, जिस मांग पर आज बहस हो रही है वह बहुत बड़ी अहम मांग है। श्री रामप्यारे जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्वर, इस प्रदेश की गरीबी और बेकारी दूर करने के लिये दो ही चीजें सब से ज्यादा जरुरी हैं। सब से पहली चीज यह कि प्रदेश में हरी क्रान्ति लाई जाय। दूसरी यह कि छोटे छोटे उद्योग धंधे जो हैं उनका फैलाव अपने यहां ज्यादा से ज्यादा किया जाय जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और खेती की पैदावार भी बढ़े। अगर ये दो चीजें हो जांय तो बेकारी और गरीबी अपने प्रदेश से दूर हो सकती है। हरी क्रान्ति लाने के लिये, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये जो चीज सब से ज्यादा महत्व की है वह सिंचाई है। इस सिलसिले में हमारे बहुत से मित्रों ने बहुत सी बातें कहीं। मैं छोटी छोटी बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई का ताल्लुक उन तमामा लोगों से है जो खेती का काम करते हैं। माननीय मंत्री जी मेरी बात को नोट कर लें। मेरा कहना यह है कि नलकूप के ऊपर जो कर्मचारी रहते हैं नहर के ऊपर जो पतरौल रहता है, वे लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश नहीं करते। जब नलकूपों से किसानों को पानी दिया जाता है तो उसकी परताल २४ घंटे के अन्दर होनी चाहिये, जो नहीं होती। कई कई महीने के बाद परताल होती है, घर बैठकर होती है। यही नहीं बल्कि होता यह है कि किसानों के खेतों की गलत परताल होती है। जिन लोगों के साथ उनके गलत संबंध कायम हैं उन लोगों से पैसा लेकर कम पैमाइश कर दी जाती है और दूसरे लोगों को बड़े से बड़ा नुक्सान पहुंचाया जाता है। उसका नतीजा यह है कि कोई भी ट्यूबवेल ऐसा नहीं है जिससे किसानों को परेशानी न हो रही हो क्योंकि उनसे गलत तरीके से पैसा वसूल किया जाता है। बातें बहुत छोटी-छोटी हैं लेकिन इसका फैलाव बहुत ज्यादा है। १००-१००० नहीं लाखों किसानों का उससे संबंध है। लाखों किसान इस गलत परताल की वजह से परेशान हैं और उनको गलत रकम अदा करनी पड़ती है।

इसी सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों पर जो ट्यूबवेल का रेट बढ़ा दिया गया है उसका नतीजा यह हो गया है सिंचाई उनको बहुत मंहगी पड़ने लगी है। यह ठीक है कि उसके साथ ही साथ खेती की पैदावार भी बढ़ी है। आज हमारा प्रदेश गन्ने के मामले में आत्मनिर्भर होने जा रहा है। लेकिन दुःख की बात यह है कि जब तक किसान दुखी रहा, परेशान रहा, उसकी लागत भी नहीं मिलती रही, उस समय तो एक भी उसकी मदद करने नहीं पहुंचा, किसी ने उससे हमदर्दी नहीं दिखायी। लेकिन आज अगर खेती की पैदावार बढ़ गयी है, हर आदमी की निगाह किसान के ऊपर है।

मैं तो यह कहना चाहता हूं कि दूसरे काम करने वालों के मुकाबले में किसानों की आमदनी कम है। प्रदेश में अगर किसी की सबसे कम आमदनी है तो वह किसानों की है। लेकिन महज पैदावार के बढ़ जाने से सब की निगाह किसान पर है। इनको यह भी सोचना चाहिये कि वह कितना तेज फर्टिलाइजर लेकर अपने खेतों में डालता है, कितना ज्यादा पैसा उसका खेती की सिंचाई पर खर्च होता है और इसके अलावा दूसरी चीजों की उसका लागत क्या है, यह लोग देखते नहीं हैं। इस खर्च को निकाल कर उसका लाभ क्या हुआ, इस तरफ उनकी निगाह नहीं जाती है। अगर सरकार प्रदेश में सचमुच ही हरी क्रान्ति लाना चाहती है तो उसको सिंचाई की दर कम करनी चाहिये।

हकीकत यह है कि और आज भी जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे यह साफ जाहिर होता है कि हमारे प्रदेश में किसानों को जितनी सिंचाई की जरुरत है उसका ३५ फीसदी ही दे पाये हैं। सिंचाई की कमी को पूरा किये जाने की जरुरत है। जहां तक ट्यूबवेल का ताल्लुक है उनकी बिजली की दर बहुत ज्यादा रखी गयी है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि जिन किसानों ने प्राइवेट ट्यूबवेल लगाये थे उनको नुकसान हो रहा है। किसानों ने ६५-६६ में जब कि गल्ले का भाव तेज था, प्राइवेट ट्यूबवेल लगाये थे लेकिन अब चूंकि उसका पानी बहुत मंहगा पड़ रहा है इसलिये वे ट्यूबवेल नीलाम होने लगे हैं। किसानों के खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए ट्यूबवेल लगाये थे लेकिन अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ी भारी रुकावट पैदा हो जायगी। इसलिये मैं सिंचाई मंत्रीजी से दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग निजी ट्यूबवेल चला रहे हैं उनको बिजली की दर में सब्सीडी दी जाय, जिससे वे अपने ट्यूबवेलों को मेनटेन कर सकें।

सी सिलसिले में एक बात और कहना चाहता हूं। आप किसी भी जिले को देख ल सिवाय बहराइच और गोंडा के, आजमगढ़ जिला सिंचाई के मामले में बहुत पीछे हैं। मैं साफ

[श्री हबीबुर्रहमान]

कहना चाहता हूं कि शुरू से ही आजमगढ़ के साथ नाइन्साफी बरती गयी। यह बात सही है कि हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जब सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने पूर्वी जिलों की तरफ विशेष ध्यान दिया था और जहां और जिलों में सिंचाई के साधन बनाये गये, ट्यूबवेल और नहरें बनवायी गयीं वहां आजमगढ़ में भी बनवाये गये, लेकिन यह सब करने के बाद भी बहराइच और गोंडा जिलों को छोड़ कर आजमगढ़ जिले में सिंचाई के साधन बहुत कम हैं। आप मेरठ को ले लीजिये, मुजफ्फरनगर को ले लीजिये, अभी मेरे भाई बोल रहे थे, मुरादाबाद जिले को ले लीजिये, किसी भी जिले के मुकाबले में आजमगढ़ जिले में सिंचाई के साधन बहुत कम हैं।

माननीय सिंचाई मंत्री जी आजमगढ़ के पड़ोसी जिले वाराणसी के रहने वाले हैं, आसानी से वहां के किसानों की दिक्तों को देख सकते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वह आजमगढ़ का कार्यक्रम बनायें और वहां के लोगों की मुसीबतों को देखें और जो सिंचाई के साधन उनको दे सकते हों वह दे कर उनकी परेशानियों को कम करें। वैसे तो आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट की नहर है लेकिन उस नहर से जितना फायदा आजमगढ़ जिले को पहुंचना चाहिये वह न पहुंच करके बलिया और दूसरे जिलों को पहुंचा है। कैनाल तो बहुत लम्बी बना दी गयी लेकिन यह नहीं देखा गया कि उससे कितने रकबे की सिंचाई होती है। और नहर होने की वजह से आज तक वहां ट्यूबवेल नहीं लगे। नतीजा यह है कि वहां के किसानों को न तो नहर से पानी मिलता है और न ट्यूबवेल ही वहां लगे। जब माननीय जगन्नाथ चौधरी डिप्टी मिनिस्टर थे तो हमारे चुनाव क्षेत्र में एक गांव बगली पिंजड़ा है वहां वह गये थे और वहां की हालत को देख कर उन्होंने कहा था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सन् ४७ से पहले के हिन्दुस्तान के किसी गांव में आ गया हूं। यह उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि दो महीने में यहां पर ट्यूबवेल लग जायगा। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आजतक उनके इस पब्लिक मीटिंग में कहने के बावजूद वहां ट्यूबवेल नहीं लगा है। इसी तरह एक भुजाटी गांव है वहां भी ट्यूबवेल नहीं लगा। मैं चाहूंगा कि आप इस तरफ विशेष ध्यान दें।

मुझे आपसे यह भी कहना है कि नहरों पर जगह-जगह जो गांव के गरीब हैं गांव वालों को नहर पार कर के इधर से धर आना जाना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि गोपागंज और दोहरीघाट के इलाके में ध्यान दें और जहां इस बात की जरूरत है कि वहां पुल का निर्माण हो वहां पुल का निर्माण करायें ताकि किसानों को आने जाने में आसानी हो।

एक बात कह कर मैं खत्म करता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री को इस तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है कि जो भ्रष्टाचार इस महकमें में है वह खत्म हो। किसी भी जिले के किसी भी ट्यूबवेल को ले लीजिये, नहरों को ले लीजिये आप को जगह जगह नहरें टूटी हुई मिलेंगीं। किसान अपने खेत में पानी ले जाता है, वह पानी बरबाद होता है, उसके ऊपर ज्यादा रकम वाजिब होती है। यह सब क्यों होता है? जैसा कि हमारे किसी दोस्त ने कहा कि जब कोई निर्माण का काम होता है तो ऊपर से ले कर नीचे तक सब के सब अपना हिस्सा तय कर लेते हैं। चाहे सीमेंट की जगह बालू लग जाय लेकिन उनके परसेंटेज में कोई कमी न आने पाये। इन सब चीजों की तरफ मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है।

इन अल्फाज के साथ मैं कट मोशन का समर्थन करता हूं।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर) —

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्ययर, यह तो सही है कि हम इस में विश्वास करते हैं कि हमारे वर्तमान जो सिंचाई मंत्री हैं वह सिंचाई की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं और ऐसी क्रान्ति इसमें लाने जा रहे हैं जिसका वह विचार पहले से किसानों के लिए कर रहे थे। इसलिए मैं उनका ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र जयसिंहपुर (सुलतानपूर) की ओर ले जाना चाहता हूं। वह मेरा चुना क्षेत्र शायद यू० पी० में सबसे अभागा क्षेत्र रहा है। जब से मैं पहली बार ही चुनकर आया हूं इसके पहले कितने विधायक

यहां से आये हैं वह दूसरे क्षेत्र के रहने वाले थे । कभी भी उस क्षेत्र का रहने वाला विधायक बनकर इस सम्मानित सदन में नही आया । इसका नतीजा यह हुआ कि जितना पिछड़ा इलाका सुल्तान र का है उससे भी पिछड़ा इलाका वह हमारा क्षेत्र का इलाका है ।

उसमें एक ऐसी दुर्भाग्य की ब त सचमुच हुई जिसकी तरफ मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि सुल्तानपुर के बारे में लखनऊ में बैठकर इन्जीनियरों ने यह तय किया कि सुल्तानपुर में एक तरफ का हिस्सा नहर का रहेगा और एक तरफ का हिस्सा नलकूप का रहेगा। बिना सु तानपुर की जमीन को देखे ही अपने मन से फैसला कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिस इलाके में नलकूप सफल नहीं होंगे जिस बारे में किसानों ने लिखा कि हमारे यहां नलकूप सफल नहीं होंगे जिस क्षेत्र के लिए जिलाधीश ने लिखा कि नल कूप सफल नहीं होंगे वहां पर नलकूप क्षेत्र इन लोगों ने किया । जहां पर नहर की शाखा के आखिरी गांव पड़ते हैं वहां पर उन्होंने नहर का क्षेत्र घोषित किया। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां पर नल कूप पहुंचाये उसके बड़े इलाके में नलकूप कामयाब नहीं हुए । और जहां पर नहर का इलाका घोषित किया वहां पर आज नहीं बल्कि १५ साल के बाद भी पानी नहीं जाने वाला है ।

मेरे क्षेत्र का इलाका जयसिंह पुर, अखण्डनगर दोशपुर, कुडेभार ब्लाकों का उत्तरी ऐसा इलाका है जिसको नहर का इलाका घोषित किया है लेकिन वहां पर नहर की शाखा का अन्त होता है क्यों कि यह क्षेत्र फजाबाद की बार्डर से मिलता है। फैजाबाद बार्डर पर मझुई नदी पड़ती है। इनकी शाखा इसी क्षेत्र तक आई है । आखिरी पड़ने से नहर का पानी उस क्षेत्र तक नहीं आयेगा । इनको नहर खोदे हुए भी १०, १५ साल हो गये आज तक उतने एरिया में इनकी नहर का पानी नहीं आया है । जितना रकबा नहर के लिये दिया गया है उतने में सींचने की इनकी क्षमता ही नहीं है। जब नहर के किनारे घूमता हूं तो किसान कहते हैं कि नहर के लिए हमारी जमीन तो ले ली गई है परन्तु पानी नहीं दिया गया। मैंने उनसे एक शेर में इस बात को कहा कि—

पानी मिले मिले न मिले इसका गम नहीं ।
पानी के रास्ते पर मेरा काफिला तो है ।

नहर उस इलाके में खोदी गई है अगर पानी आज नहीं है तो कल तो आयेगा ही यह कह कर हम उन्हें संतोष दे लेते हैं । मैं मंत्री महोदय से बड़े अदब से कहना चाहता हूं मेरी सदस्यता उनकी कृपा पर आधारित है । यदि मंत्री जी उस क्षेत्र को सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दें तो उनकी कृपा से मैं फिर इस विधान सभा में चुनकर आ जाऊंगा वरना मेरा आना संभव नहीं है । मैं जहां भी गांव में वहां जाता हूं तो किसान लोग पानी मांगते हैं । २३, २४ साल आजाद हुए हो गये लेकिन आप उन गांवों को पानी नहीं दे सके हैं इसको आप नोट कर लें...

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी जगह कोई तो वहां से आयेगा ही ?

श्री शिवकुमार पांडेय—

अगर मंत्री जी कृपा कर दें तो ही आ जाऊंगा। नहर का हाल यह है कि इनकी शारदा नहर है जो सब से बड़ी नहर है। उसकी हालत यह है कि जगह-जगह झाल नहीं दिया है।

[श्री शिवकुमार पांडेय]

जिस गांव से इनकी नहर निकलती है उस गांव में एक इंच जमीन भी नहीं सींची जा सकती है। मिसाल के तौर पर मैं बतलाऊं कि जैसिंहपुर खास, जयसिंहपुर भीटी, पलिया गोलपुर ऐसे मौजे हैं जहां पर बड़ी नहर जाती है लेकिन उन गांवों की एक इंच जमीन भी नहीं सींची जाती है क्योंकि नहरों का स्तर नीचा है और उससे खेत कुछ ऊपर हैं, जब तक आप वहां पर झाल नहीं लगायेंगे तब तक वहां पर दबला से भी पानी नहीं ले सकते।

मुझे मान्यवर यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि इन नहरों में हमारे यहां पानी तो कम दिया लेकिन जानें कई ले लीं। शारदा ऐसी बड़ी नहर है कि वह कई गांवों की आबादी के किनारे से निकल कर जाती है, गांवों की आबादी उत्तर में है और उन लोगों के खेत उसके दक्षिण में पड़ते हैं और किसान नहर में घुसकर अपने खेतों पर जाते आते हैं और वहां इतने बड़े क्षेत्र में कोई पुल नहीं बनाया गया है। वहां आदमी डूब चुके हैं, बच्चे डूब कर मर चुके हैं। मोतीगटपुर के पास खरकपुर के किसानों ने कई बार पुल बनाने की मांग की क्योंकि वह आबादी से मिली हुई नहर है और उनका खेती का सारा क्षेत्र दक्षिण में नहर उस पार है, वहां पर इस नहर में आने जाने से ३ मौतें तक हो चुकी है लेकिन आज तक वहां कोई पुल नहीं बनाया गया है। दिनभर में २० बार किसान और उनके बच्चे अपने खेतों में इस नहर के बीच से गुजरते हैं और वे बैलगाड़ी से तो खाद आदि ले जा ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकत और इस वजह से खेती के काम में भी बहुत रुकावट पड़ती है और यह नहर उन के लिये बजाय वरदान के अभिशाप बन गई है। सुल्तानपुर में कुल क्षेत्रफल ११,००,५१५ एकड़ है और कृषि क्षेत्रफल कुल है ७,५६,८४० एकड़ और सिंचित क्षेत्रकुल ३,१३,५७६ एकड़ है, यह स्थिति नक्शे के मुताबिक है। यह वह सिंचित कही जाने वाली जमीन है जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जिसमें कि कभी पानी नहीं पहुंचा।

इसके अलावा मैं नलकूपों के बटवारे के संबंध में भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा कहना है कि यह बटवारा भी बहुत ही पक्षपातपूर्ण हुआ है और हमें उससे संतोष नहीं है। मैं वाराणसी, इलाहाबाद और सुल्तानपुर के ६९–७० और ७०–७१ के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं उससे आप देखें कि हमारे साथ कितना अन्याय किया गया है। वाराणसी में ६९–७० में ६० नलकूप स्वीकृत थे और ६६ लगे, ७०–७१ में वहां ६० मंजूर थे और ६२ लगे, इलाहाबाद में भी ६९–७० में ६० मंजूर थे और ६० ही लगे, वहां पर ७०–७१ में ६० मंजूर थे और ६२ लगे और हमारे सुल्तानपुर में ६९–७० में केवल २० ही मंजूर हुए और १९ ही लगे और ७०–७१ में जो २५ स्वीकृत थे उसमें से केवल २३ ही लगे। यह कोई न्याय संगत बात नहीं है कि एक जिले में ६०–६२ लगें और दूसरे जिले में जहां जरूरत भी ज्यादा है वहां ५–५ और १०–१० ही लगें।

मैं मुख्य मंत्री जी और कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो नलकूपों का बटवारा अभी तक बहुत असंतोषजनक रहा है आगे वैसा न हो। दूसरे नहरों में पानी न पहुंचने का एक कारण यह भी है कि उनकी कभी सफाई नहीं होती और सफाई के फर्जी बिल बनाये जाते हैं। यह जो ३ इंच के कुलावे हैं उनसे किसान अपने खेत सींच नहीं पाते, यह कुलावे कम से कम ६ इंच के होने चाहिये। कुछ गांव ऐसे हैं जहां नहरें गई हैं लेकिन नालियां नहीं हैं, मंत्री जी चाहें तो खुदाई के लिये कुल धन गाव सभाओं से ले लें लेकिन मेरा विचार है कि प्रधान लोग इस काम में कामयाब नहीं रहेंगे।

हमारे जिले में एक जमाने में निजी नलकूप बहुत लगे लेकिन वह आज वहां के लिये अभिशाप बन गये हैं

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद के मुकाबले में सुल्तानपुर का क्षेत्रफल कुल कितना है? इलाहाबाद से कितना बलिदान हुआ है और सुल्तानपुर से कितना हुआ है इसको भी जरा देखें। इलाहाबाद में नहर है वहां पर नलकूप लगा दें।

1971–72 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ११२७ 31—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य–अनुदान संख्या 32—सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान सख्या 48—बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय तथा अनुदान संख्या 49—सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री शिवकुमार पांडेय (सुल्तानपुर)--

श्रीमान् बिजली की जो मिनिमम गारन्टी है वह पहले ५० रूपये थी और अब १२० रूपया प्रति हार्स पावर हो गयी है। तो किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन कैसे मिलेगा वह इतनी हैवी रकम कैसे दे पायेगा। दूसरे जो बिजली की चोरी होती है बिजली के सामान की चोरी होती हैं उसके जिम्मेदार विद्युत परिषद् और इनके इनजीनियर्स है वहां के अधिकारी जो हैं वे चोरी कराते हैं और राजा बन जाते हैं और बिजली उनके लिये (किसानों के लिए) एक अभिशाप बन जाती है। बिना पैसा दिए हुए किसानों को कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं और बिना पैसे दिए उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं। किसानों के ऊपर अगर बकाया का २०० रूपया भी रह जाता है तो उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं जबकि स्वदेशी कोटन मिल पर लाखों रूपया बकाया रहने पर भी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन बहुत से राजा महाराजा भी हैं जिनके ऊपर १५–१५ और २०–२० हजार रूपया बिजली का बकाया पड़ा है लेकिन कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं होती है। तो किसान ने ही कौनसी गलती की कि उसके कनेक्शन को १५० रुपया बाकी रहने पर ही काट दिया जाता है। श्रीमान् बिजली के वितरण में आज बड़ी गड़बड़ी है और मैं तो कहूंगा कि सदन को बर्खास्त करने के पहले माननीय सदस्यों ने जो अपनी राय दी है उनको कार्यान्वित कराने का मंत्री जी कष्ट करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूं।

श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो सिंचाई की मांग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय राम प्यारे जी द्वारा प्रस्तुत किए गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर पहले इस प्रदेश में ७५ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई होती थी परन्तु इन २० सालों के बाद १४२–७० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई का प्रबन्ध सरकार कर सकी है। आज भी इस प्रदेश में ७८७–३० लाख एकड़ भूमि है जो पानी से प्यासी है। इस प्रकार से इन आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि हमारी सरकार २९ प्रतिशत भूमि पर ही सिंचाई का प्रबन्ध कर पायी है और अगर इसी प्रकार करती रही तो इसके लिए, जैसा कि मंत्री जी ने बताया यह पीरियड १० वर्ष के अन्दर नहीं बल्कि १०० साल में भी नहीं हो सकती है सरकार बडी बड़ी योजनाओं पर ध्यान लगा रखी हैं जैसे नहरों पर इतना धन लगाया गया है लेकिन फिर भी ३१४ किलोमीटर ही नहीं अभी तब बन पायीं हैं। इसके पूर्व ४७३२५ किलोमीटर नहरें तैयार थीं। इस प्रकार से यह सरकार २४ साल में केवल १ १/४ परसेन्ट नहरों का निर्माण कर पायी हैं। ब्रिटिश काल में ४७–३२५ किलोमीटर नहरों का निर्माण हुआ था। इसी तरीके से अगर यह सरकार इस कार्य को करे तो मैं समझता हूं कि ढाई हजार वर्ष लगेंगे तब ये ४७३२५ किलोमीटर नहरें तैयार कर पायेंगे जबकि यह नहीं सरकार समाजवाद का झूठा नारा देती है। जब तक किसानों के लिए पानी का प्रबन्ध नहीं होगा वे तरक्की कर सकेंगे और अगर वे तरक्की नहीं करेंगे तो देश और प्रदेश भी तरक्की नहीं करेगें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बिजली की ओर भी जिस का संबंध सिंचाई से है, दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, बिजली और सिंचाई का सम्बन्ध कृषि से है लेकिन इस प्रदेश में इन विभागों को अलग-अलग कर दिया है। इन विभागों के लिये ३ मंत्रियों को रखा गया है और तीनों अलग अलग हैं इनके लिए एक ही मंत्री होना चाहिये ताकि इन कामों में सुविधा हो सके।

[श्री नेतराम सिंह]

इसके लिये मेरा सुझाव यह है कि एक मंत्री के पास ये तीनों विभाग रहने चाहिये और इसके तीनों उपखंड होने चाहिये ।

मान्यवर, राजकीय नलकूप के सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं । आपके राजकीय नलकूप घाटे में चल रहे हैं और प्रतिवर्ष घाटे में जाते हैं । सरकार के द्वारा घाटे को पूरा करने के लिये प्रतिवर्ष सिंचाई की दर तो बढ़ा दी जाती है आजादी से पूर्व २४ हजार गैलन एक रुपये की आबपाशी दी जाती थी । उसके बाद जब इसमें घाटा पड़ा तो सरकार ने इसका पैसा बढ़ाया और १६ हजार गैलन किया और फिर घाटा पड़ा बारह हजार किया और उसके बाद आठ हजार गैलन पानी किया । तो सरकार इस प्रकार से प्रतिवर्ष इसे बढाती हुई चली जाती है । आज सरकार के ट्यूबवेल से कोई आबपाशी करना चाहे तो सरकार के ट्यूबवेल से आबपाशी करने पर एक एकड़ पर २५ रुपये आते हैं और वही प्राइवेट से करना चाहें तो उसमें केवल दस रुपये आते हैं । मान्यवर, यह दुगने से भी ज्यादा है तो मैं समझता हूं कि आपका यह जो ट्यूबवैल विभाग है आज यह घाटे में है ।

मान्यवर, मैं अपने जिले की ओर जाना चाहता हूं । मैं ऐटा जिला का निवासी हूं । इस जिले की ११००.२० हजार एकड़ भूमि है । इसमें से ९८३.९ हजार एकड़ भूमि ऐसी है जो खेती योग्य है । अब तक ३२४ हजार एकड़ भूमि को पानी की सप्लाई कर पाये हैं । इस प्रकार से केवल ३३ परसेन्ट भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की जा चुकी है। यह जिला पश्चिमी जिलों में माना जाता है । इस दृष्टि से देखा जाय तो एक तिहाई भूमि ही इस जिले की सिंचित है । जो जिला एक तिहाई भाग पर ही सिंचित है वह जिला कैसे प्रगतिशील कहा जा सकता है । यह जिला पिछड़ा हुआ है । जहां तक ट्यूब वैल की समस्यायें हैं उनके सम्बन्ध में मैं जानकारी देना चाहता हूं । बाबूपुर, वजीरपुर, नीबरी, मेहारी, बाइमपुर, नगला सिसैया, छिछौरा, सेबर फीरोजपुर गांव ऐसे हैं जहां पर जमीन बगैर सिंचाई के खाली पड़ी हुई है । वहां कोई सुविधा नहीं है ।

मैं मान्यवर, इस विभाग से सम्बन्धित दो चार बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं । ट्यूबवैल विभाग के जो कर्मचारी हैं वे इस प्रकार से ट्यूबवैल को फिट करते हैं कि वे एक तीर से दो की मार करते हैं । एक किसान को और दूसरे सरकार की मार करते हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैसोरा ग्राम म ट्यूबवैन नं० ५१ है । यह सरकारी ट्यूबवैल है । वहीं पर ११ ट्यूबवैल प्राइवेट है । विभाग के जो सम्बन्धित अधिकारी हैं उन्होंने स्वार्थसिद्धि के लिये ऐसा किया है । वहां पर सिंचाई की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी । जिन गांवों को मैंने कहा है उन गांवों में विशेष आवश्यकता थी ।

मान्यवर, इसी प्रकार की मैं एक और शिकायत आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक घटिया एवनपुर ग्राम में ५६ नं० ट्यूबवैल का निर्माण किया गया है । उस ट्यूबवेल के निर्माण के बाद उसकी सर्विस रोड के लिये एक रास्ता निकाला गया जिसका पहले सर्वे हुआ था वह तीन फर्लांग बीस नं० ट्यूबवेल से निकल कर तीस फर्लांग की दूरी पर ५६ नं० ट्यूबवेल मिल जाता था । परन्तु जिसका सर्वे किया गया था । उसको न निकाल कर अधिकारियों ने अपने स्वार्थ के लिये ऐसा किया है कि अब उन्होंने ११-१२ फर्लांग लम्बी सर्विस रोड निकाला है जिसमेंकि खेड़े पड़ते हैं, यातायात ट्रैफिक नहीं निकल सकता है उसको सर्विस रोड के लिये रक्खा है । मैं निवेदन करूंगा कि क्या इस ट्यूबवेल सर्विस रोड के सम्बन्ध में मंत्री जी इन्क्वायरी करायेंगे और सम्बन्धित अधिकारियों को दंडित करेंगे ?

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो प्राइवेट ट्यूबवेलस की नालियां हैं जिसमें काफी पानी का नुकसान होता है । प्राइवेट ट्यूबवेल्स की नालियों को पक्का नहीं बनाया गया है । पहले तो नाली बनाने हेतु अनुदान देते थे अब न जाने उसके अनुदान की स्वीकृति

क्यों बन्द कर दी है। इससे बड़ा लाभ होता था। प्राइवेट ट्यूबवेल का कम से कम बीस प्रतिशत पानी खराब हो जाता है। अगर सरकार नाली के अनुदान हेतु इसकी पुनः स्वीकृत दे दे और ये नालियां पक्की हो जायं तो मेरा अनुमान यह है कि बीस प्रतिशत भूमि की आबपाशी ज्यादा हो जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्राइवेट ट्यूबवेल की नालियों के लिये अनुदान देने हेतु मेरे सुझाव को स्वीकार करेंगे। मान्यवर, मैं प्राइवेट ट्यूबवेल के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी ट्यूबवेल के मुकाबले में प्राइवेट ट्यूबवेल ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। जहां सरकारी ट्यूबवेल सौ दो सौ एक साथ लगाए जाते हैं वहां दूरी का मुख्य ध्यान नहीं रखा जाता सरकारी ट्यूबवेल लगाने में दूरी का ध्यान रखना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि बीच का जो एरिया रह जाएगा उसमें प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने के लिए किसान को मौका रहेगा। प्राइवेट ट्यूबवेल में सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। इसमें किसानों को बड़ी परेशानी होती हैं। सौ, दो सौ, पांच सौ रुपया खर्च करने के बाद भी दो-दो साल तक ट्यूबवेल नहीं लग पाते हैं। बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। एक ट्यूबवेल लगाने के लिये काश्तकार को वी० एस० डब्लू०, ए० डी० ओ० (एम० आई०), बी० डी० ओ० के पास जाना पड़ता है। फिर वह हायडिल में जाता है, प्लानिंग में जाता है, डी० एम० के पास जाता है। इस तरह से पांच छः जगह जाने में एक साल लग जाता है और फिर ट्यूबवेल लगते-लगते दो वर्ष का समय हो जाता है।

नहरों के सम्बन्ध में भी एक बात कहना चाहता हूं। नहरों में पानी की बड़ी कमी रहती है।....(व्यवधान) नहरें आबपाशी के चार्ज को पूरा करने के लिये....

एक सदस्य :—

लिखकर भेज दें।

श्री नेतराम सिंह---

अक्तूबर में दो-तीन हफ्ते चलाकर सारे एरिया का पानी फेर दिया जाता है। उसके बाद बन्द कर दिया जाता है। इस प्रकार खेती को एक--दो पानी से ज्यादा नहीं मिल पाता, जब कि उन्नतिशील बीज को आठ--दस पानी की जरूरत होती है। तो उनके लिए आठ--दस पानी की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें।

श्री नेतराम सिंह---

मान्यवर, अन्त में मेरा निवेदन है कि काश्तकार को सुविधाएं देने के लिये सबसे महत्व का विषय सिंचाई है। जब तक सरकार की निगाह इस ओर नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी।

श्री हर नारायण (जिला पीलीभीत)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरा नम्बर है।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या इसीलिए आपका नम्बर है कि आप बार--बार उपाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी कह रहे हैं?

श्री मंगल उपाध्याय (जिला देवरिया)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सिंचाई विभाग का सदन के सामने पेश है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार का प्रश्न है भ्रष्टाचार तो सभी जगह है।

श्री राजित राम पांडेय--

श्रीमन्, सबको थोड़ा-थोड़ा मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बीच में बोले इसलिये आपका हक मारा गया।

श्री मंगल उपाध्याय--

श्रीमन्, इस प्रदेश में अन्न की बहुत कमी थी। अन्न उत्पादन में इस विभाग का इस सम्बन्ध में बड़ा योगदान है। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू हुई तो प्रदेश में ७५ लाख एकड़ सिंचित एरिया था। उसके बाद अब चौथी योजना चल रही है और ऐसा लक्ष्य है कि ७१-७२ में १४२ लाख एकड़ सिंचित क्षेत्र हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां तक प्रायवेट साधनों के ताल्लुक हैं उसके आंकड़े भी विभाग ने दिये हैं कि १०० लाख एकड़ प्राईवेट तरीके से सींचा जाएगा। ५२३ लाख एकड़ सूबे में काबिल जरात जमीन है जब कि सिंचाई का साधन केवल १४२ लाख एकड़ का हो चुका है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है। मैंने हिसाब लगाया है और सरकरी आंकड़े भी देखे हैं। आज तक सारी योजनाओं को मिला कर केवल ६७, ००,००० एकड़ जमीन की सिंचाई की योजना पूरी हुई है। यह प्रगति ढीली है। इसमें एक चीज का और भय है कि आंकड़े कुछ गलत भी हो सकते हैं। एक ट्यूबवेल को ले लीजिये। उसका कमान्ड एरिया ५०० का होता है। उस एरिया को ये सिंचित एरिया मान लेते हैं और सिंचित एरिया में उसको जोड़ लेते हैं। हकीकत यह है कि कमान्ड एरिये का आधा हिस्सा कभी भी नहीं सींचा जाता है। सिंचाई के दो साधन हैं --एक तो जमीन से पानी निकाल कर टयूबवेल के जरिये और दूसरा नहरों के जरिये हैं। पहली पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपके प्रदेश में जितने ट्यूबवेल्स लगे हैं उनकी हालत इतनी खराब है कि जिस ट्यूब-वेल का डिस्चार्ज १०,००,००० गैलन प्रति घन्टा था वह आज घट कर २,५००,३,००० व ४,००० गैलन रह गया है। इस तरह से किसान को भी क्षति हो रही है और राष्ट्र को भी क्षति हो रही है। किसान से तो बिजली का चार्ज यूनिट्स के हिसाब से ले लिया जाता है। पहले तो सिंचाई कम खर्च पर होती थी, परन्तु आज तो किसान को प्रति एकड़ सिंचाई के लिये २५ रु० और ३० रु० देने पड़ते हैं। मैं इस तरफ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और उन जिम्मेदार अधिकारियों का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि बैठे हुए हैं। डिपार्टमेन्ट की लापरवाही से किसान को अधिक व्यय करना पड़ता है और इस तरह से राष्ट्र का भी नुकसान होता है।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान नहरों की तरफ दिलाना चाहता हूं। ठीक है आप नहरें बनाइये यह सही है कि कुछ नहरें काम भी कर रही हैं, परन्तु दिक्कत पुलियों की है। इन्होंने हिसाब लगाया है १ मील पर १ पुलिया होनी चाहिये। इस हिसाब से किसानों को आने-जाने में २ मील चलना पड़ता है। किसान को हल, बैल और मजदूर भी ले जाने पड़ते हैं। आप किसान की दिक्कत को सोचें। वह प्रातः ८ बजे यह सब सामान लेकर १ मील चलता और वापस आता है और सफर तय करने में रोजमर्रा उसको २ घन्टे खर्च करने पड़ते हैं।

जब मुख्य मंत्री जी उप मुख्य मंत्री थे और उनके हाथ में सिंचाई विभाग था तब हमने उनका ध्यान इस परेशानी की ओर आकृष्ट किया था। उन्होंने माना था कि यह दिक्कत है और किसान को राहत देने के लिए यह आवश्यकता है कि १ मील के अन्दर १ पुल के बजाये २ पुल होने चाहिये। आखिर में सिंचाई की योजना हम बना रहे हैं किसान को राहत देने के लिये न कि किसान को परेशान करने के लिए। पुलियों का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो सिंचाई के साधन बना रहे हैं उनका उद्देश्य यह है कि किसान को सुविधा पहुंचायी जाय। आप दूसरे मुल्कों को ले लीजिये। जगह की कमी के कारण कई-कई मंजिल के दफ्तर बनाये जाते हैं। इसके बरखिलाफ हमारे यहां जमीन की भी कमी है और जनसंख्या भी अधिक है। हमारे यहां जो बंगले बनते हैं उनमें ५–५ एकड़ भूमि में २–३ अधिकारी रहते हैं और अधिकारियों के बंगलों के सामने १ एकड़ का लान होता है। इस तरह से तो सारी जमीन निकल जायेगी। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। एक काश्तकार था। उसके पास केवल १२ एकड़ खेती थी। नहर निकलने के कारण उसकी ५ एकड़ जमीन ले ली और फिर उसके बाद इन्होंने नहर का नक्शा बदल दिया। तो बाकी ७ एकड़ जो जमीन थी वह भी ले ली। हमने भी और दूसरे लोगों ने बहुत कहा कि ७ एकड़ भी ली, ५ एकड़ भी ली तो कुछ तो छोड़ दो। अब आप नहर वहां से नहीं निकाल रहे हैं तो उसको छोड़ दो तो कहा गया कि इसमें कालोनी बनेगी। तो इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिये। जन सेवा की भावना से कार्य किया जाना चाहिये। इसी तरह से एक जगह ५ एकड़ की जरूरत थी लेकिन दूसरे विभाग ने जिसकी जमीन थी, कहा कि १८ एकड़ जमीन लेना है तो सभी ले लो, तो जरूरत १८ एकड़ की हो गई।

मान्यवर, दो मिनट और समय मुझे दीजिये। सिंचाई विभाग का काम बाढ़ रोकना भी है। बड़ी चर्चा छितौनी बांध की होती है। आखिर वहां जो बात हो रही है उसका कारण क्या है? कुछ दिन पूर्व छितौनी बांध की देखरेख देवरिया टयूबवेल डिवीजन करता था और उसके लिये एक सहायक अभियन्ता और ४ ओवरसियर रहते थे लेकिन अब उसके लिये ही एक डिवीजन बनाया गया है जिसमें १ अधिशासी अभियन्ता, ४ सहायक अभियन्ता और १८ ओवर सियर हैं। जहां पहले एक सहायक अभियन्ता काम करता था वहां इतना बड़ा फर्क कर दिया गया है।

श्रीमन्, वह आखिर काम क्या है। समय से सामान न देने से ही यह घटना घटती है। नवम्बर, दिसम्बर में जब काम करने का मौका होता है तो कुछ नहीं किया जाता है। जो सप्लाई करने वाला डिवीजन है वह मार्च में टेन्डर मांगता है। आप रिकार्ड मंगाकर देख लें उसको देखकर हैरत होगी। जितने ठेकेदार टेन्डर देते हैं सबका एक ही रेट होता है। आप अन्दाजा लगावें कि २५ ठेकेदार टेन्डर दें और सभी का एक ही रेट हो। इसको आप समझे, मंत्री जी समझें। वहां पारसाल जो मैटीरिअल सप्लाई हुआ था इस वर्ष वहां से सामान गया है मगर एक निश्चित स्थान पर ले जाने में ढाई लाख रुपया अधिक भाड़ा का देना पड़ा है। इस तरह से रुपये की बर्बादी की जा रही है। इसके लिये जो डिवीजन है जो केवल सप्लाई करता है, वहां बहुत से लोग रख दिये गये हैं, इसके अलावा काम करने वालों का जो सर्किल है उसमें एक सुपरिडेन्टिंग इन्जनियर है, ४ अधिशासी अभियन्ता हैं, १६ सहायक अभियन्ता हैं और ७० ओवरसियर्स हैं। इसको देखकर अफसोस होता है, आखिरकार उन्हें कुछ काम तो करना है नहीं, धन का बटवारा करना है, सुल्ताना का गिरोह है। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इससे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। इस बुराई को दूर करें और इसकी इन्क्वायरी करायें जिससे यह दूर हो सके। आप वहां ८०–९० लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं अगर ५०–६०

[श्री मंगल उपाध्याय]

लाख रुपये भी वहां लग जायं तो परिस्थिति पर कन्ट्रोल हो सकता है। मान्यवर, १० प्रतिशत कमीशन की बात कही जाती है लेकिन वहां ऐसा नहीं है। छितौनी में तो रुपये की बर्बादी की जाती है।

श्री राम कुंवर सिंह (जिला आजमगढ़)—

मैं व्यवस्था चाहता हूं। जैसा कि अभी आपने कहा है कि जो लोग उपाध्यक्ष जी उपाध्यक्षजी कहेंगे उनका नम्बर कट जावेगा। मैं १२·३० बजे से दसों बार खड़ा हुआ हूं तो मेरा नाम कैसे आवेगा तो मैं क्या करूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि एक पारी तो आपकी है। आपसे शुरू हुआ। दूसरे बी० के० डी० को दिया गया, फिर जनसंघ को दिया गया और फिर उधर गया। अब फिर इधर लौटेगा।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मंत्री जी तो संक्षेप में बोलेंगे। सदस्यों को ज्यादा समय दे दें। आपकी विरोध पक्ष पर तो हमेशा कृपा रही है।

श्री बसन्त लाल (जिला लखनऊ)—

आपने एक व्यवस्था दी कि पहले कांग्रेस 'ओ' फिर बी० के० डी० फिर जनसंघ और फिर एस० एस० पी०। आप कृपया सदस्यों की संख्या का भी ध्यान रखें।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

जितना समय हमारा लोगों ने बर्बाद किया है उतना समय और दे दें। संसोपा को कल स समय नहीं मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उस जिले से आता हूं जहां नारायणी का प्रकोप सर्वदा रहता है। उसकी बाढ़ से पूरा देवरिया जिला तबाह है। जिस बंधे में सिंचाई विभाग का १४ लाख रुपया लगा था उसकी मरम्मत पर ६ करोड़ ८० लाख रुपया खर्च हो चुका है और फिर भी मलैया बांध टूट गया। यह सब हुआ सिंचाई विभाग के इंजीनियरों की लापरवाही से और खास कर ओ०डी० शर्मा की लापरवाही से।

वहां सभी मंत्री दर्शन करने के लिए पहुंच गये। ठेकेदारों ने तो उस स्थान को कामधेनु समझ लिया और मंत्रियों ने तीर्थस्थान समझ लिया। हमारे मुख्य मंत्री जी ने तो गोरखपुर में सारे इंजीनियरों को प्रोत्साहन दिया और कहा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। धन्य है यह सरकार, जिन्होंने लोगों को तबाह कर दिया, मंत्री जी ने उनके तारीफ के पुल बांध दिये। उस नारायणी में इस समय नहर खोदी जा रही है। हमारे देवरिया में नहरों का जाल बिछ गया और जहां नहरें नहीं होनी चाहिए वहां भी नहरें हो गयीं।

इसके अलावा प्रत्येक गांव में चार चार पांच पांच ट्यूबवैल्स अलग से हैं। सरकारी ट्यूबवैल्स भी हैं और किसानों ने भी स्वतः आत्मनिर्भर होकर अपने ट्यूबवैल्स लगा लिये हैं। मैंने सन् ६२ में इसी सदन में विरोध किया था कि वहां नहरों की आवश्यकता नहीं है और अगर सरकार हमारे जिलें की सिंचाई के मामले में सम्पन्न करना ही चाहती है तो वहां पाताल तोड़ कुयें और ट्यूबवेल दे दें। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वहां नहरों का जाल बिछा दिया। जिस दिन नारायणी का प्रकोप होगा तो यह सारी नहरें नदियां बन जायंगी और देवरिया जिला तबाह हो जायेगा। आज भी वहां छोटी गन्डक में पानी आ गया है और नहरों में पानी भरने से हाटा निर्वाचन क्षेत्र डूब गया है, सारे घर गिर गय हैं। यह पानी भाटपार रानी और देवरिया को दक्षिण साइड को भी परेशान कर रहा है। इन नहरों से हमारे देवरिया जिले को बहुत नुक्सान पहुंचा है। एक इन्जीनियर, गोरखपुर ने बतलाया कि

ये नहरें इसलिये बन रही हैं कि नारायणी का पानी खारिज किया जाय। तो ये नहरें सिंचाई के लिए नहीं बल्कि नारायणी का पानी खारिज करने के लिए बन रही हैं।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो इतनी नहरें बना दी गयी हैं इनको आप बन्द कीजिये, इन की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। इन नहरों के कारण किसानों को अपनी खेती का काम करने में बड़ी कठिनाई हो रही है।

इसके अलावा मान्यवर, उन नहरों पर दो दो तीन तीन मील की दूरी पर पुल बने हैं। अगर किसी को वहां जाना होता है तो नहर पार करने के लिए उसे काफी दूर चलना पड़ता है। किसान बेचारा अपना हल बैल लिये काफी दूर चलता है तब वह नहर पार कर पाता है। मेरा निवेदन है कि यह पुलियें दो-दो फर्लांग की दूरी पर बनायी जायं।

दूसरी बात यह है कि सिंचाई विभाग ने किसानों की जो भूमि ले ली है उसका मुआवजा उन को नहीं मिल रहा है। इस के कारण किसान बड़ा परेशान हो रहा है। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि जिन किसानों की जमीन ले ली गयी है उनको तुरन्त मुआवजा दिलवाने की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, यह जो नहरें बनायी गयी हैं इस में भी गरीब किसानों के साथ बड़ी ज्यादती की गयी है। जहां बड़े बड़े लोगों के फार्म्स थे उनके रास्तों से नहरें नहीं निकाली गयी हैं, बल्कि गरीब किसानों के खेतों में होकर निकाली गयी हैं। उदाहरण के लिए पहले मुंगेरा गांव के पश्चिम की तरफ नहर खोदने का नक्शा पास किया गया था, लेकिन चूंकि उस तरफ बड़े आदमियों के फार्म थे, अतः फिर उस को पूर्व साइड से कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया ?

भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। हर विभाग में भ्रष्टाचार है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आज कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो भ्रष्ट न हो। आज एक भी कर्मचारी ईमानदार नहीं है। ढूंढने से शायद कुछ ईमानदार मिल जायं। ९९ प्रतिशत अवश्य भ्रष्ट मिलें। यह सरकार भी भ्रष्ट हो चुकी है। इस प्रदेश की तीन महान् विभूतियां हैं—एक माननीय चरणसिंह, एक माननीय, गुप्ता जी और एक माननीय, कमलापति त्रिपाठी। माननीय चरण सिंह और माननीय सी० बी० गुप्ता को तो हम ने देख लिया, माननीय त्रिपाठी जी को भी हम देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि समाजवाद की जो यह हवा बह रही है, इस से समाजवाद आने वाला नहीं है। इन्द्राजी की हवा से समाजवाद आने वाला नहीं है। यह हवा चली है कि जमीन का बटवारा होगा, सीलिंग होगी, अगर बड़े बड़े लोगों ने पहले से ही साढ़े १२ एकड़ के हिसाब से जमीन बांट ली है। कुछ किसी के पेट में चली गयी, कुछ किसी के पेट में चली गयी। यह समाजवाद नहीं है, धोखा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। आज तो केवल एक ही चिन्ता है कि किसी प्रकार से कुर्सी सुरक्षित रहे। मूल अधिकारों पर कुठाराघात करके जो २४वीं धारा में परिवर्तन किया जा रहा है, उस से अब प्रजातंत्र ही समाप्त हो जायगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का समय दिया। इस सरकार ने कृषि के उत्थान के लिए सिंचाई के साधनों का जाल बिछाया है। बहुत से ऐसे स्थानों पर जहां भूमि बिल्कुल उपजाऊ नहीं थ; ं र अच्छे अच्छे सिंचाई के साधनों के द्वारा उन स्थानों को सिंचित किया गया है और वहां पर पैदावार की कमी की वहां पर पैदावार बढ़ी है। यही हमारी सरकार की देन है। अब मैं कुछ अपने जनपद के विषय में बताना चाहता हूं। मेरे जनपद की ऐसी प्राकृतिक दशा है कि जिनमें दो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)--

नदियां गंगा और घाघरा हमारे जनपद से होकर गुजरती हैं। हमारे जनपद को ये दोनों नदिया काट रहीं हैं। सर्वप्रथम मैं घाघरा नदी की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये नदियां महाराज पूर, कमालपुर, चांदपुर को पूरी तरह से काट रही हैं। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन गांवों को कटान से बचाने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया है। जो जनपद भूमि कटाव से अभी तक किसी तरह से बची हुई है, उसकी भी कटने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। मैं सिंचाई मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं इन कटानों से हमारे प्रदेश की हजारों एकड़ भूमि को बचाने के लिए वह पक्की ठोंकरों का निर्माण कराएं। जिस से कि हमारे जनपद की भूमि बचायी जा सके।

हमारे यहां श्रीनगर तुर्तीपार का बांध घाघरा नदी के किनारे पर बना हुआ है। घाघरा नदी में जब बाढ़ आती है तो उस की वजह से बहुत से गांव बुरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और वे पूरे टापू की तरह बन जाते हैं। जिससे वहां के रहने वालों का जनजीवन संकटपूर्ण हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का उन के पास कोई साधन नहीं होता है। आप सम्बन्धित गांवों को ऊंचा करें, जिस से बाढ़ के समय में इन गांवों के लोगों की रक्षा की जा सके। उदाहरण के लिए हमारे जिले के ऐसे गांव गोपालनगर, विशिष्ठनगर, माझा, शिवपुर, गतहा, गोपालपुर आदि हैं। दूसरी तरफ हमारे जनपद में गंगा नदी के किनारे बलिया बैरिया बांध बना हुआ है, उसको बचाने के लिए उसकी रक्षा के लिए लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। उस बांध के ऊपर दोहरा प्रबन्ध है। एक तरफ सिंचाई विभाग उस की मरम्मत आदि का कार्य करता है, और सड़कों, का काम सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है।

श्री उपाध्यक्ष--

एक बात आप सुन लें। जो माननीय सदस्य यहां पर मेरे पास आकर समय मांगने की याचना करते हैं, यह बहुत गलत है। इस सम्बन्ध में मैं यह चेतावनी देता हूं कि यहां आकर समय मांगने की बात करके अपने को और मुझको दुःखी करना ठीक नहीं है।

श्री बच्चा पाठक--

इस अवसर पर मैं आप का ध्यान बलिया बैरिया बांध की तरफ दिलाना चाहता हूं, इसका सारा कार्य एक विभाग के जिम्मे किया जाय, उसको ही सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाय। दोनों विभागों पर उनकी जिम्मेदारी रहने से काम में समन्वय नहीं रह पाता और विलम्ब होता है, उत्तरादायित्व नहीं स्थापित हो पाता है।

राजकीय नलकूपों के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत बहुत दयनीय है। अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं और उन के लिए सिंचाई की व्यवस्था बहुत जरूरी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारा बलिया जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है। पंचवर्षीय योजना में जो योजनायें अन्य जनपदों को दी गयी हैं और जो हमारे बलिया जनपद को दी गयी हैं, उन के, आप तुलना की दृष्टि से आंकड़े देखें। उन के आंकड़ों को आप देखें, तो मालूम होगा कि बलिया के उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। राजकीय नलकूपों में घंटों का प्रतिबन्ध है। यह प्रतिबन्ध दूर किया जाय, इससे यह लाभ होगा कि जिन अंचलों में राजकीय नलकूप नहीं लगाये गये हैं, घंटों की सुविधा प्राप्त करके राजकीय नलकूप लगाये जा सकते हैं।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे जनपद में ऐसी भूमि है जहां बरसात का पानी साल जमा रहता है। उन स्थानों पर अगर सरकार की तरफ से लिफ्ट योजना चालू की जाय तो दोतरफा लाभ हो सकता है। एक तरफ तो किसान की जमीन सिंचित होगी और पैदावार बढ़ेगी दूसरी तरफ जिन जगह में पानी सालों भरा रहता है, वहां से पानी निकलेगा, वह भूमि जो साल भर परती रहती है उसको उपजाऊ बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारे क्षेत्र में एक कोल नाला है जहां पानी भरा रहता है। कोल नाले में लिफ्ट योजना चालू की जाय जिससे हमारे क्षेत्र के स्थानों पर जो पानी से वंचित रह जाते हैं, वहां पानी की सुविधा दी जा सके। ऐसा स्थान जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है वहां राजकीय नलकूप लगाने की

व्यवस्था होनी चाहिये। मैं, श्रीनगर तुरतीपार बांध के अन्दर जो रेगुलेटर लगाये गये हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमारे जिले में भूमि घाघरा नदी और गंगा नदी की बाढ़ से पड़ी हुई है। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग की अकर्मण्यता के कारण हमारे रेगुलेटर कोल नाले के ऊपर और पर्वतपुर के पास बनाये गये हैं जिनके कारण घाघरा का पानी उन स्थानों में फैल गया जहां पर आज तक कभी घाघरा का पानी नहीं गया हुआ था। सिंचाई विभाग की अकर्मण्यता के कारण हजारों एकड़ भूमि पानी से भर गई और फसल बरबाद हो गई। इस लापरवाही के कारण जो क्षति हुई उसके लिये सरकार जांच करे और जो अधिकारी दोषी हों उनको दण्ड दिया जाय। इस समय जब कि फसल का नुकसान हो रहा है, लोग खाने के लिये मोहताज हैं एक वक्त पर हजारों एकड़ फसल बरबाद हो गई है। जो कोल नाले पर पर्वतपुर के पास रेगुलेटर बने हैं उनकी सरकार जांच करे और कमी को दूर करे। बरसात के होने के पहले रेगुलेटर की मरम्मत की जाय ताकि बरसात के समय घाघरा का पानी उन क्षेत्रों में न फैले। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि बरसात के समय में जब कोल नाले और पर्वतपुर के पास पानी जमा हो जाता है उसको बाहर फकने के लिये सिंचाई विभाग के द्वारा कोई प्रबन्ध सिंचाई विभाग के द्वारा होना चाहिये क्योंकि बरसात के समय में घाघरा नदी का लेविल कम नहीं होता है और ये खोले नहीं जाते हैं तब तक। बरसात का पानी उन क्षेत्रों में फैल रहा है। इस पानी की निकासी के लिये कोई योजना बनायी जाय। इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई मंत्री जी ने जो सिंचाई का अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री रामकुंवर सिंह––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं।

एक सदस्य––

अब समय थोड़ा रह गया है

श्री उपाध्यक्ष––

हमेशा आप कहते हैं, पिछली दफा भी कहा है। मैंने आपको दो मिनट समय दिया और सात मिनट आप बोले। आप स्वयं नियंत्रित होने के लिये तैयार हैं? पिछली दफा भी आपने निवेदन किया था कि समय कम दिया जाय और आप दो मिनट के बजाय सात मिनट बोले। माननीय सदस्य ज्यादा वक्त ले लेते हैं। मैं दस मिनट से ज्यादा नहीं दे रहा हूं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिल जाय।

एक सदस्य––

मैं निवेदन कर रहा था कि १० मिनट के बजाय ५ मिनट कर दिया जाय ताकि अधिक लोगों को मौका मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष––

यह ठीक नहीं रहेगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)––

आप चक्कर चला रहे थे एक तरफ से लेकिन फिर दूसरी तरफ यकायक चले गये।

श्री उपाध्यक्ष––

आप पर नजर न पड़ कर दूसरे पर नजर पड़ गई।

श्री रामकुंवर सिंह––

उपाध्यक्ष महोदय, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग पर बोलने का अवसर दिया। मैं कृषक परिवार का एक सदस्य हूं कि उस जिले का रहने वाला हूं जहां ८५

[श्री रामकुंवर सिंह]

प्रतिशत किसान बसते हैं। यह प्रदेश कृषि विधान प्रदेश है। खेती के संबंध में मुझे यह निवेदन करना है कि उसके लिये चार साधनों की जरूरत है जुताई, बीज, खाद और पानी। अगर पहले साधनों की कमी हो और सिंचाई के लिये साधन उपलब्ध हों तो पैदावार औसत दर्जे की हो सकती है। मैं सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरा निवेदन मुख्य, मंत्री तक जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं पहुंचा दें कि सिंचाई तथा बिजली एक मंत्री के हाथ में होने चाहिये ऐसा निर्देश उनको दे देना चाहिये क्योंकि सिंचाई तथा बिजली का आपस में संबंध है। इससे काश्तकारों को सुविधा से बिजली मिल सकेगी और फिर सिंचाई भी अच्छी तरह से हो सकेगी।

एक निवेदन यह भी करना है कि सरकारी पक्ष की ओर से किसानों से बड़े लम्बे लम्बे वायदे किये जाते हैं और काश्तकारों की सुविधा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। पिछले सालों में सरकार की तरफ से सिंचाई के लिये बहुत सी सुविधाओं की बातें की गई थीं। किसानों ने अपने खेत, औरतों के गहने बन्धक रख कर, कर्ज लेकर छोटे ट्यूबवैल लगा लिए लेकिन बिजली उनको आज तक नहीं मिली। सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको बिजली का कनेक्शन दें। समाजवादी व्यवस्था में बड़े बड़े नारे लगा कर बिजली का कनेक्शन न देना, यह कौन सी व्यवस्था है, यह सरकार का निकम्मापन है। ८५ प्रतिशत लोगों के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाता है तो समाजवाद कैसे आयेगा? इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिन जिलों में किसानों ने दो तीन साल से स्माल ट्यूबवैल्स की व्यवस्था कर रखी है उन सभी को दो चार महीने के अन्दर बिजली के कनेक्शन मिल जाने चाहिये ताकि सिंचाई ठीक से हो सके।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो क्षेत्र पिछड़े थे २४, २५ वर्ष के बाद आज भी पिछड़े हैं। जैसे आजमगढ़ जिले में घाघरा के किनारे बसा मेरा क्षेत्र है जो २५ प्रतिशत मील लम्बाई में है लेकिन आज तक उस क्षेत्र में बिजली नहीं पहुंची। कहा यह गया था कि समाजवाद लाने के लिये सबसे पहले गांवों में बिजली के साधन मुहइया किये जायेंगे लेकिन आज २५ वर्ष के उपरान्त भी उस क्षेत्र में एक भी बिजली का बल्ब नहीं जल सका है, वैसे सिंचाई की बात की जाती है, हमदर्दी दिखाई जाती है। लिहाजा मेरे इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो क्षेत्र पिछड़े हैं, जहां बिजली नहीं गई है, उस क्षेत्रों में अगर सिंचाई की व्यवस्था करनी है तो उन क्षेत्रों को जल्दी से जल्दी बिजली देने की व्यवस्था होनी चाहिये।

मान्यवर, किसानों के पिछले साल कनेक्शन बहुत कटे हैं। मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि इस समाजवादी व्यवस्था में बड़े-बड़े लोगों के यहां जिनके जिम्मे हजारों की संख्या में बिजली के चार्जेज बाकी हैं उनके कनेक्शन नहीं कटते हैं किन्तु छोटे-छोटे किसानों से जो कि गांवों में बसते हैं, जिनके परिश्रम और पैदावार से हमारे देश की अन्न की समस्या का हल होता है केवल दो, ढाई और तीन सौ रुपये बाकी रहने पर उनको नोटिस दे दिया जाता है और उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज ऐसी परिस्थिति में जब कि उनका गल्ला खलिहानों में सड़ रहा है, उनकी दशा अस्त-व्यस्त हो गई है, सरकार को गम्भीरता से उनकी समस्या पर ध्यान देना चाहिये और तत्काल इस परिस्थिति को रोकना चाहिये।

मान्यवर, एक बात यह कह देना चाहता हूं कि पिछले साल बिजली की कमी का कारण बताते हुए रोजाना चार-छः घंटे के लिये हर एक लाइन पर बिजली काटी गई। किन्तु इस चार-छ घंटे का मतलब यह हुआ कि हफ्तों तक किसान को बिजली नहीं मिली और हफ्तों तक बिजली न मिलने का नतीजा यह हुआ कि जहां सिंचाई में किसानों को असुविधा तो हुई ही, वहां सरकार की तरफ से यह विचार भी नहीं किया गया कि जब किसानों को इतने समय तक बिजली नहीं दी गई तो उससे उतने समय का बिजली का चार्ज भी न लिया जाय। किन्तु हर किसान को उसी प्रकार चार्ज देना पड़ा। किसी भी काश्तकार को यह सुविधा नहीं दी गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस मसले पर गम्भीरता से विचार करे कि जिन किसानों ने कई महीनों तक बिजली खर्च नहीं की उनसे उनका चार्ज नहीं लिया जाय।

मान्यवर, आजकल सिंचाई या बिजली के बारे में इसीलिये बातें चलती हैं ताकि इसको मुहैय्या करने से किसानों की आर्थिक हालत ठीक हो सके किन्तु मैं नहीं समझता हूं कि सरकार इस पर क्यों विचार नहीं कर रही है। जहां एक ओर गल्ले की कीमत आये दिन घटती जा रही है

वहां दूसरी ओर काश्तकारों के सामान खरीद की कीमत दिन दुगने रात चौगुनी महंगी होती जा रही है, बिजली के चार्जेज बढ़ रहे हैं, पानी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं, चीनी जिसको कि वह अपने खेतों में गन्ना द्वारा पैदा करता है, उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं और चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। इस तरह से आज इतनी महंगाई हो गई है जितनी की कभी न हुई होगी। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिये ताकि उसका मनोबल न गिरने पाये।

माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय यहां पर नहीं है, किन्तु मैं उनको इस बात के लिये बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आजमगढ़ जिले में जो सिंचाई के साधन दिये गये हैं वे केवल माननीय मुख्य मन्त्री जी जब सिंचाई मंत्री थे उस समय की सरकार में ही दिये गये हैं (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, दो मिनट और चाहूंगा।

आजमगढ़ बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है। इसमें साढ़े चौदह लाख एकड़ जमीन है जिसमें से केवल १० लाख एकड़ जमीन में खेती होती है। इस जिले में ३० लाख लोग बसते हैं और १० लाख एकड़ जमीन में खेती करते हैं और अब तक कुल २७० स्टेट ट्यूबवेल वहां लगाये गये हैं। यह सभी लोग जानते हैं कि इस प्रदेश में ८५ प्रतिशत लोग अपने भाग्य का फैसला खेती द्वारा करते हैं। इस प्रकार वहां पर २७० ट्यूबवेलों से काम नहीं चलेगा। वहां पर २ हजार ट्यूबवेलों की आवश्यकता है। आजादी के बाद २५ साल बीत गये और इन २५ सालों के अन्दर आजमगढ़ में केवल २७० ट्यूबवेल लगाये गये तो इतने ही ट्यूबवेल लगाने पर सैकड़ों वर्ष बीत जायेंगे यदि सरकार की यही गति रही। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को १०, १५, २० ट्यूबवेल लगाने का कोटा फिक्स नहीं करना चाहिए बल्कि ५०० ट्यूबवेल लगाने का कोटा फिक्स करना चाहिए। पूर्वी जिलों में सबसे पिछड़ा हुआ जिला आजमगढ़ ही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आजमगढ़ जिले से कोई मंत्री नहीं होता है। जहां के जो मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन्हीं के इलाके में अधिक मशीनरी भेजते हैं, ट्यूबवेल लगवाते हैं और वहां के लोगों को सभी सुविधायें प्राप्त होती हैं किन्तु आजमगढ़ जिले की बदकिस्मती है कि वहां का कोई मंत्री नहीं है। चाहे किसी भी विभाग के बारे में कहा जाय, सभी की यही हालत है। रोडवेज को लीजिये या सिंचाई के साधन के ही बारे में आजमगढ़ सब से पिछड़ा हुआ जिला है।

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे जिले में ३ नहरें हैं। एक नहर दोरीघाट पंप कैनाल है। उसका मतलब यह है कि आजमगढ़ जिले में सारा पानी बलिया को जाता है। मैं आप के माध्यम से, सरकार के द्वारा कर्मचारियों को इस बात की सूचना दिलवाना चाहूंगा कि आजमगढ़ और बलिया का कोटा फिक्स होना चाहिए कि पानी कितने दिन बलिया को मिलेगा और कितने दिन आजमगढ़ को। यह भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी के अवरोध के लिए बीच बीच में ऐसी ठोकर बननी चाहिये कि आजमगढ़ में मशीन चलती है तो बलिया की मांग होती है कि पानी मिलना चाहिए.....

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजबहादुर चन्द।

श्री राजबहादुर चन्द—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हमारे सिंचाई मन्त्री जी ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज जिस युग में हम चल रहे हैं उसमें यह जरूरी है कि अगर कृषि की बढ़ोतरी हुई, गल्ले के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गये तो हमारे देश का बहुत बड़ा कष्ट कट गया और दूसरे देशों से जो गल्ला आता था वह बात खत्म हो

[श्री राजबहादुर चन्द]

जायगी और साथ ही यह भी सर्वविदित है कि कृषि और सिंचाई में चोली-दामन का संबंध है। श्रीमान जी, आज के कृषि वैज्ञानिक जिस तरह से अच्छे अच्छे गेहूं और धान का बीज उपलब्ध करा रहे हैं अगर सरकार सिंचाई की व्यवस्था कर सके पूरे देश में तो गल्ले के मामले में देश जल्द आत्मनिर्भर हो जायगा।

कटौती के प्रस्ताव का विरोध विरोधी पक्ष ने क्यों किया, मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो समझता था कि सिंचाई के मामले में यदि वे और अधिक बढ़ाने की मांग करते तो हमें खुशी होती। मेरा यह दृढ़ मत है कि तमाम योजनाओं को खत्म करके केवल सिंचाई की मद में ही युद्ध स्तरपर कार्य नहीं किया, पूरे प्रदेश के असिंचित एरिया को सिंचित नहीं बनाया गया तो हमारी सारी योजनायें बेकार हो जायंगी। बढ़ती हुई जनसंख्या और देश के ऊपर एक असंभावित शरणार्थियों की समस्या आकर खड़ी हो गई है, उसके लिए आवश्यक है कि पूरे देश के सिंचाई के साधनों की ओर हम सब योजनाओं को डिफ्लेक्ट कर दें तभी मुल्क की भलाई हो सकती है।

हमारा बस्ती जिला कृषि के मामले में बहुत ही आगे है और पिछले साल उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जिले में एक सरयू कैनाल योजना बनायी गयी और यह निदेश हुआ कि जिस-जिस जिले में शारदा कैनाल जायगी वहां पर ट्यूबवेल का काम रोक दिया जाय और वहां पर कैनाल ही जायगी। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि चायनीज ऐग्रेशन की वजह से वह योजना खत्म हो गयी और जिला नहर न पा सका और ट्यूबवेल तो कट ही चुके थे।

मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बस्ती जिले की जैसी उर्वरा भूमि है और बस्ती जिले के किसान जिस तरह से प्राणपण से खेती के मामले में जुटे हुये हैं---मंत्री जी को पता है, उसको ध्यान में रखते हुए वहां सिंचाई के मामले में अधिक सुविधायें प्रदान की जायं। पूरे जिले की ३२ लाख जनसंख्या वाले जिले के लिए ७-८ ट्यूबवेल लगने थे और वह भी खत्म हो चुके। पूर्वी जिलों में अंग्रेजों के समय में कोई विकास नहीं हुआ, केवल इसलिये कि हमेशा पूरब ने विद्रोह किया और शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। इसीलिए पूरब को अंग्रेजों ने कभी संपन्न नहीं होने दिया।

आज हम इतने पिछड़े हुए हैं हर मामले में सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, सिंचाई के मामले में कि जब तक इसके लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया जायेगा और उस जिले को विशेष सुविधा नहीं प्रदान की जायेगी तब तक इस प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है। आप जानते हैं कि पूरब की सब नदियों का वहीं संगम हो गया है। पूरा क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गया है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बाढ़ पर नियन्त्रण के लिये केन्द्रीय सरकार से मिल कर हमारे प्रदेश की सरकार कोई विशेष कदम नहीं उठाती तो सारी की सारी प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, खाद, पानी और अच्छे बीज की व्यवस्था, वह सब मटियामेट हो जायेगी। श्रीमन्, ऐसी बाढ़ मैंने अपनी जिन्दगी में पहले कभी नहीं देखी थी। जिन खेतों में धान की फसल थी, आज वे किसान रो रहे हैं।

गोरखपुर-बस्ती का रास्ता, जो राष्ट्रीय मार्ग है वह कट गया है, जिससे बसों का चलना बन्द हो गया है। बस्ती-गौगढ़ मार्ग बस्ती---फैजाबाद मार्ग और फैजाबाद--लखनऊ मार्ग भी कट चुका है बाढ़ की चपेट में। ऐसी भीषण बाढ़ कभी नहीं आयी थी। मैं कहता हूं कि इस तरह से अगर तमाम बंधों पर रुपया खर्च किया जाय और दूसरे ही साल बाढ़ की वजह से कट जाय तो इससे प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ को रोकने के लिये कोई ऐसा प्रभावशाली कदम उठावें, केन्द्रीय सरकार की सहायता लेकर और उसके विशेषज्ञों की राय लेकर। वैसे तो आज यह सवाल आया था तो सरकार ने स्वीकार किया कि गलत बंधा बना था जिसकी वजह से कटाव आ गया। मैं निवेदन

करना चाहता हूं अपने माननीय मन्त्री जी से कि ऐसे कर्मचारी जो गलत तरीके से बंधा बनवावें या उसके लिये अपनी राय दें उनके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। वैसे तो सिंचाई विभाग ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। जितने भी ट्यूबवेल्स बने, जितनी प्रयोजनायें चल रही हैं देहातों के अन्दर में उनकी सराहना करता हूं कि वे बहुत ठीक चल रही हैं और सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं।

हमारे बस्ती जिले में एक योजना बनी नेपाल की सरहद पर। बड़ी सुन्दर योजना है, वहां हम लोग देखने जाते हैं, दर्शनीय स्थान है। लेकिन उसकी उपयोगिता कुछ नहीं है। क्योंकि जो नहर या नाले बनाये गये, वे खेतों की सतह से नीचे बनाये गये इसलिये उनका पानी खेतों में नहीं जाता और गर्मी के दिनों में मछली का ठेका दे दिया जाता है कि लोग मछली मारें। मछली मारने की वजह से खेत सूख जाते हैं। मछली आवश्यक नहीं है, आवश्यक तो खेतों की सिंचाई है। इसलिये ऐसी जगहों पर जहां जलाशय है, वहां विशेष रूप से प्रतिबन्ध-लगा देना चाहिये कि वहां मछली मारना निषेध हो जाय और मछली मारने के लिये ठेका देना भी निषेध कर दिया जाय।

हमारे बस्ती जिले में केवल ८ ट्यूबवेल्स दिये गये हैं। ३२ लाख वाले जनपद में ८ ट्यूब-वेल्स नहीं के बराबर है। मेरा निवेदन यह है कि बस्ती जिले को और अधिक ट्यूबवेल्स दें और राप्ती नदी के किनारे बंधा बनवा दें। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बांसी–पनघटिया बांध उन्होंने बस्ती जिले को दिया है। जिसके बिना बस्ती जिले का नुक्सान होता है। सिंचाई विभाग से वह मंजूर हो गया है और सम्भवतः उसका काम जल्दी ही शुरू होने वाला है। मैं इन सुझावों के साथ इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि कटौती का प्रस्ताव वापस हो जायेगा।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री शम्भूनाथ चौधरी का नाम पुकारने पर)

श्री मैनेजर सिंह––

मान्यवर, आप कहते हैं कि कोई पुकारे नहीं, कोई आवे नहीं। मैं तो न कभी पुकारता हूं, न कभी आपके पास जाता हूं और न कभी चिट ही भेजता हूं, फिर भी आप इस अनुदान के ऊपर बोलने का मुझे मौका नहीं देते, तो अब मैं क्या करूं ?

श्री उपाध्यक्ष––

जो दल जैसे हैं, उनके हिसाब से मैं टाइम देता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)––

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री ने जो विवरण सदन के सामने प्रस्तुत किया है। इसके अवलोकन से यह ज्ञात हो रहा है कि उनकी चाल गधे की चाल है। श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि १९७०–७१ तक हम १४५.४४८ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करेंगे और सिंचाई योग्य भूमि कितनी है, ५२३ लाख एकड़ है। नतीजा यह हुआ कि ३७५ लाख एकड़ जमीन असिंचित है। आपकी चाल क्या है ? १९७०–७१ में १४० लाख एकड़ की सिंचाई हो। चार साल बाद आप कहते हैं कि ८ लाख एकड़ की सिंचाई करेंगे यानी दो लाख एकड़ प्रति वर्ष सिंचाई करेंगे। ३७५ लाख एकड़ जमीन सिंचाई के लिये है उसके सींचने के लिये १८८ वर्ष चाहिये। यह उनकी चाल है। यह सरकार केन्द्रीय सरकार की पिछलग्गू सरकार है। वहां भी यही है। आज वहां कहा जाता है कि २९ करोड़ एकड़ जमीन असिंचित है।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

९लाख एकड़ जमीन को पानी मिलता है। २० करोड़ एकड़ जमीन अब भी असिंचित रह जाती है। इनकी चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है २५ लाख एकड़ प्रति वर्ष अगर इसको मान लिया जाय तो २० करोड़ एकड़ जमीन को पानी देने के लिये १०० वर्ष चाहिये। मंत्री जी को १८८ वर्ष चाहिये और इंदिरा जी को १०० वर्ष चाहिये। वोट लेने के लिये कहते हैं कि हमारा नारा है कि हर गांव को पानी और बिजली पहुंचे। आपका यह नारा १८८ वर्ष के लिये था। जनता आपको बता देगी।

एक बात और कहूंगा कि आपने कितनी छलांग मारी है। दूसरे देशों को देखिये। १९६५ में चीन की सिंचित भमि ५८.९९ थी। चीन में रासायनिक खाद का उपयोग प्रति हैक्टर कितना हो रहा है? चीन में प्रति हैक्टर २५५. किलोग्राम और हमारे यहां कवल ५ किलोग्राम प्रति हैक्टर रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है। चीन का उत्पादन प्रति हैक्टर १०० किलोग्राम है और हमारे यहां केवल ९ किलोग्राम है। चीन ने सोचा कि हमें अपनी भूमि को पानी देना है। जब तक पानी नहीं देंगे हम आत्म निर्भर नहीं हो पायेंगे। इसलिये उसने प्रयास किया और आज उसकी ७० परसेंट भूमि सिंचित है। चीन में हांग हो नदी जो अभिशाप बनी हुई थी आज वरदान बनी हुई है। हम लोग रोज हल्ला करते हैं छितौनी बांध, बलिया बेरिया बांध टूट गया है।

आप सिंचाई की दर बढ़ाते चले जा रहे हैं। अभी आडिट रिपोर्ट से मालूम हुआ कि नलकूपों से प्रति वर्ष ६.२३ करोड़ रुपये की और नहरों से ३.७५ करोड़ की हानि प्रतिवर्ष होती है और जब हानि होती है तो सिंचाई की दर बढ़ा देते हैं। इस प्रदेश में अन्य राज्यों से सिंचाई दर अधिक है अंग्रेजी राज्य से तिगुनी हो गई है। अंग्रेजी राज्य में धान के लिये ७ रुपये दर थी आप के यहां १४ रुपये, ऊख के लिये अंग्रेजी जमाने में १० रुपये दर थी आपके यहां ४० रुपये हो गई है। अंग्रेज नहरों और नलकूपों से प्रति वर्ष १ करोड़ ८० लाख रुपये की बचत करता था और आप घाटा दिखाते चले जा रहे हैं।

गेहूं के लिये महाराष्ट्र में सिंचाई की दर ९ रुपया है तो उत्तर प्रदेश में १२ रुपये है, पंजाब में ५.८९ रुपया है। इस प्रकार से और राज्य में भी कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा और दूसरी ओर अन्य राज्यों में घाटा भी नहीं होता, घाटा आपके यहां होता है। क्यों हो रहा है? आपने अनुदान मांगा है ६३ करोड़ ६३ लाख का। बड़ा अच्छा फिगर है। छः और तीन का चुम्बन हो रहा है। चुम्बन हो रहा है निर्माण और भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार की बड़ी गंगा यहां बह रही है कि छोटे कर्मचारियों से लेकर मंत्री जी तक इसमें लीन हैं। मैं अभी अपने क्षेत्र में गया था। चाय की दूकान पर चर्चा हो रही थी। एक आदमी कह रहा था कि इस विभाग में ५ फीसदी ओवरसियर लेता है, ५ फीसदी इंजीनियर लेता है और २ फीसदी आफिस लेता है, यह प्रचलित नियम है। एक सरकारी कर्मचारी ने वहां यह कहा कि अब ५ फीसदी मंत्री जी का भी जाता है। एक किसान वहां बैठा था उसके मुंह से निकला ये धरती माता के हत्यारे हैं, इन्हें गोली मारो।

आपके यहां एक टेक्नीकल सैल है। वहां कौन लोग भेजे जाते हैं वहां वही लोग भेजे जाते हैं जो दूसरी जगह बदनाम हो जाते हैं, जिनके खिलाफ दूसरी जगह गबन आदि के चार्जेज होते हैं उनको टैक्नीकल सैल में भेज दिया जाता है। एक व्यक्ति था निर्माण विभाग में उसके ऊपर अभियोग लगे थे तो उसको टैक्नीकल सैल में भेज दिया गया और उसकी फाइल को भी दबा दिया गया। उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गहरे आरोप थे। मैंने एक इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत की और उस इंजीनियर ने उन आरोपों को कबूल लिया कि ये चीजें मौके पर नहीं थीं।

जब यह मामला टैक्नीकल सैल में गया तो ठेकेदार के ऊपर ३–३ हजार रुपया फाइन कर दिया गया लेकिन गलत काम करने वाले ओवरसियर और इंजीनियर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। वे लोग बाकायदा अपनी जगह विराजमान हैं। ठेकेदार की गलती बतायी गयी कि उसने ये चीजें सप्लाई नहीं की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ओवरसियर और इंजीनियर का टैक्नीकल सैल में जाकर सौदा हो गया ५ हजार में। कहां तक काले कारनामों की बात कहूं। सैकड़ों लोग हैं।

एक रबी दत्त हैं। एक ओम दत्त शर्मा हैं। एक मि० सक्सेना के बारे में जनता ने भ्रष्टाचार की आवाज उठायी। उसका तबादला हुआ। वह दौड़ कर लखनऊ आया और कहा जाता है कि उसका सौदा हो गया ५ हजार रुपये में। ५ हजार रुपये बड़ी सुन्दर फिगर है। तीन हजार रुपया उसने दे दिया। जब वह बलिया पहुंचा तो उसके ट्रान्सफर आर्डर रोक दिये गये। जो चार्ज लेने गया था उसको रोक दिया गया। तीन हजार दिया था, दो हजार का सौदा बाकी था। नतीजा यह हुआ कि फिर ट्रान्सफर। इस तरह तीन बार चार्ज देना पड़ा और सक्सेना इंजीनियर आज भी हमारे जिले में पड़े हुये हैं। मंत्री जी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि क्या करें, बलिया के विधायकों से तो मैं परेशान हूं। न जाने कौन विधायक उनको परेशान करते हैं। मैं तो कभी जाता नहीं हूं। मैं चुनौती देकर कहता हूं कोई बता दे कि मैं कभी ट्रान्सफर के लिये गया हूं। तीन-तीन सरकारें बनीं मुझे गर्व है कि मैंने किसी के ट्रांसफर को रुकवाने के लिये आज तक नहीं कहा।

अन्त में एक बात मैं इस विभाग के बारे में कहूंगा। मंत्री जी इस पर विचार कर लें। २७० सहायक अभियन्ता जो सन् १९६२ के पूर्व से काम कर रहे हैं आज भी अस्थायी हैं। इन सहायक अभियन्ताओं ने २९ जून या किसी तारीख को मुख्य मंत्री को अपना एक प्रतिवेदन दिया। शायद आप भी उपस्थित थे और नारायणदत्त तिवारी जी भी थे। आप लोगों ने कहा कि इनकी मांगें उचित हैं और निर्देशन दिया कि उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये। लेकिन मुझे दुःख है कि आप के निर्देशन के बावजूद आज तक उनके लिये कुछ नहीं किया गया। साथ ही इन्जीनियरों ने कसम खाई थी कि हम ईमानदारी से काम करेंगे लेकिन आज वहां पर हो क्या रहा है। हिन्दुस्तान कान्सट्रेक्शन कम्पनी के इशारे पर इंजीनियर आते और जाते हैं। अगर ऐसे भ्रष्ट लोगों के कहने पर आप ट्रांसफर करते रहे तो बड़ी गड़बड़ी होगी। इस कम्पनी ने बहुत नाजायज लाभ टंडन से मिलकर कमाया है इसकी आप जांच करा लें, मैं लिखकर दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया। माननीय कन्हैयालाल।

श्री सुखपाल पांडेय—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। बाबू राम करन सिंह जी ने आज मुझे बोलने के लिये आपसे सिफारिश की है। इसलिये मैं इस भ्रष्ट ढंग से सिंचाई के अनुदान पर पर बोलने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि उपाध्यक्ष से सिफारिश करके बोला जाय इसको भ्रष्ट तरीका समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोले तो। अभी मैंने तो समय नहीं दिया था।

श्री सुखपाल पांडेय--

मैं सूचना दे रहा था कि परम्परा गलत है । आज उन्होंने आपसे मेरे लिये समय मांगा, सिफारिश की इसलिये मैंने कह दिया कि मैं आज नहीं बोलूंगा इस भ्रष्ट ढंग से ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य यहां आकर बार बार कहते हैं उनको समय नहीं मिलेगा । उनको एक को भी मैं समय नहीं दूंगा । और माननीय सोनकर साहब, आपके लिये तो मुख्य मंत्री जी ने समय देने के लिये कहा था । तो मुख्य मंत्री जी ने जिसके लिये कहा उसको तो समय मिलेगा ही लेकिन फिर भी आप क्यों यहां आए ?

श्री सुखपाल पांडेय--

जब मुख्य मंत्री की सिफारिश आपके यहां आ गई है इसलिये मैंने तय कर लिया कि सिफारिश पर नहीं बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो सचेतक होंगे और जो नेता सदन हैं वे जिसको कहेंगे, यह सदा परंपरा रही है, उसको समय दिया जा सकता है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

सचेतक ने अगर किसी का नाम नहीं लिखा तो उसके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिये । सचेतक तो न मालूम किन-किन कारणों से नाम भेजते हैं और अगर यही आधारशिला रहती है तो उससे हमारे अधिकारों का हनन होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका निर्णय अपने दल के अन्तर्गत आप करते हैं ।

*श्री कन्हैया लाल (जिला मथुरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सिंचाई के अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जिस मेहनत, ईमानदारी और अच्छे ढंग के साथ माननीय मंत्री जी ने इस विभाग को संभाला है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । अभी मुझसे पहले जनसंघ के माननीय नेतराम जी और शंभूनाथ जी चौधरी बोल रहे थे । वे हिसाब लगा रहे थे कि 200 साल में कहीं जाकर सेचुरेट हो पायगा । चौधरी साहब इसको 188 साल कह रहे थे । मेरे पास जो किताब है और उसमें जो सरकारी आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उससे केवल जो बोया गया क्षेत्र प्रान्त का है, वह हजार हेक्टर में दिया है। वह 1951 में कुल 17,468 हजार हेक्टर क्षेत्रफल था जब कि यहां पर पंचवर्षीय योजना शुरु की गई । उस समय 1951 में पूरे प्राप्त में 3,054 हजार हैक्टर क्षेत्रफल ऐसा था जो सरकारी सिंचाई साधनों के अन्तर्गत लगा हुआ था । आज 19 साल के बाद हमने 5,601 हजार हेक्टर क्षेत्र फल में सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिये हैं । इसका अर्थ यह है कि हम लोग 87 परसेन्ट आगे बढ़ गये हैं । यहां का कुल क्षेत्रफल 17,468 हजार हेक्टर ऐसा है जो कुल बोया हुआ है । 19 साल के बाद हम लगभग दुगुना के पहुंच गये हैं ।

(इस समय 3 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठात, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुए ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम 5 हजार तक पहुंच गये हैं। अगर इसी प्रकार के हिसाब से उन्नति होती गई तो साढ़े 27 साल में हम सेचुरेट हो जायेंगे...

श्री इन्द्रमणि—

आप पहले पेज को देखने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता—

वह बैठ नहीं रहे हैं।

श्री कन्हैयालाल—

तो मैं समझ नहीं पाया कि नेतराम जी और चौधरी साहब ने किस हिसाब से 200 साल कह दिया। मेरे हिसाब से 26, 27 साल में हम इस पोजीशन तक पहुंच जायेंगे कि हम सेचुरेट हो जायेंगे। इसी तथ्य के आधार पर मुझे एक बात कहना है कि हमारे प्रदेश में 3, 4 हिस्से किये गये हैं। पच्छिमी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्गीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। इसमें सब-के आंकड़े दिये हुए थे। अगर उनको देखा जाय तो हमारे मथुरा जिले में, जहां से मैं चुनकर आया हूं, वहां जो तरक्की हुई है, जो बढ़ोत्तरी हुई है, वह योजनाकाल के शुरू से पहले 340 हजार हेक्टर था जो आज 344 हजार हेक्टर हुई है, मथुरा में जो सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए हैं वह केवल 1 प्रतिशत ही बढ़े हैं। यदि पच्छिमी जिलों को देखा जाय तो फर्रुखाबाद में 100 प्रतिशत, अलीगढ़ में 39 प्रतिशत, बिजनौर में 70 प्रतिशत, सहारनपुर में 54 प्रतिशत मुजफ्फरनगर में 18 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन मथुरा में केवल 1 प्रतिशत ही बढ़ोत्तरी हुई है।

रामपुर में २०० प्रतिशत है और मध्यवर्ती क्षेत्र में आप देखेंगे कि प्रगति बहुत ही कम हुई है। बुन्देलखंड में भी झांसी जिले में ३०० प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र बढ़ा है, हमीरपुर में १२० प्रतिशत बढ़ा है। पूर्वी क्षेत्र में भी ७८.५ हेक्टेयर हो गया यानी ५० गुना हो गया। देवरिया में भी १५० गुना हो गया यानी १५ हजार प्रतिशत बढ़ गया लेकिन हमारे मथुरा जिले में यह क्षेत्रफल कुल १ प्रतिशत ही पिछले १९ साल में बढ़ पाया है, हमारी इस बात पर बहुत शिकायत है।

श्री अधिष्ठाता—

यह सन्तोष की बात है कि आप सन्तोषी हैं।

श्री कन्हैयालाल—

मैं शिकायतन अर्ज कर रहा हूं कि मथुरा में जो यह १९ साल में केवल १ प्रतिशत की की बढ़ोतरी ही हुई। हम सन् ५७ से बराबर सुनते आ रहे हैं कि रामगंगा प्रोजेक्ट से मथुरा जिले को पानी दिया जायगा, यह भी अब बन कर तैयार हो रही है लेकिन सुना है उसका पानी भी इलाहाबाद की तरफ भेजा जायगा और आगरा, अलीगढ़, मथुरा को उससे भी अब महरूम रखा जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है। मथुरा जिले में जहां ५,००० वर्ष पहले दूध की नदियां बहती थीं और आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जी के जमाने में वहां घी दूध की क्या हालत थी, वहां आज हालत यह हो गई है कि घास भी नहीं जमती और सूखा रहता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी हमारे जिले की तरफ विशेष ध्यान दें।

[श्री कन्हैया लाल]

अब मैं अपने क्षेत्र के विषय में भी कुछ निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में जो यह केवल १ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है वह कम है और वहां सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया जाय। साथ ही मैं दो एक सुझाव भी देना चाहता हूं। यह जो भगोसा माइनर है इसको २ मील और बढ़ाया जाय और पाली, पाउल, नीमगांव, भगोसा, मड़ोरा, गाठोली और सकरवा गांवों में बराबर सूखा बना रहता है उस के लिये पाली माइनर को मेन कैनाल से कनेक्ट किया जाय। फरै के इलाके में कीठम माइनर को भी बढ़ाया जा सकता है। बराही रजबहे को मुस्तकिल किया जाय। अगर मथुरा रजबहे को बढ़ा दिया जाय तो बिरजापुर, औरंगाबाद और प्रानमपुर का सूखा इलाका सिंचित हो सकेगा।

इसके अतिरिक्त हमारे यहां की गर्की की जो समस्या है उसकी ओर भी विशेष ध्यान दिया जाय। हमारे यहां बाढ़ का पानी निकालने के लिये गोवर्धन ड्रेन बनाया गया, उसमें दो ढाई करोड़ रुपया लगाया गया और मैं समझता हूं कि वह रुपए का क्रिमिनल वेस्ट हुआ क्योंकि बजाय पानी निकलने के उल्टा राजस्थान का पानी उसमें होकर हमारे यहां आ रहा है। पैठा ड्रेन, गऊघाट ड्रेन, अड्डा पाली ड्रेन और राधा कुंड ड्रेन सब इसलिये रुक गये चूंकि गोवर्धन ड्रेन ऊंचा है, वह खुल जाय तभी पानी नीचे जा सकता है। पैठा ड्रेन के लिये पहले ४० हजार रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने रखा था लेकिन वह भी नहीं बन सका। उसका कारण भी हम नहीं समझ सके कि क्या बात हुई, इस काम को पूरा किया जाय क्योंकि पानी पम्पिंग सैट से बाहर निकालना पड़ता है।

श्री मैनेजर सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई अनुदान के सम्बन्ध में प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। यह विभाग तो एक टेक्निकल विभाग है लेकिन इसके सारे काम नान-टेक्निकल हैं। प्रश्नों के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने सदन में कहा कि छितौनी बांध गलत जगह पर, गलत ढंग से और गलत सामान से बनाया गया है।

यह विभाग ऐसा है जो टेक्नीकल के नाम पर इस गरीब प्रदेश की गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटा रहा है। इसलिए इस विभाग के लिए तो एक पैसा भी या एक रुपया भी स्वीकृत करना इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करना होगा। इस विभाग की गड़बड़ियों की चर्चा यहां पर अनेक माननीय सदस्यों ने की और हमारे साथी, माननीय शम्भूनाथ जी ने टैक्नीकल सैल की बात की। आज से वर्षों पहले पी० डब्लू०डी० और सिंचाई विभाग की शिकायतों पर सिंचाई विभाग में टैक्नीकल सैल खोलने की बात तय हुई और यह निर्णय हुआ कि इसमें एक स्वच्छ, इमानदार, चरित्रवान अभियन्ता रखा जाय जो सारी गड़बड़ियों की छानबीन करे। उस सेल की वह दुर्दशा हुई कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता है। इस सेल में एक श्री सत्यदेव जो पी० डब्लू० डी० के अभियन्ता थे, उनको सिंचाई विभाग के सैल में रखा गया, ऐसे अभियन्ता जो स्वयं बदनाम रहे हों, जिनको पी० डब्लू डी० की सैल में चार्ज किया गया हो, इस हिस्ट्री शीटर इंजीनियर को आपने इस टैक्नीकल सैल में नियुक्त किया, उसको चाहे जिस किसी ने बैठाया हो चाहे इधर के बैठने वालों या उधर के बैठने वालों ने, शासन इसके लिए जिम्मेदार है। आपको इस हिस्ट्रीशीटर को निकाल देना चाहिए और कल सुबह तक बाहर निकाल दीजिए। आपको चार्ज लिए हुए अब तो कई महीने हो गये हैं। पी० डब्लू० डी० जो पब्लिक वेस्ट मनी विभाग है, उसमें इसको भेज दीजिए। उसमें जाकर वह गड़बड़ी करें।

हमारे प्रदेश में एक सर्यू योजना बनायी गयी थी वह बहराइच, बस्ती और गोंडा के लाभ के लिए सोची गयी थी लेकिन इस विभाग के इंजीनियरों ने और शासन ने इसे ऐसा उलट दिया कि जिससे इस योजना से पानी का लाभ नहीं हुआ है। न बहराइच को, न बस्ती को

और न गोंडा को ही हुआ है। यह इस विभाग की कार्यवाही है। आज इस विभाग के नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष है। इस विभाग के लिए एक शुक्ला कमेटी बनी थी, काफी दिन हो गये उसकी रिपोर्ट आयी लेकिन प्रदेशीय शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया। उस रिपोर्ट में था कि सेवा नियमावली तैयार करेंगे।

इस विभाग में जो अभियन्ता आते हैं उनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग से की जाती है स्थायी रूप में और जो स्थायी पद आते हैं तो उनमें से ५० प्रतिशत लोक सेवा आयोग से आते हैं। तो जो सहायक अभियन्ता आपके विभाग में हैं, उनके उत्साह पर तुषारपात होता है। वे अन्धकार में पड़े हुए हैं। आप अस्थायी इंजीनियरों को स्थायी करने के समय पर लोक सेवा आयोग को उनकी चरित्र पंजिकाओं के साथ संस्तुति करें और उनके आधार पर उनको स्थायी करायें ताकि उनका उत्साह बढ़े और मेहनत व उत्साह से विभाग में वे काम करें।

इस सिलसिले में हमारे भाई कन्हैयालाल जी ने कहा बहुत अच्छा है कि मथुरा जिले में अब रेत देखने को नहीं है लेकिन जब मैं वहां पर जाता हूं तो रेतीले मैदानों को देखता हूं। तो दिल बैठ जाता है। भाई कन्हैया जी को हरियाली सूझ रही है।

हमारे बलिया जनपद का आज तीन चौथाई भाग पानी में है। माननीय मंत्री जी की करामात से आज उस जिले में भी सिंचाई के साधन नहीं हैं। बाढ़ में लोग डूबते हैं, मरते हैं, खरीफ की फसल नष्ट होती है और रबी की फसल भी नष्ट हो रही है। सिंचाई के अभाव में रबी की फसल मारी जाती है। दोहरी का जो पम्प केनाल है, वह टेल तक पानी नहीं दे पाता। बलिया के किनारे के इलाकों में पानी नहीं पहुंच पाता। कहा गया कि हल्दी रामपुर के पास छः सौ क्यूसेक्स के पम्प लगाये जायेंगे और बलिया का जो इलाका है, नहर के रेल पार है वहां पानी दिया जायेगा। लेकिन माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि धनाभाव से उक्त योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। दोहरी घाट की योजना से किसानों को धोखा हुआ है। धन पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप सदन के सामने साधन बढ़ाने का प्रस्ताव लाइये। तब आपका अनुदान स्वीकृत हो वरना यह स्वीकृत होने लायक नहीं है। मैं ट्यूबवेल के बारे में कहना चाहता हूं। इनके बारे में जो प्रतिबन्ध लगा है कि यदि पहले साल ये चार हजार घंटे चलेंगे तो उन्हीं क्षेत्रों में ये लगाये जायेंगे। बलिया के पश्चिमी इलाकों में ट्यूबवेल चार हजार घंटे चलते हैं। दो हजार घंटे बलिया के पूर्वी क्षेत्रों में चलते हैं। लेकिन पानी का डिस्चार्ज पूर्व से पश्चिम से दुगना है। जो राजस्व का लाभ है वह दो हजार घंटे चल कर उतना ही है जितना चार घंटे चल कर पश्चिम में मिलना है। पूर्व में इसकी ढील दी जाय। इसमें सुधार करिये।

(लाल बत्ती होने पर)

अधिष्ठाता महोदय, मैंने पांच मिनट भी पूरे नहीं किये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपने अपने भाषण के आठ मिनट पूरे कर लिये हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन् हमारे यहां सिंचाई महकमे में बलिया बेरिया और तुरतीपार बांध बनने वाला था। श्रीमन्, बिहार को एतराज है, अतः जो बांध बनने वाला था वह रुका हुआ है किन्तु उत्तर प्रदेश शासन की नालायकी के कारण वह काम अभी पूरा नहीं हुआ है और उसमें

[श्री मैनेजर सिंह]

केन्द्रीय सरकार की अनुमति नहीं प्राप्त हो सकी है। श्रीमन्, इस विभाग की नालायकी के कारण ही बकुलहा—ससाटुला बांध जो छः मील पूरा हो गया था, वह नहीं मरम्मत हो सका। श्रीमन्, उस बांध को देखने के लिये आपके बड़े बड़े इंजीनियर गये, आपके बड़े-बड़े अफसर गये, उसी बांध को आप कहते हैं कि उसमें गैप्स हैं इसलिए वह पूरा नहीं किया जा सकता है। यह आपकी फाइल में कैसे फितूर आ गया है। जिन अधिकारियों की वजह से गलत रिपोर्ट आई है उनको निकालें। तुरतीपार श्रीनगर, घाघरा के किनारे बांध का निर्माण हुआ। गंगा के किनारे बलिया बेरिया बांध का निर्माण हुआ। बेरिया संसाटुला का निर्माण होने वाला था जो केन्द्रीय सरकार के आदेश से रोक दिया गया उसको भी पूरा करें ताकि जो इलाका उससे सम्बन्धित है उसमें भी आबपाशी हो सके। सिंचाई विभाग बहुत बड़ा विभाग है। इस विभाग का जो उच्च अधिकारी हो, जो सचिव हो, वह प्रखर बुद्धि का, तेज और कुशल होना चाहिये। मुझे अफसोस है कि जो सिचाई विभाग के वर्तमान सचिव को बुद्धि से दुश्मनी है, उनको विवेक से दुश्मनी है। अगर आप ऐसे सचिव रक्खेंगे तो विभाग चौपट हो जायेगा। इसलिए सचिव को भी बदलें।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने सिंचाई संबंधी अनुदान पर मुझे भी विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री हरनारायण (जिला पीलीभीत)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा तीसरा नम्बर था....

श्री अधिष्ठाता—

मेरी जिस माननीय सदस्य पर नजर पड़ेगी, मैं उसको अवसर दूंगा।

श्री रामलाल राही—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हुं। मान्यवर, यह प्रदेश और देश कृषि प्रधान है। यहां अधिकतर किसान रहते हैं और खेती करते हैं। सिंचाई के साधन जितने भी आप कर पा रहे हैं करते हैं लेकिन अगर उन साधनों का आप जिलेवार सही बटवारा करें और उनका सही उपयोग हो काश्तकारों के हित में तो काश्तकार सुखी और सम्पन्न होगा और आज जो असन्तोष है सिंचाई विभाग के प्रति वह दूर होगा। मैं एल मिसाल देना चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न किया था करीब १५ दिन पहले कि नलकूपों का बटवारा किस आधार पर सरकार करती है तो एक लिस्ट दी गयी ४७ जिलों की ....

श्री अधिष्ठाता—

जिस तरीके से अभी मंत्री जी गए हैं, यह फ्लोर क्रासिंग नहीं होनी चाहिए, यह उचित नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, सदन का अवमान किया है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए।

गृह-उप-मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

मान्यवर, मुझे खेद है, मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री रामलाल राही––

श्रीमन्, नलकूप विभाग को तीन-चार क्षेत्रों में बांटा गया है। एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें केवल दो जिले हैं––नैनीताल और देहरादून। दूसरा पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें 12–13 जिले हैं, तीसरा मध्य क्षेत्र है जिसमें 7–8 जिले हैं। इसी तरह से बुन्देलखंड क्षेत्र में 3 जिले हैं, पूर्वी क्षेत्र में 15–16 जिले हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यह जो बंटवारा है कि किसी क्षेत्र में 2 जिले और किसी में 10 जिले यह उचित नहीं है। क्षेत्रों का बंटवारा जिलों के हिसाब से समान होना चाहिए। जितने भी क्षेत्र बने हैं उनको बराबर-बराबर जिले दिये जायं।

नलकूपों का जो वितरण होता है, उसमें बहुत अनियमितता और पक्षपात बरता जाता है। मेरे जिले सीतापुर में 69–70 में लगभग 5 ट्यूबवेल दिये गये 70–71 में 10 दिये गये––जब कि इलाहाबाद को 60 और वाराणसी को जहां कि मंत्री जी रहते हैं, 60 ट्यूबवेल दिये गए हैं। आखिर इतना फर्क क्यों है ? क्या केवल इलाहाबाद और वाराणसी में ही सिंचाई होनी है ? क्या केवल वहां पर ही गल्ला पैदा होने से सारे प्रदेश का काम चल जाएगा ? सारे जिलों को नियमित रूप से जब तक सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं कराये जाएंगे तब तक समुचित ढंग से पैदावार नहीं हो पाएगी। मैं सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे जिले में बहुत कम ट्यूबवेल्स दिए गए हैं, कृपा करके कम से कम 40 ट्यूबवेल इस वित्तीय वर्ष में देने की कृपा करें क्योंकि मेरे क्षेत्र, हरगांव में सिंचाई के साधनों की बहुत कमी है। जो नहरें हैं, जमीन, नहर के कमांड क्षेत्र में आती हैं लेकिन पानी एक बूंद भी सिंचाई के लिये काश्तकारों को नहीं मिलता। काश्तकार राजकीय नलकूप की मांग करते हैं, मैंने भी अनकों लिखे तो लिखकर जवाब आया कि यह क्षेत्र नगर के कमांड में पड़ता है। नहर के कमांड में तो पड़ता है लेकिन पानी काश्तकार को नहीं मिलता तो किस तरीके से काश्तकार सिंचाई करे। आप पूरे प्रदेश में इस बात की छानबीन करावें कि कहां नहर का पानी पहुंचता है और कहां नहीं पहुंचता और जहां नहीं पहुंचता है उस क्षेत्र को नहर के कमांड से अलग कराकर वहां राजकीय नलकूप की व्यवस्था करें। तब जाकर कहीं आप समुचित रूप से सिंचाई के साधन उपलब्ध करा पायेंगे और जो जन असन्तोष हो गया है उसको आप दूर कर पायेंगे।

एक बात मैं ड्रेनों के बारे में, जो कि नहर विभाग के अन्तर्गत आती हैं, कहना चाहता हूं। इनमें बरसात का पानी जमा हो जाता है और ड्रेन की सफाई न होने के कारण हजारों बीघे जमीन झबरों में पानी जमा हो जाने के कारण, बर्बाद हो जाती है। ड्रेन्स तथा नहरों की सफाई का प्रबन्ध होना चाहिए ताकि पानी बराबर बहता रहे। यदि आप यह प्रबन्ध करेंगे तो खेती के बोने में भी आसानी होगी और पैदावार भी बढ़ सकेगी। ड्रेन्स की सफाई के नाम पर लाखों रुपया धन खर्च किया जाता है। इसके लिए बजट में प्राविधान है, लेकिन कोई सफाई नहीं की जाती है। मेरी जानकारी यह है कि 4–6 साल हो गये हैं परन्तु मेरे जिले की ड्रेन्स की कोई सफाई नहीं की गयी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ड्रेन्स की सफाई की व्यवस्था करें।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे दो मिनट और दे दें। चौका और घाघरा अपनी धारा हमेशा बदला करती हैं। इस वर्ष भी इनकी धारा से 15–20 गांव चौका नदी से कट गये हैं। गांवों के लोग तबाह हैं और परेशान हैं, परन्तु कोई देखने वाला नहीं है। हमारे प्रदेश के

[श्री राम लाल राही]

के अन्दर जितनी नदियां हैं आप कृपा करके उनको गहरा करायें और नदियों के किनारे वृक्षारोपण करायें। पम्प नहर योजना के अन्तर्गत सिंचाई के साधन उपलब्ध करायें जा रहे हैं। अगर आप नदियों को गहरा करेंगे तो जो अधिक पानी जमा होगा और उस पानी को आप पम्प योजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिये किसानों को दे सकते हैं। आप नदियों के किनारे वृक्ष अवश्य लगवायें, चाहे तो सिंचाई विभाग लगाये और अगर वह नहीं लगा सकता है तो बन विभाग के जिम्मे करें। इससे नदियां सुरक्षित रहेंगी, कटाव रुकेगा और खेतों की मिट्टी बह कर नदियों में नहीं जायगी। मैं एक मिनट और चाहूंगा....

श्री अधिष्ठाता---

नहीं, अब समय नहीं है।

श्री रामलाल राही---

छोटे काश्तकारों को पानी नहीं मिल पाता है और जबरदस्त लोग पानी ले लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठें।

श्री रामलाल राही---

इसलिए मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इस ओर ध्यान दें और ओसरा बन्दी की व्यवस्था कर दें उससे सभी किसान पानी पा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

श्री इन्द्रमणि बड़ोनी जी, आप जारी करें।

श्री रामलाल राही---

पानी न मिलने के कारण लड़ाई-झगड़े और कत्ल होते हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आखीर तक समय का बंटवारा हो जायेगा, आपको शिकायत नहीं रहेगी।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रमणि---

श्रीमन्, हमारे प्रान्त में ८७ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और हर आदमी का सम्बन्ध खेती से है। श्रीमन्, आप देखें खेती का सम्बन्ध सिंचाई से है। आज का बजट बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव के हर आदमी का ताल्लुक इससे है। अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे तो खेती अच्छी हो सकती है। मंत्री जी ने सब अनुदानों में करीब ७३ करोड़ रुपये मांगे हैं सिवाय लेखानुदान के, लेकिन, श्रीमन्, यह उनकी प्रगति की चाल है और जैसा कि हमारे साथी ने कहा यह बिल्कुल धीमी चाल है। इनके प्रगति विवरण पुस्तिका के मुताबिक २५५ लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था होगी। श्रीमन्, आप देखें कि अब तक कितनी सिंचाई की व्यवस्था हुयी है। ५७.७५ लाख हेक्टेयर भूमि में राजकीय सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचाई हो रही है और ४०.४७ लाख हेक्टेयर भूमि में निजी सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचाई हो रही है। कुल खेती योग्य भूमि २५५ लाख हेक्टेयर है उसमें से सिंचित, केवल दोनों तरह की सिंचित भूमि का योग १९.२२ है। तो इस समय असिंचित क्षेत्रफल १५५.७८ लाख हेक्टेयर एकड़ हो गया।

आप इनकी चाल देखेंगे तो पता चल जायगा कि कितने समय में सिंचाई की समस्या पूरी होगी। शासन द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, उसम इनका क्या लक्ष्य है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह सरकार कितना सिंचित क्षेत्र बढ़ायेंगे इसमें यह लिखा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ५.५५ लाख हेक्टेयर क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की परिकल्पना की गई थी। इसमें १९६९–७० के दौरान १ लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और आशा की जाती है कि १९७०–७१ के दौरान .९४ लाख हेक्टेयर, १९७१–७२ में १.४१ लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हो जायेगी। तो श्रीमन्, १९६९–७० में जितनी सिंचाई हुई थी वह १९७०–७१ में उतनी नहीं हुई है। अगर इसको आप १.४१ लाख हेक्टेयर भी रखें प्रति वर्ष १ लाख हेक्टेयर भी मान ली जाय तो १५० साल उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिये लगेंगे।

मैं चाहता हूं कि यहां गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक का मैदान है जहां ५० फीट पर ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं, इसका पूरा उपयोग किया जाय। अगर सरकार किसानों को पानी यहां न दे सके जहां नदियों का जाल बिछा हुआ है तो बड़े दुःख की बात है। यह सरकार समाजवाद का नारा देती है लेकिन किसानों को पानी भी नहीं दे सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी सिंचाई मंत्री टेहरी गये और वहां उन्होंने घोषणा की थी टेहरी बांध की लेकिन निश्चित घोषणा नहीं की थी कि कब तक बनेगा। क्योंकि टेहरी का सारा विकास इस बांध के कारण रुका हुआ है इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर इसको बनाना है तो टेहरी को कहीं बसाना है। वहीं टेहरी के विकास का काम शुरू कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि टेहरी में जितने लोगों की जमीन डाम के कारण अन्दर लेनी है उनको बसाने का इन्तजाम किया जाय। जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान नहीं दिया जायेगा तो हम आपको जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। इसके अलावा श्रीमन्, जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि यह जितनी भी योजनायें हैं, जैसी भी हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने पर्वतीय जिलों में देखा है कि नहरों का पानी समय पर नहीं मिलता है। धान की क्यारी उखड़ने पर रुपाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। अगर किसान को समय पर पानी नहीं मिल सकता है तो श्रीमन्, ऐसी नहरों के निर्माण से कोई फायदा नहीं होगा। अतः इन पर सही ढंग से काम करना चाहिये।

मेरे ख्याल से विद्युत् विभाग और सिंचाई विभाग एक मंत्री के पास होना चाहिए। पंडित जी ने लोगों को खुश करने के लिये दो मंत्री बना दिये हैं इससे उत्तर प्रदेश के किसानों को नुकसान होगा। ट्यूबवेल बना दिया लेकिन बिजली वाला कहता है कि बिजली नहीं है। बिजली न मिलने के कारण प्रदेश में कितना गेहूं बर्बाद हुआ है तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? पर्वतीय जिलों का सिंचित क्षेत्रफल बहुत ही कम है टिहरी-गढ़वाल में समस्त उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल है केवल १ प्रतिशत मेलियन हेक्टर सिंचित है। अतः वहां पर चौरास, जवाड़ी, मलेथा, घेड़लियाय गांव में लिफ्टिंग योजना आरम्भ कर दी जाय।

(१) लम्टर कहां है ?

(२) लस्तर बांगर से लस्या सिलगढ़ नहर।

(३) लस्तर से बड़या पुढ़गढ़ नहर।

(४) भिलन से ग्यादब गांव हिन्दाझ नहर।

[श्री इन्द्रमणि]

(५) देवप्रयाग से पानी लिफ्टिंग करके या कोटेश्वर से लिफ्टिंग करके समस्त खास पट्टि तथा क्वांजी पायकोट, धारअकरी में सिंचाई आसानी से हो सकती है।

मंत्री जी के पास बाढ़ का विभाग भी है तो मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में इससे बहुत सारा नुकसान होता है और इसके लिये श्रीमन्, एक आयोग बैठा था। उस आयोग ने केन्द्र से २२५ करोड़ की मांग की थी। आज से ५ साल पहले कहा था लेकिन कितना दे रहे हैं? करोड़ से रुपया, इसके लिये रखा गया है और उसमें भी दो करोड़ रुपया आप खर्च करेंगे छितौनी बांध की सुरक्षा पर। अन्य पर्वतीय जिलों में अलकनन्दा में इतना नुकसान हुआ है तथा कितने ही ग्राम टिहरी में खतरे में हैं, वहां के लिये कोई स्कीम नहीं है। तो इस प्रान्त में बाढ़ के लिये सुनियोजित योजनायें बनाई जायं।

श्री राजित राम पांडेय--

अधिष्ठाता महोदय, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने हमें सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया है। आपके जरिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ८५ प्रतिशत किसान हैं और १५ प्रतिशत बाबू और कोठी वाले लोग हैं। इस सदन में दो तीन दिन से बड़ी जबरदस्त चर्चा रही और किसानों के साथ हमदर्दी की बातें कही गयीं। मैं माननीय सदस्यों की तकरीर को सुन रहा था जो कि किसानों के साथ हमदर्दी की बात इलेक्शन में किया करते हैं और यहां भी किया करते हैं। मुझे उनकी तकरीर सुन कर बड़ा अफसोस हुआ। कई दिन से चर्चा हो रही है चाहे वह बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो या खाद का मसला हो।

आप देखें कि किसान की हालत क्या है। ८५ प्रतिशत जो किसान हैं वे परेशान हैं और बाबू लोग और बड़ी बड़ी कोठी वाले लोग मालामाल हो रहे हैं। आप असेम्बली में बैठ कर, खल्के खुदा हैं मुल्के खुदा हैं। यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं वे खुदा हैं। एक खुदा जन्नत में है जो नियाज देते हैं और एक ये हैं जो यहां बैठे हैं। चाहे इधर के लोग हों या उधर के लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि किसानों की हालत क्या है। सरकार ने थोड़ी सी राहत दी, थोड़े से नमक के बराबर साधन दिये जिसकी वजह से किसान की पैदावार बढ़ी और जहां आप दूसरे मुल्कों से गल्ला मंगाते थे, दूसरे मुल्कों से भीख मांगते थे, वहां आज यह नौबत आ गयी कि आप किसान का गल्ला भी खरीदने को तैयार नहीं हैं।

आज आप काश्तकार क्या चाहते हैं? क्या काश्तकार की हड्डी को पीसना चाहते हैं? क्या काश्तकार को मिटा दे चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि खाद का दाम कितना बढ़ा हुआ है, पानी का दाम कितना बढ़ा हुआ है। कितना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। इस सब पर आपको सोचना होगा। आज तीन दिन से चर्चा हो रही है। बिजली की बाबत बहुत कुछ कहा गया। आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों को, बिड़ला को २ पैसे यूनिट पर बिजली दे रहे हैं और जो किसान है उसको आप ३५ पैसे यूनिट देते हैं। किसान की रीढ़ टूट गयी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाजवाद का नारा लगाया है कि समाजवाद आयेगा तो क्या वह इस तरह आयेगा? मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से सवा छः एकड़ का लगान माफ किया है उसी तरह से सवा छः एकड़ पर पानी की आबपाशी भी माफ कर दें। अगर आप सही मायने में किसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश से गरीबी को मिटाना चाहते हैं तो आपको यह करना चाहिए। यह कहना कि सरकार का खर्चा कैसे चलेगा तो सवा छः एकड़ माफ करके चल सकता है तो यह भी माफ करके चल सकता है। ट्यूबवेल्स आपने लगाये, पम्पिंग सेट्स लगाये लेकिन किसान पम्पिंग सेट्स नहीं चाहता।

किसान आज नलकूपों को इसलिये नहीं चाहता है कि बिजली में बड़ा भ्रष्टाचार है। 300 रुपये की जगह जब 3 हजार का बिजली का बिल किसान के पास पहुंचता है तो उसके घर की नथुनी तक बिक जाती है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे कुछ समय और, मान्यवर, दे दें। मैं इलाहाबाद जिले से आता हूं। माननीय सदस्यों ने कहा कि इलाहाबाद में नलकूप लगाये गये, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर कोई नलकूप नहीं लगा है। वहां पर पानी का कोई साधन नहीं है। अभी हाल ही में पीने के पानी की हमारे यहां कितनी तकलीफ हुई थी वह सभी माननीय सदस्यों को पता है। एक एक किसान 12–12 हजार रुपये खर्च करके भी पम्पिंग सेट नहीं पा सका। मैं माननीय बंशीधर जी को दाद देता हूं कि उनका कुछ ध्यान हमारी हंडिया तहसील की ओर गया था। मैं माननीय सिंचाई मंत्री, श्री रामलखन को भी दाद देता हूं कि उन्होंने हमारे कहने पर एक भ्रष्ट इंजीनियर का तबादला कर दिया जो न कोई गूल बनवा सका था न कोई नलकूप लगवा सका था। हमारे यहां एक गांव बनकटा है जहां का एक व्यक्ति, हजारीलाल गोली खाकर मरा था, वहां के किसान आज पीने के पानी तक के लिये तरस रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि वहां एक नलकूप अवश्य लगवा दिया जाय। (व्यवधान)

बनकट, जबरा डीह, भेड़ी, पकलौर, सुअरालमाही, पूरे मथुरादास, बीरपुर उर्फ कसौंधन, रामनगर, उमरी, मनोहरपुर, बन्स सराय, मकदूमपुर, कनौरा, मर्रौ आदि गांवों में नलकूप लगवाने की व्यवस्था की जाय। मैं सिंचाई बजट का समर्थन करता हूं और गवादन ताल में नाला निकाल जाय।

*श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है जहां की 80 प्रतिशत जनता केवल भूमि पर ही निर्भर रहती है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए भोजन अत्यन्त आवश्यक है, वैसे ही इस प्रदेश के लिये सिंचाई की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो समाजवाद का बारबार नारा लगाती है, इस सरकार का यह बजट केवल पूंजीपतियों के लिये है, गरीबी मिटाने वाला यह बजट नहीं है और न ही इससे हर खेत को पानी मिलने की कोई आशा है। हर इन्सान, वह चाहे किसी भी देश का हो, अन्न खाता है, न कि कपड़ा। वह अन्न के बिना जिन्दा नहीं रह सकता। इस समाजवादी सरकार ने एक नारा दिया है। वह नारा है हरीक्रान्ति का। हरीक्रान्ति का जब नारा दिया है तो मान्यवर, हर खेत को पानी देना ही पड़ेगा। मैं आपका ध्यान नलकूपों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

आज जितने सरकारी नलकूप हैं, उनका सिंचित एरिया 300 एकड़ का रखा गया है। यहां पर दोनों तरफ जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनमें से 75 प्रतिशत किसानों के लोग हैं, मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं कि 300 एकड़ में सरकार का ट्यूबवल कभी सिंचाई नहीं कर सकता है। जो प्रदेश में गेहूं बोया जा रहा है, उसको 3–4 पानी मिलने चाहिए, इस तरह से 1200–1500 एकड़ में राजकीय नलकूप द्वारा पानी पहुंचना चाहिए, उसे आप सोचें कहां तक हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकारी नलकूप का जो सिंचाई का एरिया है, उसको 300 एकड़ से घटा कर 200 एकड़ कर दिया जाए, तभी प्रदेश में हरित क्रान्ति सफल हो सकती है।

हरित क्रान्ति के लिए सरकार को यह भी चाहिए कि वह किसानों को कम दर पर ऋण देने की व्यवस्था करें। जब किसान ऋण लेने जाता है तो उसका आधा कर्जा तो सरकारी

---

* वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम निहोर राय---]

अधिकारियों को रिश्वत देने में खर्च हो जाता है। इस को रोकना चाहिए और उसे कम दर पर ऋण दिये जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा जो छोटे छोटे किसान हैं, 5 बीघा तक वाले किसान हैं, उनको पांच वर्ष के लिए बिना सूद के ऋण दिया जाए।

एक चीज मैं अपने क्षेत्र के विषय में कहना चाहता हूं। गंगा योजना मिर्जापुर में आई है। चन्द्रिकाघाट, सिहोराघाट में गंगा लिफ्ट योजना लगाई जाए तो वहां पर 3,000 एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है। वहां पर अन्य कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। वहां पर सरकारी नलकूप लग सकते हैं। किन्तु आपके इंजीनियर्स कहते हैं कि वहां पर सरकारी नलकूप नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर नीचे पत्थर हैं। उनकी यह बात बिल्कुल गलत है वहां पर सरकारी नलकूप लग सकते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स वह पर लगाए गये हैं, वे सफल हुए हैं।

हमारे यहां एक रजबहा है, सन् 63-64 में जो बनकर तैयार हुआ है। इसकी लम्बाई 14 मील 1 फर्लांग है। आजकल उससे सिंचाई नहीं होती है, बेकार पड़ा है। उसके बारे में पिछली बार मैंने असेम्बली में क्वेश्चन किया था, जिसका उत्तर मिला था कि इस पर 10 हजार रुपया प्रति साल खर्च पड़ता है। इसको मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है वहां पर एक भी सीमेंट का लेस तक नहीं लगाया गया है। इसमें इंजीनियर्स भ्रष्टाचार करके बड़ी-बड़ी रकमें कमा रहे हैं और सरकार को घाटा देना पड़ता है।

राबर्ट्सगंज-दुद्धी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके विषय में हमारे सूबेदार सिंह 26-6-71 को कह चुके हैं। मैं भी इंजीनियर व मंत्री को लिख कर दे चुका हूं। वहां पर एक इंजीनियर, श्री चन्द्रभान शर्मा हैं, जो खुलेआम लूटमार कर रहे हैं। मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं कि मार्च, 71 में जो 50 हजार का पाईप आना था, उसमें से सिर्फ 20 हजार का आया है और बाकी का नहीं, लेकिन पूरे रुपये का आया हुआ दिखा कर शेष रुपया हड़प लिया गया है। इसके अलावा अभियन्ता ने नम्बर 1 का पाइप दिखाया है, जब कि नम्बर दो का मंगाया गया है।

गर्ग इंजीनियर भी भ्रष्टाचार के जीते जागते उदाहरण हैं। रामपुर-पिड़रिया बंधी, सरई बंधी, क्योटम बंधी, और चिरवा बंधी, का केशव प्रसाद, ठेकेदार के नाम जुलाई, 1970 में 55 लाख का एग्रीमेंट दिया गया है। यह बिल्कुल गलत है। इसके बाद जितनी बंधियां हैं उसमें पेड़ कटाये। ढाई सौ से चार सौ तक पेड़ की कटाई दिखायी गयी है। मंत्री जी जाकर स्वयं देखें। वहां के पेड़ पतले पतले होते हैं। इनकी कटाई में ढाई सौ से चार सौ रुपये का खर्चा हुआ। यह खुली लूट है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि टेक्निकल आडिट सेल द्वारा इन सब बंधियों का बाकायदा परीक्षण करवाएं और पहले चन्द्रभान शर्मा को वहां से हटा कर तब परीक्षण करवाएं तब असलियत मिल जायगी कि यहां क्या हुआ है। दस फीट मिट्टी लेनी चाहिए, बंधी से न लेकर काट कर बंधी में डाल दी गयी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं चाहे हमारे पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के...

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)---

एक निवेदन है, अधिष्ठाता महोदय, सुन लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

अब बोलने दीजिये न।

श्री राम प्यारे—

मैं सभी माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने हमारे कटौती के प्रस्ताव पर हमारी भावनाओं का ही प्रतिपादन किया है। हमने जिन बातों पर प्रकाश डाला था सभी माननीय सदस्यों ने विभिन्न रूपों में दोहराया है। मेरी प्रार्थना है कि जो सुझाव आये हैं, जो विभाग की गड़बड़ियां सामने आयी हैं, चाहे सिंचाई की सुविधा की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो उस पर माननीय मंत्री ध्यान दें।

इसके बाद मैं दो तीन बातों की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आप जानते हैं कि प्रदेश में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण बड़ी क्षति हुई है। हमारी फसल नष्ट हुई है, घर धराशायी हुए हैं, जन जीवन त्रस्त हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता था कि इस बजट में बाढ़ योजना में बाढ़ नियंत्रण परिषद् को इतनी रकम दे दें जिससे 44 जिलों में जो बाढ़ की विभीषिका आयी है, उसका प्रबन्ध किया जाता। लेकिन यह समाजवादी सरकार या गरीब की बात करने वाली यह सरकार जब बाढ़ का रुपया देती है तो बड़ी निराशा होती है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बाढ़ के संबंध में पटेल आयोग की संस्तुति रखना चाहता हूं।

पटल आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक सर्वेक्षण करने के बाद तय किया था कि बाढ़ नियंत्रण करने के लिए 288 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मान्यवर, इस सरकार ने अथवा पिछली सरकार ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया। फलस्वरूप पिछले साल केवल 2 करोड़ रुपया रखा गया। इस वर्ष भी बहुत कम रकम रखी गयी है। मैं मांग करता हूं कि आज प्रदेश में जो अप्रत्याशित बाढ़ से नुकसान हुआ है बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को पैसा दें, और आवश्यकता पड़े तो केन्द्रीय सरकार से लें। आपको याद होगा कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में ज्यादा जिलों में बाढ़ आयी और केवल ढाई करोड़ रुपया मिला जब कि मद्रास के थोड़े इलाके में बाढ़ आयी और उसको 24 करोड़ रुपया दिया गया। केन्द्रीय सरकार पर मंत्री जी दबाव डालें। सर्वदा से उत्तर प्रदेश की उपेक्षा होती आयी है। मैं मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार पर आप दबाव दें। वहां आपकी पार्टी की सरकार है। मैं मांग करता हूं कि बाढ़ नियंत्रण से जो नुकसान हुआ है उसके लिए ऐसी योजना बनाएं जो सर्वदा से इस बीमारी से छूट मिल जाय।

इसके अलावा कई सदस्यों ने नहरों के बारे में शिकायतें कीं कि पानी नहीं मिलता। मैं इसके लिए मांग करता हूं कि नहरों को बढ़ाया न जाय। जब सघन खेती करने की बात है, तो नहरों को वहीं रहने दिया जाय ताकि किसानों को समुचित रूप से पानी मिल सके।

प्रदेश में जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं जैसा कल मैंने कहा था जितना रुपया उनके लिए निर्धारित किया गया था उसमें एक भी प्रोजेक्ट नहीं बन सका है। सरकार ने अभी वर्क चार्ज में लगे कर्मचारियों पर एक प्रोजेक्ट पर इंसेंटिव बोनस दिया था। और उससे उन कर्मचारियों का उत्साह बढ़ा था। लिहाजा ऐसे जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हमारे कर्मचारी उनमें काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव बोनस दिया जाय। हां, यह बोनस अस्थायी कर्मचारियों को न देकर केवल स्थायी कर्मचारियों को दिया जाय।

[श्री राम प्यारे]

आज हमारे प्रदेश में जैसा कि मैनेजर सिंह जी ने बताया हजारों की संख्या में इंजीनियर पड़े हुए हैं। मुख्य मन्त्री जी ने निर्देश दिया था कि जो इंजीनियर तीन साल से अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्वड हैं उनको स्थायी कर दिया जाय लेकिन अभी तक उस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी गई। उसके पीछे कारण यह है कि कुछ लोग अपने आदमियों को रखवाना चाहते हैं। मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि उनका विभाग बहुत बड़ा है लेकिन इस विभाग में हरिजनों का परसेंटेज बहुत कम है जबकि उनसे हमदर्दी बहुत अधिक मन्त्री जी दिखाते हैं। पिछले वर्ष इंजीनियर्स का चुनाव था तो 7 सीटें रिजर्व की गई थीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हरिजनों ने 7 सीटों में कम्पीट किया लेकिन एक को रखा गया और शेष 6 को इण्टरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया जबकि पहले से ही वह विभाग में कार्य कर रहे थे। मन्त्री जी से मेरा निवेदन है जिनको हरिजनों से बड़ी हमदर्दी भी है कि अपने विभाग में वह 18 प्रतिशत रिजर्वेशन को पूरा करें।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि प्रदेश के पिछड़े इलाकों में चाहे वह बुन्देलखन्ड का हो, मिर्जापुर का हो अथवा पहाड़ी इलाकों का हो, वहां पर सिंचाई सुविधायें बढ़ायें। इंजीनियर कहते हैं कि वहां ट्यूबवेल नहीं लग सकते तो राक बोरर मंगाकर बोरिंग की जाय और इस प्रकार वहां ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं। रिहन्द के इलाके में जो बैकवर्ड इलाका है, वहां बिजली की सुविधा है लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े गये और दूसरी जगह बसाये गये वहां पर उनको बिजली दे कर ट्यूबवेल लगाने की सुविधा दी जाय। मिर्जापुर में बनजारी जगह पर बांध बांधने की योजना है उसे न बांधा जाय वर्ना विजयगढ़ का जो सम्पूर्ण सरसब्ज इलाका है, वह डूब जायगा। इसी तरह से कनहर नदी पर भी बांध न बांधा जाय क्योंकि उसके बांधने से बहुत सी आबादी डूब जायगी। उसके बदले थरमल पावर स्टेशन बनाये जायं। इससे प्रदेश को लाभ होगा और वहां की जनता को भी नुकसान न उठाना पड़ेगा।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि जैसा कि कल भी कहा था कैनाल ऐक्ट तथा इर्रीगेशन मैनुअल में बहुत से डिफेक्ट्स हैं। उसमें थोड़ी परेशानी होती है, और संयोग से किसी सरकारी ट्यूबवेल में एक बूंद भी पानी चला जाय तो हमारे जिलेदार उस पर परचे काट देते हैं और पैसा वसूल करने की व्यवस्था करते हैं। जिस प्रकार पिछली सरकारों ने, जिसमें कि माननीय कमलापति जी मुख्य मन्त्री थे और माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी इर्रीगेशन मन्त्री थे, उस समय यह आश्वासन दिया था कि अपने इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में जो भी अनियमिततायें हैं जिनसे किसानों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं उनको दूर करने के लिए एक आयोग का गठन किया जायगा। तो मैं मांग करता हूं कि यह सरकार उस आयोग को बैठाये।

किसानों को नहरों और उसकी पटरियों में बैलगाड़ियां ले जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और बरसात के दिनों में यह परेशानी उनकी और भी बढ़ जाती है क्योंकि नहरें और पटरियां कच्ची रहती हैं और उनमें बैलगाड़ियां जा नहीं पाती हैं। अतः मैं कहता हूं कि आप इन नहरों और उसकी पटरियों को पक्का करवाने की व्यवस्थ करें उसके लिए आप किसानों से पैसा भी ले सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से बड़ी नम्रतापूर्वक मांग करता हूं कि इर्रीगेशन विभाग में जो गम्भीर भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम बात तो यह है कि आप जमींदारी सिस्टम को समाप्त करें और जो आपका टेक्निकल सेल है जो कि निरीक्षण का कार्य करता है उसको मजबूत करें और इसके साथ ही जिन अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की इन्टेग्रिटी अच्छी नहीं हैं उनको समाप्त करें। सभी लोग इस डिपार्टमेंट में ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं मैं यह नहीं कहता हूं। लोग कुछ ईमानदार भी हैं। किन्तु आपको इस क्षेत्र में मजबूती लानी

होगी ताकि अनुसन्धान और सर्वेक्षण का कार्य प्रदेश में तेजी से हो और सिंचाई की सुविधायें प्राप्त हो सकें।

मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि तभी इस प्रदेश का कल्याण हो सकता है जब कि प्रत्येक किसान को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों में किसानों को क्यों इतनी सुविधायें प्रदान की जाती हैं? क्योंकि सिंचाई का बजट उनका अधिक होता है। हमारी सरकार जो है वह सिंचाई के लिए कम धन रखती है, इंजीनियर्स और अन्य कर्मचारी उसमें तवज्जह नहीं देते हैं, इफीशियेंसी से काम नहीं करते हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि सिंचाई के बजट को बढ़ाया जाय, मशीनरी को ठीक किया और जिन बातों की ओर मैंने संकेत किया है, उनको पूरा किया जाय। अन्त में मै पुनः सभी माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस विभाग के ऊपर अपने-अपने अच्छे-अच्छे सुझाव दिये और उनसे यह आशा रखता हूं कि वे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य जिस प्रकार यहां खड़े होकर बातें कर रहे हैं यह उचित नहीं है।

सिंचाई मन्त्री (श्री राम लखन)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो सुझाव माननीय सदस्यों ने इस विभाग के सम्बन्ध में दिये हैं मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं और उन्हें मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक सम्भव होगा मैं उन्हें अमल में लाने का प्रयास करूंगा। माननीय सदस्यों ने मांग की कि सिंचाई की सुविधायें जिस गति से चल रही हैं यदि वही गति चलती रही तो हमारे प्रदेश को सिंचाई में सैकड़ों वर्ष लग जायेंगे। एक तरफ तो हमारे विरोधी दल के लोग यह कहते हैं कि इस गति से सिंचाई की सुविधायें मुहैय्या करने में सैकड़ों वर्ष लग जायेंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम यह प्रस्ताव करते हैं कि जो सिंचाई का बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कटौती कर दी जाय। तो दोनों बातें साथ-साथ नहीं चल सकती।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई के बजट को हम जितना अधिक बढ़ा सकें उतना बढ़ायें। कुछ माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की कि नलकूपों के बंटवारे में इन्साफ नहीं किया गया है और उसमें पक्षपातपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो इसके सम्बन्ध में मैं बड़ी विनम्रता से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई की सुविधा किसी स्थान, किसी जिले की भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर जिले में, भिन्न-भिन्न स्थानों में भयंकर असमानतायें हैं और इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि सर्वप्रथम प्रदेश की विभिन्न भौगोलिक असमानताओं को दूर किया जाय।

नलकूपों के बटवारे में जो नीति अपनाई गई वह आज की नहीं थी, 1967 में यह निर्धारित हुई थी कि उन्हीं क्षेत्रों में नलकूपों लगाये जायं जहां 3–4 हजार घंटे के बीच में साल में चलें। तो उस नीति के अन्तर्गत उन्हीं क्षेत्रों में अधिक लगाये गये जहां पर कि वह अपनी औसत चाल से जनता का काम कर सकते थे, लेकिन जिन क्षेत्रों में, जैसे गोंडा, बहराइच, सीतापुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, पीलीभीत हैं—ये ऐसे जिले हैं जहां नलकूपों के चलने के घंटे बहुत ही कम हैं। बुन्देलखण्ड में तो बने ही नहीं हैं, उसका सवाल पैदा ही नहीं होता। प्रयास कर रहे हैं कि वहां लग जायं। तो जैसा मैं निवेदन कर रहा था नलकूपों में जो घाटा हो रहा है उसका मुख्य कारण यह है कि नलकूपों को जितनी क्षमता से चलना चाहिए वह चल नहीं रहे हैं। न तो हमारे माननीय सदस्य जो यह मांग करते हैं सदन में कि नलकूपों को बढ़ाया जाय, लगने के बाद यह देखते हैं कि वह नलकूप चल रहे हैं या नहीं। हमारी जिम्मेदारी होती है, यह नेशनल लास होता है यदि जितनी क्षमता

[श्री राम लखन]

से उनको चलना चाहिए उतना नहीं चलते । इस तरह से हमारा नुक्सान बराबर बढ़ता जायगा। मैं चाहूंगा कि इसमें वे सहयोग करें और किसानों को अपने क्षेत्रों में इस तरह से प्रोत्साहित करें कि नलकूप को चलाने की जितनी क्षमता है उतना उसका इस्तेमाल करें। अगर नलकूप क्षेत्रों में डब्ल-ट्रिपुल क्रापिंग पटर्न अपनायेंगे तो नलकूपों की क्षमता अपने आप बढ़ जायगी और घाटे को हम पूरा कर लेंगे और आज जो हम नलकूप बना रहे हैं उससे ड्योड़े बनावेंगे।

(व्यवधान)

मणि जी ने कहा कि नलकूपों की नालियों को ठीक कराया जाय। नालियों तथा गूलों को ठीक करने का पूरा प्रयास किया गया है और इस बजट में उसका प्राविधान किया गया है कि नलकूप की जो कच्ची गूलें हैं उनको पक्का बनाया जाय और जो खुली नालियां है उनमें पाइप के जरिये किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाय ताकि पानी का नुक्सान न हो। नहरों के जो हिस्से हैं उनमें कुलाबों की गूलों की इस तरह से व्यवस्था हो कि कम से कम पानी का नुक्सान हो और अधिक से अधिक पानी का उपयोग हो सके। सिंचाई क्षमता बढ़ाने की जिस तरह का प्रयास हो सकता है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए नलकूपों के जल के जाने की बात कही। तो जल वही जाते हैं अगर क्षमता से अधिक चलें लेकिन जिन नलकूपों को 3–4 हजार घंटे के बीच में चलना चाहिये वह नहीं चलते मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सिंचाई के मामले में जिस तरह का असंतुलन है उसको दूर किया जाय।

(इस समय 4 जबकर 39 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

नलकूपों के जो वर्तमान नियम चालू हैं उनको समाप्त करके नये नियम बनाये जायं ताकि जो पिछड़े हुए इलाके हैं बुन्देलखन्ड के, तराई के, उनमें भी नलकूप लग सकें। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब तक नलकूपों की जो परिपाटी रही है, उसी की वजह से यह विषमता देखने को मिल रही है....

(व्यवधान)

इसमें किसी चीज की बदनियती नहीं थी। दूसरी बात, मैं याद दिलाऊं कि हमारी जो नहर की मैनुअल है और ऐक्ट है उसमें बहुत सी खामियां हैं जिनको दूर करने के लिए पिछले सालों में आश्वासन दिया जा चुका है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमने निर्णय किया है इरीगेशन मैनुअल से जो सिंचाई की है उसको ठीक करने के लिए स्पेशल अधिकारी को नियुक्त करेंगे ताकि वह जल्दी से जल्दी उसमें परिवर्तन ला दें।

सिंचाई विभाग के और कार्य---नहरों के रेट में जो डिस्पैरिटी है नलकूप और नहर रेट, लिफ्ट के लिए सिंचाई रेट आदि में जो असमानता है, तथा विभाग की जो और दूसरी चीजें हैं, उन सब को देखने के लिए हम एक इरीगेशन कमीशन बनाने जा रहे हैं। उसके टर्म ऐंड रेफरेंस तय करने हैं, उनके तय होते ही कमीशन की घोषणा हो जायगी। कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि जैसे सवा 6 एकड़ का लगान माफ कर दिया गया, वैसे ही सवा 6 एकड़ तक का नहर रेट भी माफ कर दिया जाय। मान्यवर, यह कहना बहुत आसान है, चीप पोपुलरिटी के लिए इस तरह से स्लोगन बहुत आसान है लेकिन आप सोचें कि जिनकी गाढ़ी कमाई से आपने सिंचाई की सुविधायें प्राप्त कर लीं अब जब उनके क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें देने की बात हो रही है तो इससे आप उनको वंचित रखना चाहते हैं?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

यह कह कर आप हम लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं।

श्री राम लखन—

मैं नहीं ज्यादती कर रहा हूं। आप उन क्षेत्रों के साथ ज्यादती कर रहे हैं जहां सिंचाई की सुविधायें नहीं हैं। यदि उन क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधायें देनी हैं तो फिर सिंचाई टैक्स के माफ करने का कोई सवाल नहीं है। जहां तक असमानता को दूर करने का सवाल है, जैसा कि मैंने बतलाया—हम इरीगेशन कमीशन बना रहे हैं जो उन चीजों को एक्जामिन करेगा।

जहां तक इस विभाग से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई, इसका एक्सपेरिमेंट हम अपने विभाग में कर रहे हैं और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दें और विभाग के जरिये ही सिंचाई विभाग का सारा काम हो। लेकिन एक चीज और है, जो खतरा है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यदि किसी ठेकेदार से कभी किसी काम में गड़बड़ी हो गई, किसी तरह की कोई टूट फूट हो गई तो उस ठेकेदार पर पेनाल्टी लगा कर हम उससे वह काम करा लेते थे लेकिन इसके बाद आप यही दोषारोपण करने लगेंगे कि चूंकि विभाग ने काम किया है इसलिये काम ठीक नहीं हुआ है। तो जहां एक तरफ फायदा है वहां इस चीज से आप वंचित भी रह जायेंगे। वैसे हम जल्दी से जल्दी इस काम को कराने की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

आडिट सेल के बारे में कहा गया कि वहां ऐसे कर्मचारी रखे गये हैं जो भ्रष्टाचारी हैं या स्वयंभ्रष्ट हैं। इस चीज की जानकारी आज प्रथम बार माननीय सदस्यों ने कराई क्योंकि पहले से आप इसकी जानकारी रखते थे और आप लोगों ने जो मुझे सुपुर्द किया है वही मैंने लिया है। आज हमें मालूम हुआ है और हम इस चीज को दूर करने का प्रयास करेंगे।

जहां तक आडिट सेल के काम करने का सवाल है, पिछले वर्ष 63 डिवीजन के कामों की जांच सेल ने किया जांच से गलतियां सामने आयीं। सेल की सिफारिश से 1,53,500 रुपये की रिकवरी करनी थी जिसमें से आज तक 1,14,600 रुपये की रिकवरी हो गई है। इस साल 25 डिवीजनों की जांच पड़ताल की गई। 35 शिकायती पत्रों की जांच की रिपोर्ट के आधार पर बहुत से अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार से यह कहना कि आडिट सेल में सभी भ्रष्टाचारी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन अधिकारियों की तरफ आपने ध्यान आकृष्ट किया है उन्हें मैं देखूंगा और मैं चाहता हूं कि जैसा इसका नाम है उसके अनुरूप ही वहां कर्मचारी रहें ताकि उनकी निष्पक्षता से जांच हो सके और किसी भी अधिकारी के साथ पक्षपात न हो।

(व्यवधान)

दूसरी बात— मानीय सदस्यों नें कालागढ़ की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि मुख्य मन्त्री जी ने सहायक अभियन्ताओं और वर्क चार्ज्ड इम्पलाइज के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिया था लेकिन उस पर अमल नहीं किया।

मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो निर्णय लिया है उसको अमल में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द अमल में लायें। इसमें किसी किस्म की कमी नहीं होगी। लेकिन चीजों के देखने में जो समय लगता है वह तो देना ही पड़ेगा।

[श्री राम लखन]

हमारे नेगो जी ने (व्यवधान) जल्दबाजी न करें जरा धैर्य से सुनिये। टेहरी बांध के बारे में उन्होंने कहा और पहले भी मुझे याद दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि टेहरी में लोगों के पुनर्वासन की समस्या है। इस बांध का कार्य शुरू करने से पहले उसे लिया जावे वरना काम शुरु नहीं होने पावेगा। इस पर अभी कुछ काम नहीं हुआ है। इस बांध के पुनर्वास के लिये सरकार जागरूक है। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, मैंने वहां जाकर स्वयं कहा था कि पहले हम इस समस्या को हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोग वहां से हटाये जा रहे हैं उनके लिये जमीन और मकान की व्यवस्था हो सके। टेहरी के लोगों की जितनी सहायता हो सकती है वह हम करेंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि किसी क्षेत्र विशेष को सहायता देने के लिए हम मोनोपोली पसन्द नहीं करते हैं। इसके माने यह नहीं हैं कि हम सहायता दें तो मोनोपोली दे दें कि वह मनमाने तरीके से काम करें। रोजगार के लिए जो नियम हैं उनके अनुसार उनको प्राथमिकता देंगे, बाद को दूसरे को देंगे।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मन्त्री जी ने २१ जुलाई को अंजुमन अनहार के विषय में आश्वासन दिया था। उसके विषय में जानना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामलखन—

अगर अपने प्रदेश से बेकारी और गरीबी को दूर करना है और किसानों की हालत को दुरुस्त करना है तो हमें अपने प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को ठीक करना होगा। प्रदेशीय सरकार से भारत सरकार प्रयत्नशील है, हमारी चौथी पंच वर्षीय योजना में जो दो साल बाकी हैं, उनमें योजनाओं को पूरा करने के लिए १०७ करोड़ रुपये की मांग भारत सरकार से की गई है।

बाढ़ के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा। इसके सम्बन्ध में हमने जो प्राविधान किया है, वह अपने बजट से किया है। हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि बाढ़ से जो धन जन की क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए हमें अधिक से अधिक सहायता दी जाय ताकि हम लोगों की सहायता कर सकें। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि हम जनता की सेवा में किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि यह सरकार समाजवाद का नारा देती है वह झूठा देती है। सिंचाई के लिये भी यह नारा कहा जाता है। जब हम किसी पूंजीपति के खेत की सिंचाई करेंगे तो क्या रास्ते में पड़ने वाले गरीब किसानों के खेतों को छोड़ देंगे? यह नहर गरीब अमीर में भेद भाव नहीं करती है। जो रास्ते में आयगा उसकी सबकी सिंचाई होगी।

(व्यवधान)

(माननीय सिंचाई मन्त्री जी और माननीय रूपनाथसिंह यादव दोनों एक साथ जोर से बोलते रहे जिससे सुनाई नहीं दिया। जो सुना वह लिखा गया है) माननीय सदस्यों ने हरिजनों को संरक्षण के सम्बन्ध में कहा। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग में मैं प्रयास करूंगा कि जितनी जगह उपलब्ध होंगी उनमें हरिजनों के संरक्षण को पूरा करने का प्रयास करूंगा और संविधान के अनुसार जो अधिकार प्राप्त हैं उनकी

अगर अवहेलना होगी तो वह बर्दास्त नही की जायगी ।

मैं निवेदन कर रहा था कि हमें सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना है । एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर हम गरीबी मिटाना चाहते हैं, किसानों की हालत दुरुस्त करना चाहते हैं तो हमें धरती की प्यास बुझानी पड़ेगी ।

हम धरती की प्यास को जितनी जल्दी मिटायेंगे उतनी ही जल्दी वह हमारी भूख को मिटायेगी । यदि हमने धरती की प्यास को नहीं मिटाया तो हमारी भूख भी नहीं मिटेगी । हमें पर मुखापेक्षी होना पड़ेगा और पी0 एल0, 480 का साहारा देखना पड़ेगा । हमें अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिये यह आवश्यक है कि हम सिंचाई के साधन को अधिक से अधिक बढ़ायें । और इस प्रकार से किसानों की अधिक से अधिक सहायता, करें । इसमें माननीय सदस्यों को भी हमारी पूरी तरह से सहायता करनी होगी, उसके लिये हम आपका अशीर्वाद चाहते हैं, चाहे कोई इधर का बैठने वाला हो अथवा उधर का बैठने वाला हो, सभी की सहायता की हमें आवश्यकता होगी, तभी हम जनता की बहबूदी कर सकते हैं ।

सिंचाई का काम सबसे बड़ा पुण्य का काम है और इस पुण्य के कार्य में हमें सभी को सहयोग देना चाहिये । हम विश्वास दिलाते हैं कि जिन खामियों की ओर आप लोगों नें हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिन भ्रष्टाचारी कर्मचारियों की तरफ आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में हमें कोई भी हिचक नहीं होगी । उनके विरुद्ध हम कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे ताकि दूसरों को भी उससे नसीहत मिल सके । (व्यवधान) ।

किसी को भ्रष्टाचारी कहने से कभी कोई भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता । उसके लिये आपको कटिबद्ध होना पड़ेगा । उसके लिये मैं आपका सहयोग चाहता हूं । आप केवल कहें नहीं, हमको बतायें कि कौन अधिकारी अथवा कर्मचारी भ्रष्टाचारी है । बिना किसी डर के निर्भीकता से बतायें । लेकिन आजकल तो यह फैशन सा हो गया है कह भर दिया जाता है कि अमुक विभाग में भ्रष्टाचार है । कौन भ्रष्टाचारी है यह बताया नहीं जाता । इस तरह से कहने से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता । आपको स्पष्टरूप से कहना होगा कि अमुक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, अमुक अधिकारी भ्रष्टाचारी है, अमुक कर्मचारी भ्रष्टाचारी है । जब आप कहेंगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने में आपके पीछे नहीं रहेंगे बल्कि आपके कंधे से कंधा लगा कर आगे बढ़ेंगे । इन शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का हृदय से आभारी हूं कि आपने हमें सुझाव दिये । अब प्रार्थना है कि इस बजट को बिना कटौती के पास करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 31 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31 राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 20,57,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 32 के अधीन मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32– सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,00,01,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 48 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48– बहु-प्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,32,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 49 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49– सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19,72,34,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५६ तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 56 के अन्तर्गत आज चार सूचनायें प्राप्त हुई थीं । माननीय त्रिवेणी सहाय की कवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत की गयी है ।

श्री त्रिवेणी साहय (जिला गोंडा)---

काम रोको प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी कह रहा हूं ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले आप सुन लें । इतना धैर्य तो आप में होना चाहिये कि पूरी सूचना आपके सामने आ जाय ।

दूसरी माननीय सुखपाल पांडेय, माननीय रामकरन सिंह और माननीय मैनेजर सिंह की, प्रदेश के गन्ना ग्राम सेवकों की विधान सभा के सामने भूख हड़ताल के सम्बन्ध में है । यह अस्वीकृत हुई है ।

नियम 51 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें माननीय सूर्यनाथ उपाध्याय माननीय राम शिरोमणि दुबे, की जौनपुर में ३ वर्षों से सूखा, बाढ़ एवं अतिवृष्टि से अकाल के सम्बन्ध में जो है यह बाढ़ की चर्चा में सम्मिलित करने के लिये स्वीकार की गयी है ।

माननीय डूंगर सिंह विष्ट तथा माननीय शिव कैलाश की, खटीमा तारई क्षेत्र जिला नैनीताल में सशस्त्र डकैती एवं चोरी के बारे में जो प्रश्न उठाया गया है वह स्वीकार किया जा चुका है ।

माननीय शम्भूनाथ चौधरी तथा माननीय उदयनाथ ने, ग्राम बेदहा के थाना सैयदराजा जिला वाराणसी के हरिजन बस्ती पर सामन्तों द्वारा गोली चलाये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है । यह सरकार को उचित कार्यवाही के लिये भेज दी गयी है ।

एक माननीय रामदेव दुबे और माननीय मैनेजर सिंह ने, बलिया और प्रतापगढ़ जिलों में बाढ़ के प्रकोप के बारे में दी है । यह बाढ़ की चर्चा में सम्मिलित की जायगी ।

माननीय सर्वसुख सिंह ने इलाहाबाद जिले में अतिवृष्टि एवं गंगा, जमुना एवं टोंस नदियों में बाढ़ के सम्बन्ध में दी है । यह बाढ़ की चर्चा में सम्मलित की जायगी ।

शेष अस्वीकृति है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरठ में जो प्रि-मेडिकल टेस्ट हुआ था, उस में रजिस्ट्रार ने इस बात के सख्त इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे कि अमुक-अमुक विद्यालय में इतनी इतनी सीटें इन को एलाट की जायेंगी जिसमें आगरा को 118, इलाहाबाद को 98...

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न इस समय यही है कि वह स्वीकृत किया जाय या नहीं । तो मैंने यह सूचना दी कि स्वीकृत हुआ । और अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री त्रिवेणी सहाय-

27 तारीख से पहले तिथि निश्चित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

जो प्रश्न आपका है वह भेज दिया जायगा और उस प्रश्न से जितने पहलू उठेंगे, उन के बारे में जवाब दिया जायगा ।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

मैंने एक प्रश्न नियम 51 में दिया था जिसमें सम्भवतः फोटोग्राफ की कापी भी लगी होगी। शायद आप को प्राप्त हुई होगी। यहां सचिवालय से एक फर्जी आदेश भेजा गया था 7-7-71 को कि कोई खन्ना साहब उपसचिव हैं उन के नाम से सीतापुर नगरपालिका के लिए....

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर आप प्रश्न कर सकते हैं। यह अविलम्बनीय नहीं है।

श्री रामलाल राही--

26-7-71 को मैंने अल्पसूचित प्रश्न किया था। इतना महत्वपूर्ण घटना के सम्बन्ध में फोर्जरी का मामला, इस को स्वीकार नहीं किया गया। पता नहीं उस क्वेश्चन का क्या हुआ ?

इस के बाद आप उसको नियम 51 के अन्तर्गत मैंने दिया। देखें घटना और इस घटना पर विचार कीजिये कि स्वायत्त शासन के एक सेक्रेटरी के यहां से फर्जी आदेश जाता है और उस के आधार पर एक व्यक्ति को जो कनिष्ट कर निरीक्षक है, पदोन्नति की गयी। जब यहां से अध्यक्ष के नाम आदेश गया तो उन्होंने उस व्यक्ति की पदोन्नति कर दी और वह कर निरीक्षक के पद पर काम करने लगते हैं। शिकायत होती है और उसकी जांच पड़ताल होती है लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। ऐसा गम्भीर मामला हो गया है कि सचिवालय से फर्जी आदेश चला गया और उसके आधार पर उसकी पदोन्नति हो गयी। एक अग्निहोत्री जो ज्येष्ठ कर निरीक्षक हैं उनकी पदोन्नति होनी चाहिये थी उनकी पदोन्नति नहीं हुई है। ऐसे मामले को जरूर देखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसे आरोप की जो बात आप कहते हैं उस के लिए आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर लीजिये।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

मैंने नियम 51 के अन्तर्गत गन्ना ग्राम सेवकों की हड़ताल के विषय में एक सूचना भेजी थी। वह लोग काउन्सिल हाउस के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कृषि मन्त्री जी से मिलना चाहा था, लेकिन कृषि मन्त्री जी ने उन से भेंट नहीं की। कृषि मंत्री जी ने उन के ज्ञापन को भी नहीं देखा है। गन्ना इस प्रदेश का एक मुख्य उद्योग है तो उस विषय में जरूर आप विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष

कृषि और गन्ना पर 26, 27 को विवाद है। उस समय आप उस विषय में विवाद में योग कर सकते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

आप उसको मन्त्री जी के पास भेज दें तो उस पर कार्यवाही हो जायगी और वह उस दिन उत्तर दे देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मेरा प्रश्न यह है कि एक आर्डिनेंस फैक्टरी देहरादून, में है। वह नदी की बाढ़ के कारण बन्द हो रही है। उस विषय में मैंने एक सूचना नियम 56 के अन्तर्गत दी थी।

आप ने उस को नियम 56 के अन्तर्गत नहीं पढ़ा । आपने उसको नियम 51 में सम्मिलित कर लिया । आप को अगर नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी जाय तो उस को कृपया नियम 56 में ही पढ़ना चाहिये । चाहे आप उस को स्वीकार करें या नहीं । मेरा निवेदन यह है कि कई हजार कर्मचारी उस आर्डिनेंस फैक्टरी के नदी के किनारे पड़े रहे । वह आर्डिनेंस फैक्टरी बन्द हो गयी । अपने देश पर युद्ध के बादल मंडला रहे हैं और हमारे देश में एक आवश्यक फैक्टरी बन्द हो जाय तो यह उचित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष

वह बाढ़ के विषय में है । उस को बाढ़ की सूचना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप मेरी बात को कृपया सुन लें । नियम 56 में आपने उसको नहीं पढ़ा । ने उसको नियम 51 के फाइल में ही रख दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह बाढ़ से सम्बन्धित है इसलिए उस को बाढ़ के विषय में ही शामिल किया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं बाढ़ के लिए नहीं कह रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

हम उसको माननीय मन्त्री जी के पास भेज देंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप मुझको कहने दीजिये । वह आर्डिनेंस फैक्टरी देहरादून की बन्द हो रही है और हजारों कर्मचारी नदी के किनारे पड़े हैं । सारी आबादी के अन्दर, हरिजन बस्ती के अन्दर पानी भर गया है । चार व्यक्ति डूब गये हैं । आखिर इससे बड़ी क्या दुर्घटना होगी ? देश के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और वह आर्डिनेंस फैक्टरी बन्द हो गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसको अस्वीकार किया गया है ।

(व्यवधान)

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, वाराणासी द्वारा "चीन हटाओ" दिवस आयोजित किए जाने के संबंध में वक्तव्य

गृह-उप मन्त्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)--

उपाध्यक्ष महोदय, 20 अक्तूबर, 1970 को वाराणसी में विद्यार्थी परिषद् द्वारा "चीन हटाओ दिवस" मनाया जा रहा था । इस सम्बन्ध में जब टाउन हाल में संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्कालीन उपकुलपति, श्री राम गोविन्द चन्द्र की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा हो रही थी तब यह कहा जाता है कि हरीश चन्द्र विद्यालय के एक विद्यार्थी, श्री श्यामा प्रसाद बनर्जी ने भीड़ पर एक एसिड बल्ब फेंक दिया । जिस से डी0 ए0 वी0 कालेज का एक विद्यार्थी घायल हो गया । श्री श्यामा प्रसाद बनर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 307 के अन्तर्गात एक मुकदमा अपराध संख्या 313 कायम किया गया है । इस घटना के पश्चात् जब जलूस निकाला जा रहा था तब एक एसिड बल्ब जुलूस पर पुनः फेंका गया, जिस से कुछ व्यक्तियों के साथ एक सब-इन्स्पेक्टर भी घायल हुआ ।

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

इस सम्बन्ध में श्री दीपेन चौधरी, कल्याणदत्त तथा सिद्धार्थ सेन के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 307/324 के अन्तर्गत एक मुकदमा अपराध संख्या 296 कायम किया गया है ।

श्री गोविन्द बनर्जी, एक नक्सलवादी के घर पर भी छापा मारा गया और एसिड बल्ब बनाने वाला केमिकल तथा विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया । इस सम्बन्ध में 4 और मुकदमे अपराध संख्या 482/483/484 तथा 485 भारतीय दण्ड विधान की धारा 295 ए) 296 तथा एक्सप्लोसिव्ज ऐक्ट की धारा 5/6 के अन्तर्गत श्री गोविन्द बनर्जी व श्री विभास दास के विरुद्ध कायम किये गये हैं ।

अपराधियों से जांच पड़ताल करने से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता कि उनका लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा विद्यार्थी परिषद् के नेताओं की हत्या करने का था । सभी मुकदमे न्यायालय के विचाराधीन हैं । इन में से किसी भी मुकदमे को वापस लेने का अभी कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह डी० ए० वी० कालेज का कौन विद्यार्थी घायल हुआ और वह कितने दिन तक अस्पताल में रहा ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

यह डी० ए० वी० कालेज का घायल विद्यार्थी, अमृत लाल था, वह कितने दिन तक अस्पताल में रहा इस की निश्चित सूचना हमारे पास इस समय नहीं है ।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

यह विद्यार्थी डी० ए० वी० कालेज की ग्यारहवीं कक्षा का छात्र था और वह डेढ़ मास तक अस्पताल में रहने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, और वहां से बाहर आ गया। उत्तर में लिखा गया है कि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता कि उन का लक्ष्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा विद्यार्थी परिषद् के नेताओं की हत्या करने का था। तो फिर उन्होंने किस लक्ष्य से प्रेरित हो कर इस बल्ब का प्रयोग किया ?

(उत्तर से पहले ही)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इस प्रश्न के द्वारा वह मोटिव जानना चाहते हैं, लेकिन मन्त्री जी ने बताया कि सारा मामला अदालत के विचाराधीन है, सब-जूडिस है इसलिए जो मोटिव की बात पूछी जा रही है, उस का पूछा जाना उचित नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो मुख्य प्रश्न है वह यह है कि नक्सलपंथियों द्वारा कोई भयंकर बम गिराया गया और राज्य सरकार ने उन पर चलाये गये मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है । जो प्रश्न है वह यह है । उसका उत्तर स्पष्ट है कि ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी के उत्तर से यह ध्वनि निकलती है कि इस मुकदमे को वापस नहीं लेंगे, तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इस मुकदमों को सरकार वापस नहीं लेगी?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

श्रीमन्, मैंने इस प्रश्न का कुछ अर्थ नहीं समझा। मुकदमा अदालत में है। वहां पर चल रहा है, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया और न इसे वापस लेने के कोई आदेश दिये गये हैं। माननीय शंकर प्रसाद जायसवाल वाराणसी के रहने वाले हैं और मेरे पड़ोसी हैं। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों ओर से काफी इस बात का प्रचार किया जा रहा है और प्रभाव डाला जा रहा है, जनसंघ की ओर से, कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस न लिया जाय। दूसरी ओर से बहुत से लोग, बड़े सम्मानित लोग, अधिकारियों से कहते हैं कि 15---15 और 16---16 वर्ष के बच्चों को अकारण ही पुलिस ने बन्द कर रखा है। सरकार ने उस मुकदमे को वापस लेने का कोई निर्णय नहीं लिया है। केस अदालत में है। तो कौन सा आश्वासन माननीय सदस्य चाहते हैं? कोई नया फैक्टर अगर वे दे दें तो विचार हो सकता है लेकिन अगर कोई ऐसा फैक्टर दे दें, कि वापस नहीं होना चाहिये तो चलता रहेगा, मुकदमा।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

जन संघ चाहती है कि मुकदमा वापस न लिया जाय, यह सूचना गलत दी गयी है। अखबार में यह सूचना आयी है कि वापस लेने का मामला सरकार के विचाराधीन है, उस पर ही मैंने यह प्रश्न पूछा था। अभी दूसरी ओर से कहा गया कि 15-16 साल के बच्चों को अनायास ही पुलिस ने फांस रखा है, इस प्रकार की चर्चा है तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इस मामले का निर्णय न्यायालय में ही हो, और सरकार इसे वापस न ले?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अभी तक तो निर्णय यही है कि मामला चलता रहे लेकिन सदन में यह कह देना कि अगर कोई ऐसे तथ्य आ जायें, कि यह मुकदमा अनुचित है, किसी के ऊपर यों ही चलाया जा रहा है और आश्वासन हो जाय कि नहीं हटायेंगे तो क्या यह न्यायोचित बात होगी?

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, बहुत से नैक्सलाइट्स बंगाल से बनारस आ गये हैं, और वे ही उत्पात मचा रहे हैं तो उन पर नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

यह दूसरा प्रश्न है। इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इसमें चार्ज शीट भेज दी गयी है और अगर हां, तो कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हो गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मामला बहुत पुराना है, तारीख तो मुझे याद नहीं, लेकिन अगर चार्जशीट न भेजी गयी होती तो मामला कोर्ट में न जाता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, पहला एसिड बल्ब टाउन हाल में गिराया गया तो उसके बाद इस जुलूस की सुरक्षा का प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया जो दूसरा बल्ब गिराने का अवसर मिला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

एक जगह फेंका गया, फिर दूसरी जगह फेंका गया कोई आदमी नहीं मरा केवल एक आदमी घायल हुआ। जब किसी की हत्या नहीं हुई, तो इस से स्पष्ट है कि काफी सुरक्षा का प्रबन्ध किया गया था।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

३०७ में हत्या के प्रयास का मामला होता है। तो और कौन सी कार्यवाही कर दी गयी जिससे यह समझा गया कि हत्या का प्रधान लक्ष्य नहीं था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

पुलिस की रिपोर्ट है जो इस नतीजे पर पहुंची है कि मामला एक जलूस को डिस्टर्ब करने का था, किसी विशेष व्यक्ति की हत्या करने का नहीं था। यह पुलिस की रिपोर्ट है। और वहां की बात क्या है। यह फैसला होगा अदालत में, यदि मुकदमा चलता रहा तो...

श्री हिम्मत सिंह---

जो इस रिपोर्ट में नाम दिये हैं---श्री श्यामा प्रसाद बनर्जी, दीपेन चौधरी, कल्याण दत्त, सिद्धार्थ सेन, गोविन्द बनर्जी व श्री विभास दास क्या ये छहों आदमी एक ही पार्टी से सम्बन्धित हैं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

इस प्रकार के छः मुकदमें न्यायालय में विचाराधीन हैं। पहला जो एसिड बम फेंका गया इसके बाद माओ का जो पुतला जलाया गया चितरंजन पार्क में। वहां पर वि सी प्रकार की घटना नहीं घटी। यह प्रमाण है इस बात का कि काफी सुरक्षा की गई थी। नक्सलवादियों के पास कुछ ऐसे तथ्य बरामद हुए जब मुकदमा दर्जा किया गया।

श्री हिम्मत सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या ये छहों व्यक्ति एक ही दल के हैं ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

श्रीमन्, पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वे एक दल के प्रतीत होते हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

मान्यवर, एक प्रश्न करने का अवसर हैं। यह मुख्य मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है। उन्होंने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है, जिनका नाम मैं बता सकता हूं दशाश्वमेध थाने के श्री० जी० एन० मिश्रा, वह भी घायल हुये। उनका हाथ, मुंह और कपड़े जल गये। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि टाउन हाल में जो बम फेंका गया एसिड बम वह ठीक मंच से चार फीट की दूरी पर गिरा उससे जो विद्यार्थी घायल हुआ वह डेढ़ महीने तक अस्पताल में रहा यह मैं पहले ही बता चुका हूं। हास्पिटल में रहने के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ। मैं यह पूछना चाहता था कि क्या यह सच है कि ये जो छः लोग इन सारी घटनाओं में हैं ये एक संस्था के हैं ? जैसा कि आपने बताया। क्या उसी प्रकार यह भी सच है कि दिपेन चौधरी, श्यामा प्रसाद

बनर्जी, जिन्होंने जलूस पर बम फेंका प्रथम बार इनके पिता बैनर्जी बंगाली टोला कालेज के प्रिन्सिपल हैं और सतारूढ़ कांग्रेस के सदस्य हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

थाना, चौक (लखनऊ) के श्री इन्द्रपाल सिंह, हेड मुहर्रिर द्वारा श्री नन्हा और उसकी बहन को पीटे जाने के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य के संबंध में कुछ और सूचना [क्रमागत]†

श्री उपाध्यक्ष--

एफ० आई० आर० क्या है ?

गृह उप मन्त्री (श्री राम कृष्ण द्विवेदी)--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में वक्तव्य हो चुका है। आपकी आज्ञानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़ी जा रही है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट इन्द्रपालसिंह बनाम, डी० पी० बोरा और डी० पी० बोरा बनाम इन्द्रपालसिंह है। पहले डी० पी० बोरा ने लिखाई है इसलिये डी० पी० बोरा की रिपोर्ट पढ़ी जा रही है।

पुलिस अफसर, पुलिस स्टेशन चौक, लखनऊ।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि करीबन १०-४५ बजकर मैं मोहनी पुरवा पहुंचा वहां पर एक दुर्घटना हो चुकी थी जिससे वहां का एक आदमी नन्हां नामक व्यक्ति को इन्द्रपालसिंह के द्वारा गायब करा दिया गया था। सूचना मिलने पर जब गांव वाले मेरे पास गये तो मैं भी जानकरी के लिये मोहनी पुरवा पहुंचा, मैंने अकेले जाकर इन्द्रपालसिंह से बात की जैसा कि मेरा अपना कर्त्तव्य था, इस पर वे मुझ पर भी बिगड़ कर गाली देने लगे और उनके मकान पर से गुम्मे चलने लगे। मैं जान बचाकर भागना चाहा इतने में ही उसने बन्दूक निकाल कर पूरे गांव वालों को गालियां देने लगा। दो चार आदमी जो वहां खड़े थे आतंकित होकर गांव की ओर शोर मचाते हुए भागे। उसको गालियां देते, गुम्मे चलाते व बन्दूक निकालते तमाम लोगों ने देखा। मैं राजनैतिक आदमी हूं यदि इस तरह से मेरी जान माल की रक्षा नहीं होगी तो हम लोग कैसे काम करेंगे। मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी है जिससे उचित कार्यवही की जाये। डी० पी० बोरा, एम० एल० ए०, ३५-बी, दारुल सफा, लखनऊ। समय ११-१५ प्रातः दिनांक १५-८-७१।

मान्यवर, अब दूसरी पढ़ रहा हूं--

"नकल तहरीर हिन्दी वादी। श्रीमान् इन्सपेक्टर साहब, थाना चौक, लखनऊ। सेवा में निवेदन है कि मुल्जिमान नन्हां व मंगला ने प्रार्थी की बहू, निर्मला को दिनांक ८-८-७१ को बहका फुसला कर भगा ले गए थे जिसका कि मुकदमा प्रार्थी ने दिनांक १२-८-७१ को थाना चौक में लिखाया है। आज दिनांक १५-८-७१ को झंडे की सलामी देकर अपने दरवाजे पहुंचा कि देखा डी० पी० बोरा, एम० एल० ए० व रामचन्द्र वकील, मुन्ना महल्लाह, जयचन्द सिंह, रमेश प्रसाद, रम्मन मल्लाह, गिरजा, सरूपे मुराऊ, महावीर अहीर, सन्तराम अहीर, महादेव

---

†२४ अगस्त, १९७१ की कार्यवाही से।

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

लोध, राधेलाल मुराई, ओम चन्द, प्यारेलाल नाई, मैकू मल्लाह, मुंशी नाई, नोखे नाई, घसीटे अहीर, राम खेलावन, श्री कृष्ण, छेदी, मेड़ीलाल मल्लाह, लालता मल्लाह, टिनई मल्लाह, धनी, गोपी, प्रेम अहीर, बाबादीन अहीर, शत्रुहन, सन्त कुमार, जगन्नाथ, कुशहर, देवी दयाल, श्यामलाल मल्लाह, लालता नाई, सोहनलाल लोध, हरदेव लोध, जगन्नाथ मल्लाह, इन्द्रल, कन्हैयालाल मुराई व करीब चार पांच सौ आदमी और जिनमें कि जगन्नाथ व जयचन्द के हाथ में तीर और धनुही थी बाकी लोग लाठी डंडा व गुम्मे से लैस थे। उपरोक्त आदमियों को नाम से व अन्य आदमियों को हम व हमारे लड़के व मेरे घर के आस-पास के लोग व रास्ते के आने जाने वाले लोगों ने जिन्होंने यह घटना देखा है सामने आने पर पहचान सकते हैं। मैंने डर की वजह से घर में घुस कर दरवाजा बन्द कर लिया। डी०पी० बोरा नें ललकारा कि आज साले इन्द्रपाल की दरवाजा तोड़कर घर में घुस कर जान से मार डालो, घर में आग लगा दो, और जान से मार डालो। मैं आज उसकी लाश देखना चाहता हूं। सभी लोग मेरा दरवाजा तोड़ने लगे। जब मेरा पहला दरवाजा टूट गया तो मैं छत पर भाग गया कि इतने में चारों तरफ से तीर और गुम्मे आने लगे। एक तीर जो जगन्नाथ ने चलाया जो कि मेरे लड़के ब्रजेन्द्र के बायें हाथ में लगा, किसी प्रकार मेरी जान बचने की आशा नहीं रही, मेरा एक लड़का राघवेन्द्र जो कहीं बाहर गांव में था भाग कर थाने में गया इस घटना की सूचना दी जब थाने से दरोगा व सिपाही व हैड मौके पर पहुंचे तो उपरोक्त मुल्जिमान इधर-उधर भाग गये। मैं अपने चोट खाये हुए लड़के को जिसके हाथ से काफी खून निकल रहा है लेकर थाने को इत्तला को आया हूं। तीर और गुम्मा मौके पर पड़े हैं। मेरा दावा उपरोक्त मुल्जिमानों के ऊपर मुझे व मेरे लड़के को एक राय होकर जान से मार डालने की नियत से चोट पहुंचाने का है। मेरी रिपोर्ट लिखकर जांच की जाय। यह घटना पौने ग्यारह बजे की है। प्रार्थी इन्द्रपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय ठाकुर चतुरी सिंह, सा० मोहनीपुरवा, थाना चौक, लखनऊ। दिनांक 15-8-71।

नोट--मैं हेड मुहर्रिर गंगाधर पांडे प्रमाणित करता हूं कि तहरीर वादी की नकल चक पर शब्द व शब्द अंकित की।

लेखक गंगाधर पाण्डे, हेड मुहर्रिर,
दिनांक 15-8-71।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

दोनों का क्राइम नम्बर भी बता दें।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

पहली रिपोर्ट है श्री डी० पी० बोरा की। उसकी धारा...

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मालूम पड़ता है मंत्री जी को यह ज्ञान नहीं है कि क्राइम नम्बर और धारा अलग-अलग चीजें हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अपराध संख्या पूंछ रहे हैं।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

पहले की अपराध संख्या ७९७ है।

श्री रियासत हुसैन—

दूसरी भी बता दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दूसरे की अपराध संख्या ७९८ है।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, दोनों रिपोर्टें सदन के सम्मुख आयीं। श्रीमन्, ने स्वयं सुना कि क्राइम नं० 798 पर इन्द्रपाल सिंह ने रिपोर्ट लिखायी थी। दोनों रिपोर्टों से साफ जाहिर होता है कि पहली रिपोर्ट श्री डी० पी० बोरा वाली लिखी गयी और उसकी डिफेंस में उसक जस्ट आफ्टर उसी क्राइम नम्बर पर पुलिस ने अपनी तरकीब से उस रिपोर्ट को बनाया है। इस बात को देखते हुए क्या यह मुमकिन है कि उस इलाके के जो पुलिस के इंचार्ज लोग या इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर्स और सुपरवाइजिंग आफिसर्स हैं उनके रहते हुए इस मामले में सही तौर से जांच हो सकती है? यदि नहीं, तो उन लोगों को वहां से फौरन हटाये जाने के आदेश दिये जायं।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

इस मामले की पूरी जांच का सवाल मेरे सामने आ चुका है और इसकी जांच सी० आई० डी० के जरिये की जा रही है। उनसे कहा गया है कि वे बहुत जल्दी २–३ दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दें। उनकी रिपोर्ट आते ही मामला साफ हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आगे चलें।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

इन्द्रपाल सिंह की रिपोर्ट से आप पायेंगे कि कैसे-कैसे उनके घर पर हमला हुआ और उनके लड़के द्वारा थाने में शिकायत करने पर दरोगा मौके पर पहुंचे। तो देखना यह है कि दरोगा ने अपनी रवानगी किस वक्त की और उनकी रवानगी की रिपोर्ट क्या है? इन्द्रपाल सिंह के लड़के ने रिपोर्ट जो थाने में दर्ज करायी वही एफ० आई० आर० मानी जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य सवाल यह है कि क्या सदन ऐसे मामले पर विचार करे। कल जैसा आप चाहते थे दोनों रिपोर्ट रख दी गयी हैं। आपको और कुछ कहना है?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय सदस्य ने यह कहा कि इन्द्रपाल सिंह के लड़के ने जो सूचना थाने में दी वही एफ० आई० आर० मानी जायगी और उस रिपोर्ट पर दरोगा ने रवानगी की होगी। माननीय बोरा साहब के खिलाफ दफा 395 की रिपोर्ट हो गयी और रघुनाथ सिंह के खिलाफ 302 की रिपोर्ट हो गयी। क्या कारण है कि विधायकों पर 302 और 395 आई० पी० सी० के अन्तगत रिपोर्टें हो रही हैं? उत्तर प्रदेश में विधायकों पर फर्जी केसेज कायम हो रहे हैं।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न, श्रीमन्।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कल आपने कहा था इस विषय के ऊपर और माननीय सदस्य ने कहा था कि यह मामला मेरा नहीं है। आज इनकी रिपोर्ट से साबित हो गया है कि

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

इनका उससे सीधा-सीधा सम्बन्ध है। क्या सही है और क्या गलत, हम उसमें नहीं जा सकते हैं, जांच हो रही है और केस न्यायालय में जायगा। अगर कोई माननीय सदस्य स्वयं इन्वाल्वड हों तो क्या उनको यहां उस मसले को उठाने की इजाजत दी जा सकती है?

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मैनेजर सिंह—

वह उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर का प्रश्न नहीं है। कल मैंने व्यवस्था दी थी कि इस सम्मानित सदन को किसी को अपने मुकदमे के बचाव का....आड....माध्यम नहीं बनाना चाहिए. ,अब जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द है।

श्री मैनेजर सिंह—

इन्द्रपाल सिंह के लड़के ने जो सूचना दी है वही एफ०आई० आर० है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपस कहना चाहता हूं कि क्या यह सदन इन सब बातों पर एक न्यायालय के रूप में विचार कर सकता है? मूल प्रश्न यह है।

श्री मैनेजर सिंह—

एफ० आई० आर० वह है जो इन्द्रपाल के लड़के ने सूचना दी।

श्री उपाध्यक्ष—

कल दो चीजें मांगी गई थीं। यह सवाल समाप्त हो गया था कल, लेकिन श्री शान्ति-प्रपन्न शर्मा ने मांग की थी कि वह दोनों रक्खी जायं। मुख्य मंत्री जी ने उसे सदन के पटल पर रख दिया है तो उसके बाद कोई सवाल नहीं उठता है।

श्री मैनजर सिंह—

जो लड़के ने सूचना दी है वह एफ० आई० आर० की रिपोर्ट असली है, वह रखवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इतना निश्चित आश्वासन देने के बाद कि यह मामला सी० आई० डी० को निर्दिष्ट कर दिया गया है और दो-तीन दिन में रिपोर्ट आयेगी, इसकी जरूरत नहीं है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

यह तो बाद की बात थी कि आप इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं या नहीं। यह कहा गया था कि रिपोर्ट पढ़ दी जाय, जो विचार करना चाहेंगे करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

दो रिपोर्ट्स हैं लेकिन आप तीसरी रिपोर्ट लड़के की मांग रहे हैं, तो फिर चौथी मांग की जायेगी।

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या मंत्री जी को पता है कि कोई सिपाही एक जिले में 10 साल से अधिक नहीं रह सकता है और इन्द्रपाल रह रहा है। उन्होंने मोहनपुरवा में जायदाद बना ली है। जून से अगस्त तक दो मुकदमें एक डकैती और एक मौजूदा मुकदमा थान में लिखाये गये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

उस कान्सटेबुल के स्थानान्तरण के आदेश हो गये हैं और उसके विरुद्ध सी० आई० डी० जांच कर रही है, अगर कोई गलती पाई जावेगी तो सजा मिलगी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

यह नियमावली के नियम 300 (6) को आप देखें। मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि सी० आई० डी० से दो-तीन दिन में रिपोर्ट आ जावेगी। तो उसको सदन की पटल पर रखा जाय तब सम्बन्धितसदस्य स्पष्टीकरण दें और आप व्यवस्था दें कि इस पर वाद-विवाद या प्रश्न हों या न हों।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम (6) की जो बात आप कह रहे हैं तो मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है, इसमें यह कहां है कि वह रक्खा जाय। आगे चला जाय।

मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण (संशोधन) नियमावली, १९७० में प्रस्तावित संशोधन

श्री उपाध्यक्ष---

अब क्रम संख्या 15 लिया जाय।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)---

मैं आपकी आज्ञा से मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण (संशोधन) नियमावली, 1970 में, जो 17 अगस्त, 1971 को सदन के पटल पर रखा गनी है, उसमें निम्नलिखित संशोधन रखता हूं :

नियम 1 के उपनियम (1) को नियम 1 के रूप में रखा जाय और नियम 1 (2) निकाल दिया जाय।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री धर्म दत्त वैद्य)---

यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि नियम 1 के उप नियम (1) को नियम 1 के रूप में रखा जाय और नियम 1 (2) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

क्या यह नियमावली के अन्तर्गत है ?

श्री उपाध्यक्ष--

जी हां।

श्री बंशीधर पांडय--

सरकार ने इसको मान लिया है, तो हां और ना की क्या जरूरत है ?

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का जो अधिकार ह उसका विस्तृतीकरण चाहते हैं या उसका संकुचन। अगर कोई चीज सरकार बना ले और वह चीज सदन के समक्ष आये...

श्री बंशीधर पाण्डेय--

यह तो सरकार उनसे मिल कर रखवा रही है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

जिस नियम में संशोधन रख रहे हैं उसके बारे में जानकारी भी देंगे कि उसका प्रयोजन क्या है। उसकी क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री इन्द्रलाल--

नियमावली देख लें कि जो संशोधन पेश हुये हैं वे ठीक हैं या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

वे प्रतिनिहित विधायनी समिति के सदस्य हैं। जो रिपोर्ट आयी है उसी के आधार पर संशोधन रख रहे हैं और सरकार स्वीकार कर रही है।

श्री इन्द्रलाल--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 2 के स्तम्भ 2 में नियम 3 (2) एवं 5 (क) में संख्या '15,000' के स्थान पर संख्या '18,000' रख दी जाय।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि नियम 2 के स्तम्भ 2 में नियम 3 (2) एवं 5 (क) में संख्या "15,000" के स्थान पर संख्या "18,000" रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री इन्द्रलाल--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 2 के स्तम्भ 2 में नियम 3 (2) के अन्त में विराम से पूर्व नये पैरा में शब्द "किया जायगा" बढ़ा दिया जाय।

श्री धर्म दत्त वैद्य--

स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नियम 2 के स्तम्भ 2 में नियम 3 (2) के अन्त में विराम से पूर्व नये पैरा में शब्द "किया जायगा" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री इन्द्रलाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 2 के स्तम्भ 2 में नियम 5 (क) में शब्द "परिवार म" के स्थान पर शब्द "परिवार के" रखे जायं।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इसमें कोई आपत्ति नहीं है। स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नियम 2 के स्तम्भ 2 में नियम 5 (क) में शब्द "परिवार में" के स्थान पर शब्द "परिवार के" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मैं विरोध कर रहा हूं। माननीय वैद्य जी जो फ़्राड कर रहे हैं उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। नियमों में यह है कि गवर्नमेंट को अधिकार रहता है रूल्स बनाने का और रूल्स बना कर...वह आपको नियम दिखलाने लगे।

मान्यवर, ऐक्ट के अन्तर्गत रूल्स बनाने की पावर सरकार में निहित है। जो रूल्स सरकार बनाती है वह सदन के पटल पर रखे जाते हैं। जब तक यह सदन उनका विरोध नहीं करता वे स्वीकार समझे जाते हैं। जो नियम रखे गये उन से हम लोग सन्तुष्ट थे। अब सरकार क्या फ़्राड करती है कि अपने एक सदस्य से उन में कोई संशोधन रखवा कर "हां" और "ना" करवा रही है और उन्हें पास करवा रही है। यदि सरकार कोई संशोधन लाना चाहती है तो वह यहां रखे जायं और उन पर विचार करने के लिए हमें भी समय दिया जाय ताकि हम उस पर विचार कर लें। अगर यह नहीं होगा तो सदन के पटल पर रखने का जो आइडिया है वही समाप्त हो जायगा। इस लिए आप इन को अभी रखे जाने की आज्ञा न दें।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

मान्यवर, प्रश्नगत नियमावली 17 अगस्त, 1971 को सदन के पटल पर रखी गयी थी। सदन को अधिकार है कि वह नियमों के अन्तर्गत उस में कोई संशोधन कर सके। मान्यवर, यह तो बड़ी सराहनीय बात है कि प्रतिनिहित विधायन समिति ने पहली बार निर्धारित अवधि के भीतर ही इस नियमावली पर विचार किया और उस में कुछ संशोधनों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखा। यह उसी अवधि के भीतर है जिस अवधि में संशोधन करने का सदन को अधिकार है। जो प्रतिवेदन आज सवेरे सदन के समक्ष रखा गया था और उस में जो सुझाव थे उन्हीं को स्वीकार करने के लिए माननीय सदस्य ने, जो प्रतिनिहित विधायन समिति के भी सदस्य हैं, अपना संशोधन रखा है। यह गवर्नमेंट स्पान्सर्ड नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, हमें सब स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

नगर महापालिका के जो नियम हैं उस के अध्याय 23 की उप-धारा (4) में लिखा है कि सभी नियम जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जायेंगे वे 14 दिन तक सदन के सामने रहेंगे। इसलिए यह नियमों के अन्तर्गत है।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह पास करा दीजिये, हमें आपत्ति नहीं है। हम लोगों को अगर पहले ही बता दिया गया होता तो यह बात न होती।

श्री इन्द्रलाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 2 के स्तम्भ 2 में नियम 6(1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"6—(1) ऋण की धनराशि भूमि के मूल्य को सम्मिलित कर के गृह निर्माण की लागत के अस्सी प्रतिशत तक सीमित रहेगी किन्तु किसी गृह के लिए 25,000 रुपये से अधिक न होगी।"

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि इस में यह जो धनराशि 25 हजार की रखी गयी है, आज कल की महंगाई को देखते हुये इतने रुपये में कोई मकान नहीं बन सकता। इस को इस प्रकार रखा जाय, यदि माननीय मन्त्री जी को स्वीकार हो तो इस राशि को 25 हजार के स्थान पर 35 हजार कर दी जाय।

और एक प्रतिबन्ध जो इस में है कि जो मध्यम आय वाला व्यक्ति है यह उसी को माना जायगा जो कि इन्कम टैक्स सार्टिफिकेट दिखायेगा। इसको उसमें से हटा दें, क्योंकि इसके अनुसार बहुत से व्यक्ति मध्यम आय वाले हैं, लेकिन वे इन्कम टैक्स देने की श्रेणी में नहीं आते हैं। मध्यम आय वालों का यह संशोधन चूंकि है, अतः इस राशि को आप बढ़ा दें और उस प्रतिबन्ध को तोड़ दें। अपने प्रदेश में मकानों की बहुत कमी है। आप उदार होकर अधिक रुपया देंगे तो मकानों की समस्या हल हो जायगी और प्रदेश के अन्दर लोगों को राहत मिलेगी। इसलिए 25 हजार की जगह पर 35 हजार कर दें और उसमें से इन्कम टैक्स के प्रतिबन्ध को हटा दें, तो बहुत अच्छा होगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मध्यम आय वर्ग वालों की कोई व्याख्या नहीं है, तब तक इसको करना इसलिए ठीक नहीं होगा। उसके लिए हम अलग नियम बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि नियम 2 के स्तम्भ 2 में नियम 6(1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"6—(1) ऋण की धनराशि भूमि के मूल्य को सम्मिलित करके गृह निर्माण की लागत के अस्सी प्रतिशत तक सीमित रहेगी किन्तु किसी गृह के लिए 25,000 रुपये से अधिक न होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मध्यम आयवर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण (संशोधन) नियमावली, 1970 में प्रस्तावित संशोधन

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इस के बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
25 अगस्त, 1971 ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७७ पर)

सरकारी कोटे से कार तथा स्कूटरों के एलाटमेंट हेतु प्रार्थना-पत्र

1—प्रार्थी का नाम————————————————————————

2—पिता का नाम————————————————————————

3—पूरा पता————————————————————————

(क) स्थाई पता————————————————————————

(ख) वर्तमान पता————————————————————————

4—आयु————————————————————————

5—व्यवसाय

(क्या आप केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के सदस्य हैं, या सरकारी, गैर-सरकारी कर्मचारी हैं ?) ————————————————————————

————————————————————————

(अ) पद————————————————————————

(ब) वेतन या मासिक आय————————————————————————

6—क्या आप इन्कम टैक्स देते हैं, यदि हां, तो सालाना इन्कम टैक्स की रकम (केवल कार के लिए)————————————————————————

नोट—मोटर कारों के एलाटमेंट के लिए उन्हीं प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायगा जिन में प्रार्थी की माहवारी आय कम से कम 600 रुपये या उस से ज्यादा होगी। स्कूटरों के एलाटमेंट के लिए उन्हीं प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जायगा जिन में प्रार्थी की माहवारी आय कम से कम 300 रुपये या उस से अधिक होगी।

7—प्रार्थी को रोजाना कितनी दूरी तय करनी पड़ती है ?————————————————

8—गाड़ी की आवश्यकता के विशेष कारण यदि कोई हों तो बतावें————————————

9—गाड़ी का क्रम से विवरण दें, जिसे आप चाहते हैं——:

(अ) ————————————————————————

(ब) ————————————————————————

(स) ————————————————————————

10—क्या आप के पास पहले से ही कोई गाड़ी है, यदि हां, तो इस का (अ) मेक————————
(ब) खरीदने का वर्ष————————————

11—यदि उत्तर ऊपर लिखे हुये क्रम 10 के मुताबिक है तो बतायें कि गाड़ी सरकारी कोटे से या ट्रेड कोटे से मिली थी————————————————————————

12—क्या इस के पहले एलाटमेंट के लिए कोई प्रार्थना-पत्र दिया था। यदि हां, तो पूरा विवरण दें——————————————————

13—क्या आप ने अपना नाम डीलर के पास गाड़ी के लिए रजिस्टर करवाया है, यदि हां, तो कब, रजिस्ट्रेशन नं० तथा डीलर का नाम भी लिखें——————————

14—यदि प्रार्थी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कर्मचारी है, तो उसके विभागाध्यक्ष की सिफारिश इस आशय से कि गाड़ी का एलाटमेंट करना सार्वजनिक हित में होगा

——————————————————————————

प्रार्थी के हस्ताक्षर।

दिनांक——————————

नोट—जिस को चार साल के अन्दर कोई गाड़ी अथवा स्कूटर सरकारी कोटे से या डीलर से मिला हो उसके प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जायगा।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०९६ पर)

विधान सभा के दूसरे सत्र के सातवें बुधवार के लिए निर्धारित श्री रजित राम पाण्डेय के तारांकित प्रश्न संख्या ४० के उत्तर में उल्लिखित तालिका

क्रम-संख्या	ब्लाक	ग्राम का नाम	पानी दे रहा है या नहीं हां/नहीं	पानी न देने का कारण
		वर्ष १९६९-७० तहसील हंडिया		
१	प्रतापपुर	बघेरी	हां	
२	प्रतापपुर	अनुआ	हां	
३	प्रतापपुर	जेंघई	हां	
४	हन्डिया	उपरदहा	हां	
५	हन्डिया	हन्डिया द्वितीय	हां	
६	सैदाबाद	सराय हुसैन	हां	
७	हन्डिया	सिकीकला	हां	
८	सैदाबाद	उसमापुर	हां	
९	हन्डिया	बमैला	हां	
१०	हन्डिया	कसैयापार	हां	
११	सैदाबाद	थुडेरी	हां	
१२	सैदाबाद	देवनीपुर	हां	
१३	सैदाबाद	मकसुदना	हां	
१४	हन्डिया	चकमादा	हां	
१५	हन्डिया	सतभामा	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
१६	हन्डिया	कोटदखिन	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
१७	हन्डिया	पृथ्वीपुर	हां	
१८	सैदाबाद	चफलादसेर	हां	
१९	हन्डिया	चकपाली सिकरा	हां	
२०	हन्डिया	टेली द्वितीय	हां	
२१	हन्डिया	रावतपुर	हां	
२२	हन्डिया	किशोरा	हां	
२३	हन्डिया	दुल्हापुर द्वितीय	हां	
		तहसील फूलपुर		
२४	फूलपुर	मेलहन	हां	
२५	फूलपुर	बकसेन्डा	हां	
२६	फूलपुर	छिबैया	हां	
२७	फूलपुर	सिलोखरा	हां	
२८	फूलपुर	चैमलपुर	हां	
२९	फूलपुर	सावडीह	हां	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५
३०	फुलपुर	सलामापुर	हां	
३१	फुलपुर	बीरमानपुर	हां	
३२	फुलपुर	लतीफपुर	हां	
३३	फुलपुर	मुबारकपुर	हां	

वर्ष १९७०–७१ तहसील हन्डिया

३४	प्रतापपुर	कन्धारपुर	हां	
३५	हन्डिया	मेखरा पेगहन	हां	
३६	हन्डिया	वाला	हां	
३७	हन्डिया	किसनीपुर	हां	
३८	हन्डिया	अरई	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
३९	सैदाबाद	धराधमपुर	हां	
४०	सैदाबाद	दिधौटा	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
४१	सैदाबाद	रेवथु	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
४२	सैदाबाद	गनेशीपुर	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
४३	प्रतापपुर	पतैय्या	हां	
४४	प्रतापपुर	भिरपुर सोरों	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
४५	प्रतापपुर	सोरो सिधैरा	नहीं	पम्पिग सेट नहीं लोवर हुआ।
४६	प्रतापपुर	मिथोई	नहीं	विस्तारण नहीं हुआ।
४७	प्रतापपुर	कैवलापुर जलालपुर	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
४८	प्रतापपुर	बरेद	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
४९	प्रतापपुर	भुलेन्द पिलखिनी	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
५०	प्रतापपुर	बीबीपुर	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
५१	प्रतापपुर	सन्सारीपुर	नहीं	विद्युतीकरण नहीं हुआ।
५२	प्रतापपुर	रिथवा किशनीपुर	नहीं	विद्युतीकरण होना है।
५३	प्रतापपुर	हरीपुर पट्टी	नहीं	विस्तारण नहीं हुआ है।
५४	प्रतापपुर	चनैथू द्वितीय	नहीं	विस्तारण नहीं हुआ है।
५५	प्रतापपुर	पतवा दलपतपुर	नहीं	पम्प हाउस बनना है।
५६	सैदाबाद	नागनाथपुर महा टीकर।	नहीं	पम्प हाउस बनना है।
५७	सैदाबाद	पहाड़पुर उभरसा	नहीं	विस्तारण होना है।
५८	सैदाबाद	सराय मद	नहीं	पम्प हाउस बनना है।
५९	प्रतापपुर	पुरे रूदई	नहीं	विस्तारण होना है।
६०	प्रतापपुर	दलपतपुर बरियारी	नहीं	विस्तारण होना है।
६१	फूलपुर	मनैयू	नहीं	विस्तारण होना है।
६२	फूलपुर	रैनी	नहीं	पम्पिग सेट लोवर होना है।
६३	फूलपुर	कपसा प्रथम	नहीं	विद्युतीकरण होना है।
६४	फूलपुर	अभयपुर	नहीं	विस्तारण होना है।
६५	फूलपुर	भरेथा	नहीं	विद्युतीकरण होना है।

विधान सभा

१	२	३	४	५
६६	फूलपुर	बसौन्धा तुलसी पट्टी ।	नहीं	विस्तारण होना है ।
६७	फूलपुर	कल्यानपुर	हां	
६८	फूलपुर	आगरा पट्टी	नहीं	विस्तारण होना है ।
६९	फूलपुर	कपसा द्वितीय	नहीं	विद्युतीकरण होना है ।
७०	फूलपुर	सेहुआडीह	नहीं	विस्तारण होना है ।
७१	फूलपुर	चककाशीरामपुर	नहीं	विद्युतीकरण होना है ।
७२	फूलपुर	जुनीडीह	नहीं	विद्युतीकरण होना है ।
७३	फूलपुर	सिसई सिपाह	नहीं	विस्तारण होना है ।
		वर्ष १९७१—७२		
७४	फुलपुर	सराय मनोहर	नहीं	विस्तारण होना है ।
७५	फुलपुर	स्वाजगी पट्टी	नहीं	विस्तारण होना है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४८ एल० ए०—१९७२—८४५ ।